महानगर नई दिल्ली मंगलवार 15 अक्तूबर, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

कश्मीर में अभी भी बंद है इंटरनेट

72 दिन बाद बजीं मोबाइल की घंटियां

श्रीनगर, 14 अक्तूबर (भाषा)।

कश्मीर में सोमवार दोपहर से मोबाइल फोनों की घंटियां बज उठीं और राज्य के करीब 40 लाख पोस्टपेड उपभोक्ता 72 दिन के बाद देशभर में, घाटी और अपने आस-पड़ोस में अपने परिवारों और दोस्तों से जुड़ गए। हालांकि इंटरनेट सेवाएं अभी शुरू नहीं की गई हैं। सरकार के शनिवार को किए गए वादे के अनुसार दोपहर से लोगों के फोन बजने लगे और घाटी में लोग फौरन मोबाइल पर अपने प्रियजनों से बात करने के लिए बेताब दिखे। लोग पांच अगस्त से फोन पर बात नहीं कर पा रहे थे। इसी दिन केंद्र ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने का फैसला किया था।

अधिकारियों ने कहा कि इस समय सेवाएं केवल पोस्टपेड कनेक्शन के लिए हैं। सुविधा केवल फोन बाकी पेज 8 पर

पाक पर सबसे बड़ा दबाव एफएटीएफ का : डोभाल

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान पर अपनी धरती से संचालित आतंकवादी समूहों पर काबू पाने के लिए सबसे बड़ा दबाव वित्तीय बाकी पेज 8 पर

'लश्कर के आतंकियों पर अभियोग चलाए पाक'

वाशिंगटन, 14 अक्तूबर (भाषा)।

एलिस वेल्स

अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान को उसकी जमीन से आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दे रहे आतंकवादी समूहों बाकी पेज 8 पर

आतंकियों ने ट्रक ड्राइवर की हत्या की

श्रीनगर, 14 अक्तूबर (भाषा)।

जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सोमवार को एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक समेत दो आतंकवादियों ने राजस्थान के एक ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी और एक बाग के मालिक से मारपीट की।

पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान शरीफ खान के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया कि घाटी में फलों से भरे ट्रकों की आवाजाही शुरू होने से हताश होकर आतंकवादियों ने शीरमाल गांव में यह हमला किया। पुलिस ने कहा, 'सोमवार की घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों में रोष है।'

मऊ जिले में धमाके से दो मंजिला इमारत ढही

रसोई गैस सिलेंडर फटने से 13 की मौत

मऊ (उप्र), 14 अक्तूबर (भाषा)।

जिले के मोहम्दाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के वलिदपुर मोहल्ले में सोमवार की सुबह दो मंजिला मकान में रसोई गैस का सिलेंडर फट जाने के कारण 13 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए।

घायलों को इलाज के लिए आजमगढ़ जिला अस्पताल और मऊ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहम्दाबाद कोतवाली क्षेत्र के नगर पंचायत वलिदपुर मुहल्ले में सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब वहां रहने वाले छोटू विश्वकर्मा के घर पर सुबह नाश्ता बनाते समय गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। छोटू विश्वकर्मा के पड़ोसियों कन्हैया विश्वकर्मा और कटवारी धोबी के मकान अगल बगल थे। विस्फोट में तीनों के मकान धराशाई हो गए। बचाव अभियान के दौरान घायलों को निकाला गया। लखनऊ में पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था प्रवीण कुमार ने मऊ के पुलिस अधीक्षक के हवाले बाकी पेज 8 पर

छोटू विश्वकर्मा के परिवार में उनकी पत्नी रीता और उनकी पांच बेटियां हैं। सोमवार छोटी बेटी की परीक्षा थी। रीता सुबह उसके लिए नाश्ता बनाने गई और गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया।

हरियाणा में विपक्षी दल बिखरे : मोदी

बल्लभगढ़, 14 अक्तूबर (जनसत्ता)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हरियाणा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अब अनुच्छेद 370 हटाने जैसे बड़े निर्णय कर रहा है जिसके बारे में पहले सोचा तक नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा कि लोगों से मिले व्यापक जनादेश के कारण उन्हें ऐसा कदम उठाने की शक्ति मिलती है। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि वह सार्वजनिक तौर पर बताए कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो क्या अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल कर देंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस में हिम्मत है तो घोषणापत्र में एलान कर के दिखाए कि वह अनुच्छेद 370 की बहाली करेगी।

हरियाणा में इस हफ्ते अपनी चार रैलियों में से पहली रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि राज्य में विपक्षी दल बिखर गए हैं और साथ आने के बाकी पेज 8 पर

'खोदा पहाड़ निकली चुहिया'

सोनीपत/नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोनिया गांधी को फिर से कांग्रेस प्रमुख बनाए जाने का मजाक उड़ाते हुए कहा, 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया और वह भी बाकी पेज 8 पर

केंद्र की गलत नीतियों से अर्थव्यवस्था बदहाल : राहुल

नूंह, 14 अक्तूबर (जनसत्ता)।

कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने नूंह आए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भाषणों में झूठे वादे सुनाई देते बाकी पेज 8 पर

पराली जलाने पर पर्यावरण मंत्रालय से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)।

दिल्ली में वायु की गुणवत्ता 'बहुत खराब' की श्रेणी में आने के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उप्र में पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए उच्च कार्यबल की सिफारिशों के बारे में सोमवार को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के पीठ के समक्ष राजधानी में वायु गुणवत्ता का मुद्दा उस समय उठा जब प्रदूषण के मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहीं अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कहा कि पर्यावरण व वन मंत्रालय से इस बारे में स्थिति रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए।

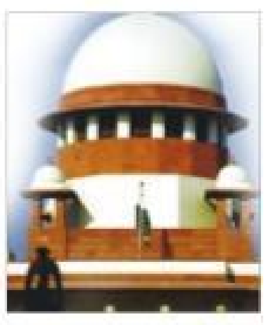

उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उप्र में पराली जलाने पर रोकथाम के लिए उच्चस्तरीय कार्य बल की उप समिति की रिपोर्ट स्वीकार किए जाने संबंधी केंद्र के कथन के बाद शीर्ष अदालत ने पिछले साल 29 जनवरी को इस मामले में आदेश पारित किया था। अपराजिता सिंह ने कहा कि शीर्ष अदालत के पिछले साल के आदेश के बाद काफी समय बीत चुका है और अब पर्यावरण व वन मंत्रालय को रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। पीठ ने पर्यावरण व वन मंत्रालय को इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। पराली जलाने के मामले में उप समिति की रिपोर्ट पर अमल के लिए पर्यावरण व वन मंत्रालय ही नोडल मंत्रालय है।

सौरव गांगुली होंगे बीसीसीआइ के नए अध्यक्ष

मुंबई, 14 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के नए अध्यक्ष होंगे।

गांगुली और जय शाह ने 23 अक्तूबर को होने वाले बीसीसीआइ चुनावों के लिए सोमवार को क्रम से अध्यक्ष और सचिव पद के लिए नामांकन दाखिल बाकी पेज 8 पर

आडवाणी, जोशी और जसवंत के सरकारी बंगले रहेंगे बरकरार

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)।

भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और जसवंत सिंह के लुटियन दिल्ली स्थित सरकारी बंगलों का आबंटन विभिन्न आधार पर बरकरार रखने का सरकार ने फैसला किया है।

सरकारी संपत्ति से अनधिकृत कब्जों की बेदखली के लिए हाल ही में संसद द्वारा पारित कठोर प्रावधानों वाले सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम 2019 के तहत आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पूर्व सांसदों के बंगले खाली कराए जाने बाकी पेज 8 पर

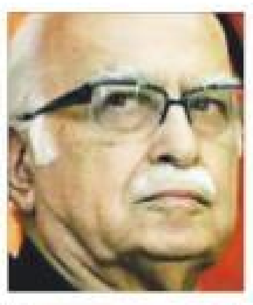

आडवाणी और जोशी को सुरक्षा कारणों से और सिंह के बंगले का आबंटन स्वास्थ्य कारणों से बरकरार रखा जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय वाट्सऐप समूह के सात सदस्यों के खिलाफ मामला

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)।

सीबीआइ ने कथित तौर पर उस अंतरराष्ट्रीय वाट्सऐप समूह के सात सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिस पर बच्चों की अश्लील तस्वीरें साझा की जा रही थीं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सीबीआइ के अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग प्रकोष्ठ (आइपीसीसी) को 31 जनवरी 2019 को जर्मन दूतावास से एक कूटनीतिक पत्र प्राप्त होने के बाद शुरुआती जांच की गई। जांच के बाद मामला दर्ज किया गया। जर्मनी ने सास्चे ट्रैप्पके के बारे में सूचना दी थी जिसे उस देश में बाल यौन दुर्व्यवहार और बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री के वितरण के संबंध में पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी।

बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री साझा करने का मामला

जांच के दौरान यह सामने आया कि वह 29 वाट्सऐप समूहों का हिस्सा था जहां बाल अश्लील सामग्री साझा की जा रही थी। उन्होंने कहा कि इन समूहों में सात भारतीय मोबाइल नंबर भी थे। अधिकारी ने कहा कि सभी सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

थोक मुद्रास्फीति घटकर तीन साल के निचले स्तर 0.33 फीसद पर

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)।

ईंधन और कुछ खाद्य सामग्रियों की कीमतें कम होने से थोक मूल्य सूचकांक आधारित (डब्लूपीआइ) मुद्रास्फीति सितंबर महीने में गिरकर तीन साल से अधिक के निचले स्तर 0.33 फीसद पर पहुंच गई। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।

थोक मुद्रास्फीति अगस्त 2019 में 1.08 फीसद और पिछले साल सितंबर में 5.22 फीसद थी। इससे पहले जून 2016 में थोक मुद्रास्फीति शून्य से 0.1 फीसद नीचे रही थी। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य वर्ग की मुद्रास्फीति सितंबर महीने के दौरान बाकी पेज 8 पर

खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 3.99 फीसद

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)।

खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर 3.99 फीसद पर पहुंच गई। सोमवार को इस संबंध में सरकारी आंकड़े जारी किए गए। इसकी प्रमुख वजह पिछले महीने खाद्यान्न कीमतों का ऊंचा रहना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दर अगस्त में 3.28 फीसद रही थी।

परेड में शामिल नहीं करने पर बीएसएफ ने विरोध जताया

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)।

गणतंत्र दिवस

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने अगले वर्ष जनवरी में राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड के मार्चिंग दल में शामिल नहीं किए जाने का विरोध किया है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस महीने जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और बाकी पेज 8 पर

बीएसएफ ने आधुनिक ड्रोन भेदी प्रणाली की मांग की

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)।

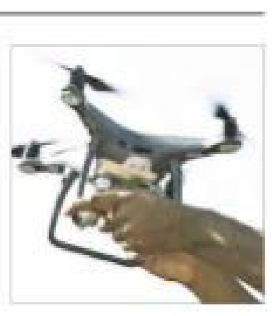

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने आधुनिक ड्रोन भेदी प्रणाली की मांग की है ताकि संचालन क्षेत्रों में संदिग्ध हवाई प्लेटफॉर्म को नष्ट किया जा सके। हाल में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा बाकी पेज 8 पर

दरअसल

इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल तीन लोगों को संयुक्त रूप से | **प्रतिभा का सम्मान** | बनर्जी और डुफ्लो के साथ माइकल क्रेमर को भी पुरस्कार

भारतीय मूल के अभिजीत और उनकी पत्नी को अर्थशास्त्र का नोबेल

स्टॉकहोम, 14 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय मूल के अमेरिकी अभिजीत बनर्जी, उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो और अमेरिका के अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर को सोमवार को संयुक्त रूप से 2019 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है। नोबेल समिति ने सोमवार को बयान जारी कर तीनों को वैश्विक स्तर पर गरीबी से लड़ने के शोध कार्यों के लिए 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की। बनर्जी और उनकी फ्रांसीसी-अमेरिकी पत्नी डुफ्लो प्रतिष्ठित मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआइटी) में कार्य करते हैं जबकि क्रेमर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।

डुफ्लो अर्थशास्त्र का नोबल पाने वाली दूसरी महिला हैं। वहीं वो यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की अर्थशास्त्री भी हैं। नोबेल पुरस्कार के तहत 90 लाख क्रोनर (स्वीडन की मुद्रा) यानी 9,18,000 डॉलर का नकद पुरस्कार, एक स्वर्ण पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस राशि को विजेताओं के बीच बराबर बांट दिया जाता है।

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के बयान के मुताबिक, 'इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं का शोध वैश्विक स्तर पर गरीबी से लड़ने बाकी पेज 8 पर

मैं खुश हूं। मेरा मानना है कि मुझे पुरस्कार मिलना इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करेगा। *-अभिजीत बनर्जी*

अभिजीत बनर्जी (58 वर्ष) ने भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की। इसके बाद 1988 में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की। बनर्जी ने 2003 में डुफ्लो व सेंडिल मुल्लाइनाथन के संग अब्दुसल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब (जे-पाल) की स्थापना की थी।

माइकल क्रेमर

अभिजीत बनर्जी को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 'सिवर्जस रिक्सबैंक पुरस्कार' से सम्मानित किए जाने पर बधाई। उन्होंने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। *-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री*

यह (पुरस्कार मिलना) दिखाता है कि एक महिला के लिए सफल होना और उस सफलता के लिए पहचान मिलना संभव है। यह पुरुषों को भी महिलाओं को उनके हक का सम्मान देने के लिए प्रेरित करेगा। *- एस्थर डुफ्लो*

मुझे लगता है कि यह पुरस्कार सर्वाधिक योग्य लोगों को दिया जा रहा है। *- अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्री*

यह मेरे लिए खुशी और गर्व की बात है कि आप दूसरे भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है। इससे पहले मेरे प्रिय मित्र प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला था। मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी पत्नी एस्थर डुफ्लो को भी संयुक्त रूप से नोबेल मिला है। *-मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री*

epaper.jansatta.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I,Zaheer Ahmed S/o Jamil Ahmed R/o-J-3/126 Krishan Kunj, Laxmi Nagar, Shakarpur Delhi-110092,inform that name of mine & my minor daughter Sofiya Ahmed(15-Years) has been wrongly written as Zahir Ahmed,Shofia Ahmed in Passport & other Documents.The actual name of mine & my minor daughter are Zaheer Ahmed, Sofiya Ahmed respectively which may be amended accordingly.
0040515960-5

I,Chandan Deep Mehta,S/O Sh.Makhan Singh Mehta R/O-31 New-Market,Area West-Patel-Nagar Delhi-110008. Have changed my name to Chandan Deep Singh Mehta,for all purposes.
0040515971-3

I, Vipin Makol S/o Ram Lal Makol R/o I-17, Sai-Apartment, Sector-13, Rohini, Delhi-110085,have changed my name to Vipan Kumar Makol for all purposes.
0040515940-3

I, Uzma Kamran W/o Mohammad Kamran R/o 1335/C Ameer Baksh Street, Phatak Habash Khan, Tilak Bazar, Delhi-110006 have changed my name from Uzma Anis, Uzma to Uzma Kamran for all future purposes.
0040515924-1

I, Usha Devi W/O Shri Krishan Chandra R/O H. NO- 889/22, Near-Jhajjar Chungi, Vijay-Nagar, Rohtak,have changed my name to Usha Rani.
0040515940-5

I, Sushama Rani W/O Om Prakash Garg R/O-Hno.44, East-Block, Friends Enclave, Sultanpuri, Delhi-110086. Changed MyName to Sushma Garg.
0040515960-3

I, Suresh Kumar S/O Baijnath Gupta R/O-D-10, Ashoka Road, Adarsh Nagar, Delhi-110033. Changed My Name To Suresh Gupta.
0040515944-8

I, Shubham S/O Vinod Kumar Rathore R/O-115, Block-E-2, Shastri-Nagar, Delhi-110052 have changed my name to Shubham Rathore.
0040515975-1

I, Shanno@Shabnam Malik, D/o Mohd. Rafeeq Ahmed,W/o Imran Malik R/o-T-17/B, M.B.Road, Pul-Prahlad pur, Badarpur, South-Delhi,Delhi-110044,have changed my name to Shabnam Malik,for all future purposes.
0040515960-8

I Abubakhar Kunju Mohammad Kunju S/o Mohammad Kunju R/o JA 44 D LIG Flat, Hari Nagar N.D-110064, have change my name to Abubakhar Kunju.
0040515930-1

I, Shajid Shadab S/o Salim Quasmi R/o H-35-A/1, Block-H, Naveen Vihar Begumpur, Delhi - 110086 have changed-my name from Shajid Shadab to Mohammad Sajid Shadab for all future purposes.
0040515936-1

I, Sayyad Mohd Nadeem S/O Sayyed Mohd Fayyaz, R/O-L-la-235a, Gali No-8, Sangam-Vihar, New-Delhi-110080. Changed My Name To Sayyed Mohd Nadeem.
0040515975-5

I, Satpal S/o Ram Singh R/o-276/6 Rameshwar Nagar Azadpur Delhi-110033. changed my name to Satpal Yadav For all purposes.
0040515940-10

I, Satinder Kaur Hunjan W/o Jagjit Singh R/o-82/1,Nanak-Piao Colony G.T.Karnal-Road N.Delhi-110009,changed my name to Satender Pal Kaur permanently.
0040515944-2

I, Rita Devi W/O Karun Singh Thakur, R/O Rz-H-20a, Gali No-2, Near-Gupta Nursing-Home, West-Sagarpur, N.Delhi-110046.,changed My Name To Rita Rani.
0040515975-7

I, Rakesh Chaube S/o Late Wg Cdr V V Chaube (8334) R/o 51/1 Jagdish Niwas, Mahamana Puri Colony, Varanasi-221005 have changed my name from Rakesh Chaube to Rakesh Chaubey for all future purposes. Rakesh Chaube and Rakesh Chaubey are same person.
0040515917-1

I, Rajiv Goel S/o Samaldas R/o H.No-260/2, Sector-16B, Vasundhara, Ghaziabad, U.P-201012, have changed my name to Rajeev Kumar Goel.
0040515893-1

I, Radha Panda,W/O Omprakash Panda R/O-House.No.336,GaliNo.3 Guru-Ramdas-Nagar, Laxmi-Nagar Delhi-110092,Have Changed My Name Radha Panda To Radha Sharma,For All Future Purposes.
0040515971-2

I, Amit Kumar Maheswari, S/O Jagdish Prasad Maheshwari R/O-D-176 Khasra.No.101/11 Rajeev-Nagar Begumpur Delhi-110086.,Have Changed My Name To Amit Kumar Maheshwari.
0040515944-5

I, Sushma Rastogi W/o Sh. Vineet Kumar R/o F-441, Galaxy NorthAvenue, GC-3, Gaur Cty-1, Noida Extension, Gautam Budh Nagar, U.P.has changed my name to Shushma Rastogi for all future purposes.
0040515948-1

व्यक्तिगत

I, Pushkal S/O-Rajeev Kumar Katara R/O-14-C, Block-R, Dilshad Garden, Delhi. Have changed my name to Pushkal Katara S/o-Rajeev Katara for all future purposes.
0040515899-1

I, Praveen Kumari W/O Sunil Jain H.No-D-9 Gali.No-25B, Molarband-Extension Badarpur Delhi-110044.,Have Changed My Name To Praveen Jain.
0040515944-6

I, Pinki w/o Vinay Kumar, R/o 8/23A, Double Storey, Moti Nagar, New Delhi-110015, have changed my name to Pinki Rani.
0040515926-1

I, Paramjeet Kaur w/o Ajit Pal Singh residing at M-229, Guru Harkishan Nagar, Paschim Vihar, Delhi also known as Parmjit Kaur but in future I shall be known as Paramjeet Kaur only.
0040515886-1

I, Pankaj S/O Suresh Gupta R/O-D-10,Ashoka Road,Adarsh Nagar,Delhi-110033.Changed My Name To Pankaj Gupta.
0040515944-7

I, Om Parkash S/O Samman Lal Garg R/O-44, East-Block, Friends Enclave ,SULTANPURI, DELHI-110086. CHANGED MY Nameto Om Prakash Garg.
0040515944-9

I, Nitin Aggarwal S/o Aswani Kumar R/o-101, Pooth Kala Delhi-110086, changed my name to NITIN GARG for all purposes.
0040515960-1

I, Nisha Kumari Agarwal W/o Mukesh Kumar Agarwal R/o-F-24/87, Sector-3, Rohini, Delhi-110085,have changed my name to Nisha Agarwal.
0040515940-4

I, Nimai charan Swain S\o Keshav Swain R/o B-4/266 Paryatan Vihar, Vasundhra Enclave Delhi-110096 inform that Nimai charan Swain and Munna Lal Swain are same person.
0040515896-1

I, Navin Kumar Jha S/o Kishori Jha R/o L-1/66, Mohan Garden, Delhi-110059, have changed my name to Naveen Kumar Jha.
0040515888-1

I, Muthu Cettu S/O Muthu Swamy R/O S-126/Cn-2, Kanak Durga-Colony, Sec-12, R.K.Puram, New-Delhi-110022., changed My Name To Sethu.
0040515975-6

I, Mukul S/o Ravi Kumar Verma R/o H.No-95, Sector 37, Faridabad-121003, Haryana, have changed my name to Mukul Verma for all purposes.
0040515933-1

I, Mukesh Chand S/O Dalip Singh, R/O Rzp-256, Gali No-5, Raj-Nagar-2, Palam-Colony, New-Delhi-110077,Changed My Name To Mukesh Chand Yadav.
0040515975-4

I, Mohd Farzaz S/o Naeemuddin R/o 3809, Gali Megzine Wali Churiwalan Chawri Bazar,Delhi-110006 have changed my name to Mohammad Farjaz.
0040515905-1

I, Mohd Ashqeen S/o-Mohd Sultan R/o-2967 Kucha-Mai Dass Bazar Sita-Ram Delhi-110006,have changed my name to Mohd Ashiqeen.
0040515995-1

I, Md.Abdulla Mallik S/O Nijamuddin Mallik,Residing At-H-111, New-Seelam pur, Delhi-110053,Have Changed The Name Of My Kutub Aged 34-Years And Shall Hereafter Be Known As Md.Abdulla Mallik.
0040515975-2

I, Khushbu Singh Spouse of Chandan kumar R/O VPO Rampur District Saharsa Bihar. Have changed my name from Khusboo to Khushbu Singh. Vide Affidavit dated 12.10.19 before Delhi court.
0040515927-1

I, Kamal Kumar Malik S/O Anand Swroop Malik R/o-B-10/47, Sector-3, Rohini, Delhi-110085,have changed my name to Kamal Malik.
0040515940-2

I, Imran@Imran Malik, S/o Shakeel Ahmed,R/o-T-17/B, M.B.Road, Pul-Prahladpur, Badarpur, South-Delhi, Delhi-110044,have changed my name to Imran Malik,for all future purposes.
0040515960-7

I, Gaurav Kumar s/o Gopal Singh r/o H-959, Mangolpuri, Delhi-110083, have changed my name to GAURAV SINGH.
0040515923-1

I, Ganesh Aggarwal S/o Ram Krishan Aggarwal R/o H No-17/19, Shakti Nagar, Delhi-110007 have changed my name from Ganesh Aggrwal to Ganesh Aggarwal for all purposes.
0040515934-1

I, Dishi Agarwal W/O Deepak Aggarwal R/O-Hno.18, Ashoka-Park Extension, East Punjabi Bagh, Delhi110026. Changedmy Nameto Cheena Aggarwal.
0040515960-2

I, Devender S/O Rajvir Singh H.No-41, Dwarka Sector-8, Village Bagdola, New-Delhi-110077, Changed My Name To Devender Yadav.
0040515975-3

I, Dheeraj s/o Mahiender Saini Res,G-10 Princess-Park Copernicus-Marg New-Delhi-110001.had changed my name to Dheeraj to Dheeraj Saini,for all future Purpose.
0040515944-3

I, Dheeraj Singh Rawat S/o-Govind Singh Rawat R/o C-62, Janta-Garden, Pandav-Nagar, Patparganj,Delhi-110092, have changed my name to Dhiraj Singh Rawat.
0040515940-9

I, Asma Iqbal W/O Mohd Asif Ansari R/O C-12/181, Yamuna Vihar Delhi-110053 Changed My Name To Asma Praveen.
0040515960-4

I, Deepak Agarwal S/O Pradeep Kumar Agarwal R/o Hno.18, Ashoka Park Extension,East Punjabi Bagh, Delhi-110026. Changedmy Nameto Deepak Aggarwal.
0040515944-10

I, Davesh PS Chauhan S/o Sh. Padam Singh Chauhan R/o A-160, Preet Vihar, Delhi-110091, have changed my name from Davesh PS Chauhan to Davesh Chauhan for all future purposes.
0040515891-1

I, Dal Chand S/o Arjun Prasad R/o-S S Jain Samaj, B-122B,Vivek-Vihar,Delhi-95.have changed to my name Devraj Prajapati for all Purposes.
0040515975-10

I, Chndra Kala Nirala and Chandan Bala,W/o Lt.Ram Chander Nirala,R/o-B-18/478, Indra-Camp Jhuggi-Kalyanpuri-East,Delhi-110091, that above both the name i.e.Chndra Kala Nirala and Chandan Bala are one of and the same person.
0040515971-1

I, Naresh Kumar Yadav S/o Late Sh. Umrao Singh Yadav R/o C-8, Block-C, Badli Extn. Delhi-42, have changed my name to Naresh Kumar for all purposes.
0040515931-1

I, Babu Thomas S/o Shri Thomas P R/o-B-8/1-D, Mayur-Vihar, Phase-III,Delhi-110096,inform that my son's name is wrongly entered in the school record as Febin .P. Babu, but correct name is Febin Babu.
0040515944-1

I, Avinash Kumar Gupta S/o Mathura Saw R/o-2/17, JAC-Road, Shipra-Suncity, Indrapuram, Ghaziabad-have changed my name to Avinash Gupta.
0040515940-1

I, Ashok Kumar Bhardwaj, S/O Sh.Anand Bhardwaj, R/O-AE-152, Shalimar-Bagh, Delhi-110088,Have changed my minor daughter name,from Adya Bhardwaj to Aadya Bhardwaj.
0040515960-6

I, Asha Chowdhary w/o Dipesh Gill R/o-4/41, First-Floor, Jangpura Extension, New-Delhi-110014,have changed my name to Asha Choudhary.
0040515940-7

I, Archana Vishal Tuljpure Spouse of Tuljpure Vishal Suresh VPO Hiwara(BK) District Washim Maharashtra. Have changed my name from Archana Madhav Wankhede to Archana Vishal Tuljpure. Vide Affidavit dated 12.10.19 before Delhi court.
0040515928-1

I, Archana Gupta R/o 100, SFS Hauz Khas Apartments, Hauz Khas New Delhi 110016 have changed my minor child's name from Aditya Singla to Aditya Kumar Date Of Birth 02/09/2005
0070678645-1

I, Ameena Begum W/o-Mohd Ashiqeen R/o-2967 Kucha-Mai Dass Bazar Sita Ram Delhi-110006, have changed my name to Amina Begum.
0040515995-2

I, Amarjit Kaur w/o Gurcharan Singh r/o 288-B, Model Town Extn., Ludhiana, Punjab-141002, have changed my name to AMANDEEP KAUR.
0040515887-1

I, Amaresh Chaube S/o Late Wg Cdr V V Chaube (8334) R/o 51/1 Jagdish Niwas, Mahamana Puri Colony, Varanasi-221005 have changed my name from Amaresh Chaube to Amaresh Chaturvedi for all future purposes. Amaresh Chaube and Amaresh Chaturvedi are same person.
0040515917-2

I, Amaresh Chaube S/o Late Wg Cdr V V Chaube (8334) R/o 51/1 Jagdish Niwas, Mahamana Puri Colony, Varanasi-221005 have changed my name from Amaresh Chaube to Amaresh Chaturvedi for all future purposes. Amaresh Chaube and Amaresh Chaturvedi are same person.
0040515917-2

I, Nabeezeth Beevi Koladathpadinjatahil W/o Abubakhar Kunju R/o JA 44 D LIG Flat, Hari Nagar N.D-110064, have change my name to Nabeesath Beevi.
0040515930-2

I, Karandeep Singh Mediratta s/o Varinder Pal Singh r/o-E-3 Ashok-Vihar Phase-1 Delhi-110052.have changed name Karandeep Singh for future
0040515940-6

I Hari Kala Sharma W/O Padam Prasad Sharma R/O-D-9 Anand-Vihar Delhi-110092 Have Change My Name To Harimaya Sharma.
0040515975-8

I, Harcharan Kaur alias Harcharan Kaur Brar D/o Bhupinder Singh and W/o Shaminder Singh Brar R/o New Harinda Nagar, Near Baba Farid School, Faridkot, Punjab-151203, have changed my name to Harcharan Kaur Brar
0070678653-1

I, Gaurav Kumar,S/o sh.Kishan Chand R/o-House.No-B-110, 3rd-Floor, KH.No- 27/14, Uday-Vihar, Nilothi-Extn. New-Delhi-110041,Have Changed my name to Gaurav Tyagi permanently
0040515940-8

I, Anshika Agarwal W/O Sandeep Sharma, R/O-Flat.No.1109, Gaur Heights, Sector 4, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201010, Hanged My Name To Anshika Sharma.
0040515944-4

I, Deepak Chauhan S/O Hardeep Raj Singh R/O HP-127 (FF), Pitampura, Delhi-110034 have changed my name to Deepak Raj Singh
0040515635-2

खोया+पाया

I, SURINDER Kumar Gulglani S/o-Mehar chand R/O-C-210,Nanak Paio Motibagh Delhi-21. Have lost my original-certificate class-10th year-1980 Rollno-068382, CBSE-Delhi.
0040515971-7

I, Samiksha Solanki, D/o Mukesh Singh Solanki, R/o-H-33/3, Sector-3, Rohini, Delhi-110085,have lost-Original CBSE-Certificates of Class-10th Roll.no.8678077(2012-14) and 12th Roll.no.9152221(2015-16).
0040515960-10

I, have lost my original CBSE Class 10th Year-2002 Roll No.6305590 and 12th Year-2004 Roll No 6600047 mark-sheet. name Deepa devi D/o Ram Sajivan R/o 23/12, Trilokpuri New Delhi-110091.
0040515904-1

I, Jyoti D/o Diwan Singh R/o-WZ-34 Begumpur Delhi-86,have lost my original-certificate class-10th(2015) roll-no-8697683 class-12th(2017) rollno-9664599,CBSE-Delhi.
0040515971-5

I, lost following Original Receipts of Flat No. CGE202 issued by DLF (1)
CLG/CRB/00281/0911 (2)
CLG/CRB/00169/0112 (3)
CLG/CRB/00173/0912 (4)
CLG/CRB/00174/0912 (5)
CLG/CRB/00175/0912 (6)
CLG/CRB/00251/0912 (7)
CLG/CRB/00033/0413 (8)
CLG/CRB/00150/1016 (9)
CLG/CRB/00151/1016 (10)
CLG/CRB17/000555.Finder may inform to Ms. Jyoti Pal, B-949, Sector-1, Avantika, Raja PurKalan, Rohini, Delhi-110085.
0040515892-1

I, ANNU Joshi D/o-Bhola Dutt Joshi R/o-st.no-22 karawal-nagar, Sabapuri Delhi. Have lost my original-certificate class-10th year-2014 Rollno-8637451 CBSE-Delhi.
0040515971-6

It is notified for the information that my Original grade sheet cum performance certificate of main Secondary-examination of year-2012 and Roll.No.8148231 issued by CBSE has been actually lost.name of the candidate is Md.Merajuddin Shirani and mobile no.is-9716100266.
0040515971-4

Lost my original CBSE-qualifying senior-secondary examination, 2018, certificate roll no. 9148381. Muskan Goyal D/o Hemender-Goyal, D-12/84, Sect.8, Rohini, Delhi-85.
0040515971-10

I, ARUN S/o Kishor kumar R/o-mcd school-mai chand wali-sungarpur Delhi-36,have lost my original-certificate class-10th(2011) Rollno-8678174 class-12th(2013) Rollno-9676291 CBSE Delhi.
0040515971-8

I, FAIZAN Ansari,S/o Nafis Ahmad R/o-B-315 st.no-3 30-ft. Road-Johripur extn., Delhi-94, have lost my original-certificate class-10th year-2017 Rollno-8167958 CBSE Delhi.
0040515971-9

I,Nandkishor S/O Hukum Singh R/O-E-80, Gali.No-13, Ambedkar Vihar,Johripur Extn.Delhi-110094,have lost my original High School certificate Roll.No-074538 (year-1980), U.P.Board.Finder please contact No-9990465513.
0040515932-1

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुझे श्रीमति मन्जू रानी पत्नी स्व. सुभाषचन्द गर्ग, निवासी फ्लैट नं. 101, टॉवर-2, ओमेक्स एनआरआई सिटी, जीएच-1, ग्रेटर नौएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर का पुत्र विशाल गर्ग पुत्र स्व. सुभाषचन्द गर्ग, निवासी फ्लैट नं. 137, जिनिया गौड सौन्दयर्म, ग्रेटर नौएडा (वेस्ट), ग्रेटर नौएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर बुरी संगत में पड़ गया है और उसका उठना बैठना बुरी संगत के व्यक्तियों में हो गया है जिसके कारण मेरे पुत्र विशाल गर्ग का पिछले काफी अर्से से मेरे से तथा मेरी चल व अचल सम्पत्ति से कोई वास्ता मिलकियत अथवा कब्जे का नहीं है और मेरे द्वारा अपने पुत्र विशाल गर्ग को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बहिष्कृत कर दिया है। भविष्य में मेरे पुत्र विशाल गर्ग का कोई ताल्लुक या वास्ता मेरी किसी चल व अचल सम्पत्ति से नहीं होगा।

Rajeev Agarwal (Advocate)
Reg.No.2920/88,Chamber No.811,Civil Court, Surajpur, Greater Noida, Gautam Budh Nagar.U.P.

PUBLIC NOTICE

To be known to all that I, Raj Paul Kapoor S/o Shri D.R. Kapoor R/o DDA Flat No. 349, Pocket-F, SFS Flats, Sarita Vihar, New Delhi-110076, Owner of above said Flat, The Original Documents i.e. Demand Letter & NOC of Water and Electricity of the above said flat vide file no. 127(4691)83SFS/SVII,have been lost. An NCR to this effect has been lodged in Police Station.

If anyone has any information supported with documents please contact at 8700597238 within 15 days after which any claims raised shall be considered as null and void or wavered.

PUBLIC NOTICE

We, 1) Sheetal Dewan, W/o Sanjay Dewan, 2) Chirag Dewan, S/o Sanjay Dewan, 3) Ekta Dewan, D/o Sanjay Dewan, all R/o H.N. 9, P-4, Airline Society, Greater Noida, U.P., hereby warn public at large not to do any business dealing or to lend any money to Sanjay Dewan. We hereby debar Sanjay Dewan from all our immovable and movable properties. Any person doing any business with or lending any money to Sanjay Dewan shall be doing so at his own risk and responsibility and we shall not be held responsible as we have no concern with the business of Sanjay Dewan.

-sd-
Saurabh Munjal, Advocate
D/508/1998(R) 9818019562
advmunjal@gmail.com
238-239, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110 054.

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल "किशन लाल दुआ" पुत्र स्व. आत्मा राम निवासी-मकान नं.-A-98, प्रियदर्शी विहार, लक्ष्मीनगर, दिल्ली-92 ने अपने पुत्र अनिल कुमार पुत्रवधू अंजू दुआ व उनके पुत्र दिव्यांश दुआ के अभद्र व्यवहार के कारण इनसे सभी सम्बन्ध समाप्त करके इन्हें अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखलकर दिया है, अपने कार्यों/लेन देन के वे स्वयं जिम्मेदार होंगे, मेरे मुवक्किल नहीं।

इन्द्र कुमार कथुरिया
एडवोकेट,
ENRL. No. D-2030/99
दिल्ली हाई, कोर्ट

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल, श्रीमती कमलेश, उम्र 59 वर्ष, पत्नी श्री भगवत स्वरूप, निवासी मकान नं. जी-105, ब्लाक-जी, हरकेश नगर, ओखला इन्डस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली-110020 ने अपने पुत्र श्री रवि शंकर एवं पुत्रवधू श्रीमती प्रीती तथा उनकी बेटी को उनके दुर्व्यवहार व गलत आचरण के कारण अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सम्बन्ध विच्छेद कर लिए है। इनके किसी कार्य लेन-देन व व्यवहार के लिए मेरे मुवक्किल या उसके परिजन जिम्मेदार नहीं होंगे।

हेमलता शर्मा (अधिवक्ता)
चै.न. 15, साकेत कोर्ट, दिल्ली-17

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I MAHINDER SINGH SARATHI S/o Late Sh. HARBIR SINGH, residing at B-36, Pink Apartments, Paschim Vihar, New Delhi - 110063, declare that name of my mother has been wrongly written as NIRUPAMA SARTHI and NIRUPAMA SARATHI in my educational documents, Service Book and Passport. The actual name of My mother is URMILA DEVI, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my clients Shri Dhirendra Mishra son of Radhey Shyam Mishra & smt. Usha Mishra wife of Shri Dhirendra Mishra both resident of 74 B,75-76C, R-Block Part-II, Vikas Nagar, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have disowned/ debarred their Daughter namely RASHMI MISHRA alias SHILPA from their movable and immovable properties due to her disrespectful behavior, out of control and have severed their relations with her for all intents and purposes with immediate effect, Anybody he/they deals with him will do so at his/her/their own risk and responsibility.

Ashok Kumar Tyagi & Associates (Advocates)
A-3, Main Najafgarh Road, Uttam Nagar,New Delhi-110059

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my Clients SH. RAKESH KUMAR SHARMA S/O LATE SH. B.R. SHARMA & SMT. SUNITA SHARMA W/O SH. R.K. SHARMA BOTH R/O WZ-196-C (F-32), GALI NO. 3, VIRENDER NAGAR, NEW DELHI 110058, have severed all their relations and connections with their son Mr. Ankit Sharma, have debarred and disowned him from all movable & immovable properties, with immediate effect, due to acting uncontrolled, disobedient unfamiliar & irresponsible attitude towards my clients. Whosoever deals with them in monetary form or in any other nature shall do so at her/his own cost, risk and responsibility.

Sd/-
MANISH K.SINGH (Advocate)
D/5526/2017

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client, Santosh w/o Late Shri Azad Singh R/o C-2/369, Sultan Puri, New Delhi-110086 have disowned/debarred her sons Shri Krishan & Sunil Kumar & daughter-in-law(s) Krishna w/o Shri Krishan & Pooja w/o Sunil Kumar all residing at above said address, from her all moveable & immovable assets/properties located at anywhere & also severed all relations with them. Any person/s dealing with them shall be at his/her own risk. **Parvesh Kr. Tyagi (Advocate)** Seat Behind Court Room No.36, Tis Hazari Courts, Delhi.

PUBLIC NOTICE

Our Client Sh. Jai Bhagwan S/o Sh. Mam Raj R/o 234, Sunlight Colony-1, Ashram South, New Delhi has disown his son Rajesh, his wife Sonia and his children Prachi, Charu and Diyisha, due to their undesirable behavior, from his all movable and immovable properties henceforth, anybody dealing/purchasing my clients property etc. from him shall be doing so at his own cost and risk our client shall have no concern/liability with any unlawful activities of his son and his family members in any manner whatsoever in future.

Sd/-
AKASH SAINI ADVOCATE AND LEGAL CONSULTANT OFFICE 5, LGF, SIRI FORT ROAD, NEW DELHI

PUBLIC NOTICE

Our Client Ms. Prem W/o Sh. Jai Bhagwan R/o 234, Sunlight Colony-1, Ashram South, New Delhi has disown her son Rajesh, his wife Sonia and his children Prachi, Charu and Diyisha, due to their undesirable behavior, from her all movable and immovable properties henceforth, anybody dealing/purchasing my clients property etc. from him shall be doing so at his own cost and risk our client shall have no concern/liability with any unlawful activities of her son and his family members in any manner whatsoever in future.

AKASH SAINI (ADVOCATE) OFFICE, 5, LGF, SIRI FORT ROAD, NEW DELHI

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Sh. Sant Lal S/o Late Lakhi Ram & Smt. Babli W/o Sant Lal both R/o H. No. 92, Village Basant Gaon PO- Vasant Vihar, New Delhi- 110057 have disowned/debarred her daughter Rachna from all her movable/immovable properties /assets and severed all her relation with her due to her mis-behaviour/misconduct towards my client and she is out of control of my client. If anybody deals with her will do so at her own risk and responsibility. My client shall not responsible for any kind of act done by her daughter.

Sd/-
G.S. Tiwari (Advocate)
D-9/G/2003

PUBLIC NOTICE

It is to be known to the public at large that my clients Mukesh Nath Tiwari S/o Sh. Gyaneshvar Nath Tiwari and his wife Laxmi, both R/o 481 Ground Floor, Pocket-1, Paschimpuri, New Delhi-63, have purchased property No.481 Ground Floor, Pocket-1, Paschimpuri, New Delhi vide a registered sale deed dated 25/10/2016, Registration No. 5.263 Book No.1 Volume No. 2925 at page No. 22 to 27. The entire chain of property documents except sale deed has been lost somewhere, anybody among the public if found please return to my clients at the above address.

Sd/-
K. B. HINA (ADVOCATE)
130, LIG FLATS, POCKET-3, PASCHIMPURI NEW DELHI-63

PUBLIC NOTICE

BE IT KNOWN TO ALL CONCERNED that my client Mohd. Yunus S/o Late Mr. Mohd. Ahmed and his wife Smt. Nadira, R/o G-52/15, First Floor (Left Side), Buland Apartment, Batla House, Jamia Nagar, New Delhi 110025 have no connection with their Mohd. Arif Khan and his wife Smt. Fareen D/o Mehboob Alam. By this notice my above named client do hereby disown and debar the abovesaid their son and his wife from inheriting the rights, titles, interests and liens etc. in respect of their self-acquired or inherited properties including all movable and immovable assets. Henceforth they and any of their issue/child shall have no claim or interest in their movable or immovable properties. My clients will not be responsible for any acts and deeds of above named son and his wife. Anyone dealing with them shall be doing so at his/her/ their own risk, cost and consequence.

Sd/-
Mohd. Asif (Advocate)
Delhi High Court
D/951/2011
329, Lawyers Chambers Block Saket Court, New Delhi-110017
Mob: +91 9311576258/9911576258

गो-संरक्षण में लापरवाही पर पांच अधिकारी निलंबित

लखनऊ, 14 अक्तूबर (जनसत्ता/भाषा)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गो-संरक्षण में लापरवाही बरतने के आरोप में सोमवार को महराजगंज के जिलाधिकारी समेत पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया।

मुख्य सचिव आरके तिवारी ने यहां संवाददाताओं को बताया कि गो-संरक्षण में लापरवाही बरतने वाले महराजगंज के जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय, गो-सदन के नामित सदस्य व निचलौल तहसील के तत्कालीन उपजिलाधिकारी देवेंद्र कुमार और वर्तमान उपजिलाधिकारी सत्यम मिश्रा, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव उपाध्याय और निचलौल के उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीके मौर्य को मुख्यमंत्री के आदेश पर निलंबित कर दिया गया है।

तिवारी ने बताया कि महराजगंज जिले की निचलौल तहसील स्थित मधवलिया गो-सदन में निराश्रित गोवंशीय पशुओं के रखरखाव में लापरवाही की लगातार मिल रही शिकायतों की जांच के लिए शासन ने गोरखपुर मंडल के अपर आयुक्त (प्रशासनिक) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। जांच में गोवंशीय पशुओं की संख्या में काफी भिन्नताएं पाई गईं। उन्होंने बताया कि सरकारी कागजात में जिले में कुल 2500 गोवंशीय जानवर मौजूद होने की बात कही गई थी, लेकिन मौके पर 954 पशु ही पाए गए। इसके अलावा गो-सदन की 500 एकड़ जमीन में से अधिकारियों द्वारा गैरकानूनी तरीके से 328 एकड़ भूमि किसानों, फर्म व अन्य व्यक्तियों को दिए जाने की बात भी सामने आई। मुख्य सचिव ने कहा कि जांच में आरोपी अधिकारी संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पाए। जांच में पाया गया कि पशु व जानवरों के रखरखाव के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए जान-बूझकर पशुओं की संख्या ज्यादा दिखाई गई थी।

पांच साल में टोल से कमाई एक लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक पहुंच सकती है : गडकरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को यह दावा किया कि इलेक्ट्रॉनिक पथ कर संग्रह कार्यक्रम जैसी पहलों से भारत का टोल संग्रह अगले पांच साल में बढ़कर एक लाख करोड़ रुपए सालाना हो सकता है।

गडकरी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के अधीन कुल 1.4 लाख किलोमीटर राजमार्ग आता है, जिसमें से 24,996 किलोमीटर राजमार्ग टोल के दायरे में आता है। साल के अंत में यह बढ़कर 27,000 किलोमीटर हो जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक दिसंबर 2019 से टोल भुगतान केवल 'फास्टैग' के जरिए होगा। यह मंत्रालय की प्रमुख पहल है, जो कि वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगी और बाधाओं को दूर करेगी। जीएसटी परिषद, जीएसटी ई-वे बिल प्रणाली के एकीकरण की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी चुकी है। इस संबंध में करार भी किया गया है। गडकरी ने 'एक राष्ट्र एक फास्टैग' पर आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि हमारा पथ कर संग्रह सालाना 30,000 करोड़ रुपए है, चूंकि हम और सड़कें बना रहे हैं, लिहाजा हम इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे कि अगले पांच साल में पथ कर से होने वाली आय बढ़कर सालाना एक लाख करोड़ रुपए हो जाए।

प्री-स्कूल में बच्चों का लगातार आकलन होना चाहिए : एनसीईआरटी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) का कहना है कि प्री-स्कूल स्तर पर हर बच्चे की प्रगति का लगातार आकलन किया जाना चाहिए। इसके लिए चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो और अन्य बच्चों के साथ संवाद जैसी तकनीकों एवं उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। एनसीईआरटी ने प्री-स्कूल शिक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इनके मुताबिक इस स्तर पर किसी भी बच्चे की कोई लिखित या मौखिक परीक्षा नहीं होनी चाहिए। एनसीईआरटी ने इस प्रकार की परीक्षाओं को हानिकारक एवं अवांछनीय प्रक्रिया करार देते हुए कहा कि इससे अभिभावकों में अपने बच्चे के लिए जो आकांक्षाएं पैदा होती है, वे सही नहीं होतीं। परिषद ने कहा कि प्री-स्कूल के विद्यार्थियों के आकलन का मकसद उन पर पास या फेल का ठप्पा लगाना नहीं है।

एनसीईआरटी के एक अधिकारी ने कहा कि किसी भी हाल में बच्चों की मौखिक या लिखित परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। इस चरण पर आकलन का मकसद बच्चे पर पास या फेल का ठप्पा लगाना नहीं है। अधिकारी ने कहा कि इस समय हमारे देश प्री-स्कूल कार्यक्रम बच्चों को बोझिल दिनचर्या में बांध देते हैं। ऐसे भी कार्यक्रम है, जहां विशेषकर अंग्रेजी को ध्यान में रखते हुए बच्चों को संरचित औपचारिक शिक्षा दी जाती है, उन्हें परीक्षा देने या गृहकार्य करने को कहा जाता है और उनसे खेलने का अधिकार छीन लिया जाता है।

ई - प्रोक्योरमेन्ट सेल
मुख्य अभियंता का कार्यालय, कम्बाईन्ड ऑफिस बिल्डिंग
भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची

ई-प्रोक्योरमेन्ट नोटिस(द्वितीय आमंत्रण)(अति अल्पकालीन)

टेन्डर रेफरेन्स नं0-BCD/CE/34/Ranchi Div-01 /2019-20
दिनांक- 14-10-2019

1	कार्य का नाम	Proposed Construction of Viewing Deck at Sita Fall Ranchi
2	प्राक्कलित राशि (रू0)	रू0 1,22,50,659.00 (रुपये एक करोड़ बाइस लाख पचास हजार छः सौ उनसठ) मात्र ।
3	कार्य पूर्ण करने की अवधि	6 महीने
4	वेबसाइट पर निविदा प्रकाषन की तिथि	17-10-2019
5	बिड प्राप्ति के लिए अन्तिम तिथि / समय	24-10-2019 के 11.00 AM तक
6	निविदा प्रकाषित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता	ई - प्रोक्योरमेन्ट सेल मुख्य अभियंता का कार्यालय , कम्बाईन्ड ऑफिस बिल्डिंग, भवन निर्माण विभाग, लाईन टैंक रोड, रांची।
7	प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी का सम्पर्क संख्या	0651-2206238
8	ई-प्रोक्योरमेंट सेल का हेल्पलाईन संख्या	0651-2206238

- किसी भी प्रकार का बदलाव http://jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है।
- अन्य किसी भी प्रकार की सूचना http://jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

Note: UCAN Registration is mandatory for the Bidders

नोडल पदाधिकारी
ई - प्रोक्योरमेन्ट सेल, मुख्य अभियंता का कार्यालय, कम्बाईन्ड ऑफिस बिल्डिंग, भवन निर्माण विभाग, लाईन टैंक रोड, रांची

PR219659 (Building)19-20*D
बूंद - बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद को तरसेंगे

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लघु वितरणी प्रमंडल संख्या-5, डिमना, जमशेदपुर।
(Email – eemdd5dim.chandil@gmail.com)

ई0 प्रोक्युरमेंट नोटिस (2nd Call)

ई0 निविदा प्रसंग सं0 : **WRD/MDD5/DIMNAJSR/SBD-02/2019-20**
दिनांक : 14.10.2019

1.	कार्य का नाम	:	Construction of residual work of H/R, Intake sump house, Pump House, Rising Pipe Line, Operator Quarter, Approach road and retaining wall for OL-38 (Pump Irrigation) at Km. 85.47 of CLMC.
2.	प्राक्कलित राशि	:	रू0 1131.81 लाख
3.	कार्य समाप्ति की अवधि	:	455 दिन
4.	वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि एवं समय	:	दिनांक 17.10.2019 को 11:00 बजे पूर्वाहन
5.	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	दिनांक 04.11.2019 को अपराह्न 5:00 बजे तक।
6.	अग्रधन की राशि	:	रू0 11.35 लाख (प्राक्कलित राशि का एक प्रतिशत)
7.	अग्रधन एवं परिमाण विपत्र की राशि जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	:	दिनांक 05.11.2019 को अपराह्न 5:00 बजे तक।
8.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	दिनांक 06.11.2019 को अपराह्न 12:30 बजे।
9.	निविदा प्रकाशित करने वाले पदाधिकारी का पद एवं पता	:	ई0 सत्येन्द्र कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमंडल संख्या-5, डिमना, जमशेदपुर।
10.	ई0 प्रोक्युरमेंट पदाधिकारी का दूरभाष संख्या	:	+91-7033911961
11.	ई0 प्रोक्युरमेंट सेल का दूरभाष संख्या	:	0657 – 2371765

नोट : सिर्फ ई0 निविदा स्वीकार होगा।
विस्तृत जानकारी के लिए हमारे वेबसाईट http://jharkhandtenders.gov.in देखें।

बूंद - बूंद नही बरतेंगे तो बूंद को तरसेंगे

कार्यपालक अभियंता
लघु वितरणी प्रमंडल संख्या-5, डिमना, जमशेदपुर।

PR 219625 (Water Resource) 19-20 (D)

विशेष विवाह कानून अब सिक्किम में होगा लागू

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 को सिक्किम में लागू करने को मंजूरी दे दी है जिसके तहत अंतर-धार्मिक विवाहों का पंजीकरण किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद से सिक्किम में इस कानून का उल्लंघन करने पर दंडात्मक प्रावधान भी प्रभाव में आ जाएंगे। मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 341 एफ के उपबंध (एन) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति कुछ बदलावों के साथ सिक्किम में विशेष विवाह अधिनियम, 1954 को लागू करते हैं।

PUBLIC NOTICE

Public in general is hereby informed that my client Mr. Nanhe Sharma S/o Late Sh. Narsingh Sharma aged about 68 years R/o House No. 1145, Madanpur Khadar, J.J. Colony, Phase-3, Sarita Vihar, New Delhi-110076 have dis-owned their son, daughter in law and grandchildren namely Raj Sharma aged about 24 yrs, Neetu W/o Raj Sharma aged about 26 years respectively who are residing separately from my client since 7 years; from all their movable and immovable properties/assests and severed all relations because of their misconduct and misbehavior towards him. In future my client shall not be responsible for any of their acts, deeds, etc.

BHAWNA JAKHETIA (ADVOCATE)
M : 9711230627

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed to public at large on behalf of my client Sh. Deepak Jain S/o Late Sh. Parmod Kumar Jain R/o 1281, Vakilpura Gali Guliyan, Jama Masjid, Delhi-110006 have severed/ disconnected his all relationship with Sh. Mohit Jain S/o Late Sh. Parmod Kumar Jain and Smt. Manisha W/o Sh. Mohit jain & D/o Sh. Shyam Sunder Sharma and their children all R/o 2/82, Geeta Colony, Near Gurudwara, Delhi-110031 for being disobedient, quarrelsome and disrespectful towards my clients. Even my clients has got no visiting terms with them. If anyone deals with them, he/she/they may do so at /his/ her/ their own risk, cost and consequences. My clients shall not be responsible to anybody for the acts, deeds and misdeeds of the above named persons.

Sd/-
Rajeev Garg (Advocate)
E. No. D-307/1995
Chamber No. 750, Western Wing
Tis Hazari Courts Delhi-54

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

विद्यार्थियों व बुजुर्गों को मेट्रो किराए में मिलेगी रियायत

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)।

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुजुर्गों और विद्यार्थियों को दिल्ली मेट्रो में रियायती दर पर यात्रा सुविधा का लाभ देने के तकनीक आधारित उपाय सुनिश्चित करने का दावा करते हुए कहा है कि जल्द ही इस महत्त्वपूर्ण फैसले की घोषणा की जाएगी।

पुरी ने बताया कि सरकार ने मेट्रो में मुफ्त यात्रा सेवा देने के बजाए, केवल जरूरतमंद यात्रियों को ही किराए में रियायत देने की पहल की थी। इसके तहत ऐसा तकनीक आधारित उपाय तय किया गया है जिससे यात्रियों को माकूल लाभ भी मिले और मेट्रो सेवा की गुणवत्ता भी बिल्कुल प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि मैंने संसद में बयान दिया था कि हम मेट्रो में विद्यार्थियों और बुजुर्ग यात्रियों को रियायती यात्रा सुविधा मुहैया कराने के लिए तकनीक आधारित समाधान पेश करेंगे। हमने रियायती यात्रा सुविधा का तकनीक आधारित तरीका तय कर लिया है। जल्द ही इसे लागू करने की घोषणा की जाएगी।

केजरीवाल सरकार की ओर से विद्यार्थियों और महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने की घोषणा के सवाल उन्होंने कहा कि हमने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि सरकार महिलाओं को किसी भी प्रकार की सुविधा देने के खिलाफ नहीं है। हमारा मानना है कि ऐसी कोई भी सुविधा जरूरत पर आधारित होना चाहिए। विद्यार्थियों और बुजुर्गों को दी जाने वाली रियायत में छात्राएं और बुजुर्ग महिलाएं स्वतः शामिल हो जाएंगी, जो कि सही मायने में इस सेवा के लिए जरूरतमंद हैं। केजरीवाल सरकार की दलील है कि मुफ्त यात्रा का वित्तीय बोझ दिल्ली सरकार उठाएगी।

पुरी ने कहा कि हमने जो फॉर्मूला तय किया है, वह छात्राओं और बुजुर्गों तक सीमित नहीं है। बाद में इसे अन्य जरूरतमंद लोगों तक विस्तृत किया जा सकेगा।

● आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुजुर्गों और विद्यार्थियों को दिल्ली मेट्रो में रियायती दर पर यात्रा सुविधा का लाभ देने के तकनीक आधारित उपाय सुनिश्चित करने का दावा किया

दिल्ली में बनेगा कौशल और उद्यमिता विवि

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने शहर में रोजगारपरक कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है। केजरीवाल ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी से दिल्ली विधानसभा में एक विधेयक लाया जाएगा।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि आज देश में बेरोजगारी और युवाओं में इसको लेकर गंभीर चिंता है। इसीलिए सरकार ने युवाओं में कौशल के विकास के लिए नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि उनकी अध्यक्षता में हुई दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया।

केजरीवाल ने कहा कि मुझे आशा है कि उपराज्यपाल की मंजूरी और विधानसभा से विधेयक के पारित होने के साल भर के अंदर विश्वविद्यालय चलने लगेगा। केजरीवाल ने कहा कि यह विश्वविद्यालय अलग अलग अवधियों के विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करेगा और उत्तीर्ण होकर निकलने वाले विद्यार्थियों के लिए रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में 50 हजार विद्यार्थी अध्ययन कर पाएंगे और वह विभिन्न देशों, औद्योगिक संघों एवं कंपनियों के साथ हाथ मिलाकर चलेगा। उन्होंने कहा कि बाजार की जरूरत के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा।

आतिशी की याचिका पर गंभीर पर आदेश सुरक्षित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर।

दिल्ली की एक अदालत ने 'आप' नेता आतिशी मरलेना की शिकायत पर भाजपा नेता गौतम गंभीर को आरोपी के तौर पर तलब करने पर आदेश सोमवार को सुरक्षित रखा। आतिशी ने आरोप लगाया था कि गंभीर का नाम दिल्ली के दो विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के तौर पर दर्ज है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने आदेश 22 अक्तूबर के लिए सुरक्षित रखा। अदालत ने आतिशी की दलीलों पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा। आतिशी ने कहा था कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर को आरोपी के तौर पर तलब करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।

अनूप कुमार मेंदीरत्ता विधि सचिव नियुक्त

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)।

अपनी तरह के पहले मामले में एक सेवारत जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सोमवार को केंद्रीय विधि सचिव नियुक्त किया गया। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के मुताबिक अनूप कुमार मेंदीरत्ता को केंद्रीय कानून मंत्रालय में नया विधि सचिव (सचिव, कानूनी मामले) नियुक्त किया गया है।

मेंदीरत्ता फिलहाल दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर-पूर्वी जिला के तौर पर कार्यरत हैं। आदेश में कहा गया कि उन्हें इस पद पर संविदा के आधार पर 30 मार्च 2023 तक के लिए नियुक्त किया गया है। विधि सचिव के पद पर पिछले साल दिसंबर से ही किसी पूर्ण कालिक अधिकारी की तैनाती नहीं थी। आम तौर पर सचिव (विधि मामले) के तौर पर विधि सेवा के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं।

प्रपत्र "जी"
रूचि के लिए अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण
[illegible]
विनियम 36ए (1) के अधीन]
कार्पोरेट देनदार का नाम : उन्नती फॉरचून हॉटमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
शुद्धि पत्र
उपरोक्त से संबंधित विज्ञापन दिनांक 12.10.2019 के लिए इस समाचार पत्र में शिड्यूल था लेकिन प्रकाशक स्तर पर तकनीकी कारणवश यह दिनांक 13.10.2019 को प्रकाशित हुआ। कृपया उसे सुधारकर 12.10.2019 पढ़े व माने। असुविधा के लिए खेद है।

State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक
तनावग्रस्त परिसम्पत्ति वसूली शाखा II, 18/4, 4था तल, एसबीआई हाउस, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
ईमेल: sbi.51521@sbi.com
कब्जा सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत
जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के एक्ट नं. 54) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त परिसम्पत्ति वसूली शाखा II, 18/4, 4था तल, एसबीआई हाउस, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 1.8.2019 जारी कर ऋणधारक मै. मंगला प्रॉवीजन स्टोर, द्वारा उसके प्रॉप्राईटर श्री लक्ष्मण मंगला, पुत्र श्री धरम पाल मंगला (साथ ही गारन्टर) तथा मार्टगैजर सह-गारन्टर श्रीमती सुमन मंगला, पत्नी श्री लक्ष्मण मंगला को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 31.7.2019 को रु. 2,03,00,380.14/- (रुपये दो करोड़ तीन लाख तीन सौ अस्सी तथा पैसे चौदह मात्र) तथा 1.8.2019 से आगे का ब्याज तथा अनुषांगिक चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/ गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 11 अक्टूबर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31.7.2019 को रु. 2,03,00,380.14/- (रुपये दो करोड़ तीन लाख तीन सौ अस्सी तथा पैसे चौदह मात्र) तथा 1.8.2019 से आगे का ब्याज तथा अनुषांगिक चार्जेज जो बैंक द्वारा वहन की गई है, के लिये भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त परिसम्पत्ति वसूली शाखा II, 18/4, 4था तल, एसबीआई हाउस, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण
1. गोदाम में पड़ी स्टॉक्स, स्पेयर्स तथा अन्य वस्तुओं तथा बुक डेब्ट्स सहित फर्म की सम्पूर्ण चालू परिसम्पत्तियों का हाइपोथेकेशन
2. श्री लक्ष्मण मंगला पुत्र श्री धरम पाल मंगला के नाम में व्यावसायिक-सह-आवासीय सम्पत्ति, मकान सं. 332/307, शिव कॉलोनी, मौजा सीही, तहसील बल्लभगढ़ फरीदाबाद, माप 160 वर्ग यार्ड्स का ईएम।
चौहद्दीः पूर्वः अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति, उत्तरः रास्ता, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति
3. श्रीमती सुमन मंगला, पत्नी श्री लक्ष्मण मंगला एवं श्री लक्ष्मण मंगला पुत्र धरम पाल मंगला के नाम में सम्पत्ति खेवत/खाता नं. 524/581, रेक्ट. नं. 128, किल्ला नं. 11/1 (5-17), मुजेरी इंडस्ट्रियल एरिया, टिगाँव रोड, मौजा सीही, तहसील बल्लभगढ़, फरीदाबाद, माप 200 वर्ग यार्ड्स का ईएम।
चौहद्दीः पूर्वः अन्य सम्पत्ति, उत्तरः अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः रास्ता, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति
तिथिः 11.10.2019, स्थानः फरीदाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक
तनावग्रस्त परिसम्पत्ति वसूली शाखा II, 18/4, 4था तल, एसबीआई हाउस, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
ईमेल: sbi.51521@sbi.com
कब्जा सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत
जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के एक्ट नं. 54) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त परिसम्पत्ति वसूली शाखा II, 18/4, 4था तल, एसबीआई हाउस, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 1.8.2019 जारी कर ऋणधारक श्री ओम प्रकाश सिंह, पुत्र श्री राम पाल सिंह (साथ ही मार्टगैजर) एवं श्रीमती लीलावती, पत्नी श्री ओम प्रकाश सिह को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 1.8.2019 को रु. 43,65,549.00/- (रुपये तैंतालिस लाख पैंसठ हजार पाँच सौ उन्चास मात्र) के साथ 2.8.2019 को आगे के ब्याज तथा अनुषांगिक चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/ गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 11 अक्टूबर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 1.8.2019 को रु. 43,65,549.00/- (रुपये तैंतालिस लाख पैंसठ हजार पाँच सौ उन्चास मात्र) के साथ 2.8.2019 को आगे के ब्याज तथा अनुषांगिक चार्जेज जो बैंक द्वारा वहन की गई है, के लिये भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त परिसम्पत्ति वसूली शाखा II, 18/4, 4था तल, एसबीआई हाउस, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण
बिक्री प्रलेख दस्तावेज सं. 4777, वॉल. नं. 2421, पेज-305-342, तिथि 14.5.2004 द्वारा पंजीकृत श्री ओम प्रकाश सिंह, पुत्र श्री राम पाल सिंह के नाम में आवासी मकान सं. 6/45, ब्लॉक-6, सेक्टर-5, टी.एच.ए. आवासीय कॉलोनी, राजिन्दर नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.-201005, माप 134.86 वर्ग मी.।
चौहद्दीः पूर्वः रोड, पश्चिमः मकान सं. 81, उत्तरः मकान सं. 6/44, दक्षिणः मकान सं. 6/46
तिथिः 12.6.2019, स्थानः गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

NOTICE INVITING APPLICATION FOR ALLOTMENT OF SHOPS AT SANTUSHTI SHOPPING COMPLEX, NEW DELHI
1. **Air Officer Commanding, Air Force Station New Delhi,** invites sealed application from resident Indian Nationals for allotment of shops at Santushti Shopping Complex, New Willingdon Camp, Lok Kalyan Marg New Delhi-110003.

Shop No	Size	Shop No	Size	Shop No	Size
02	413 sqft	07	262 sqft	15	425 sqft
23	378 sqft	36	413 sqft		

2. The period of allotment will be three years wef 01 Dec 2019. The shops will be allotted as per provision of **Defence Shopping Complex (Maintenance & Administration) Rules, 2006.**
3. The rates for allotment of the shop are fixed and will be charged as License Fee 160/- per sqft, Maintenance charges 60/- per sqft and GST @18%. In addition water & electricity charges will be charged as per consumption. **The maintenance charge will be increased by 5% every year.**
4. The application form can be collected from Santushti Shopping Complex Office, on all working days starting from **16 Oct 19 from 1000 hrs to 1630 hrs @ Rs 500/-** each (non-refundable). Earnest Money Deposit (EMD) equivalent to one month License fee i.e. (Area of shop X Rs 160/-psf) in the form of Demand Draft/ Bankers Cheque issued by any nationalized bank or ICICI, HDFC and AXIS Bank is to be drawn in favour of **"Santushti 412 Air Force Station New Delhi".** Application form duly completed in all respect along with EMD, is to be submitted to SSC office **on or before 1500 hrs by 01 Nov 19.** Applications form without **EMD will be summarily rejected.**
5. Any clarification regarding allotment of Shops or any other issues for prospective allotees will be addressed at the office of Santushti Shopping Complex between 1100 hours to 1600 Hrs on all working days (Monday to Saturday) till 30 Oct 19. **The allotment of Shops by draw of lot, if applicable, will be held at 1500 Hrs on 15 Nov 2019 at Santushti Shopping Complex.**
6. For further details please contact Tele no. 011-24679220, Mobile no. 8130973799, or email on santushtishoppingcomplex123@gmail.com
7. **Air Officer Commanding, Air Force Station New Delhi, reserves the right to withdraw any shop and / or accept or reject any tender or application without assigning any reason.**

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
एएफटीएस गुडगाँव ब्रांच सोहना रोड एयर फोर्स स्टेशन कैंपस गुडगाँव हरियाणा 122 001
कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिये) [अधिनियम-नियम 8(1) के अंतर्गत परिशिष्ट IV]
जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे तालिका में वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि तथा उस पर आगे की लागत, ब्याज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, सम्पत्ति के स्वामी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 9 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर आगे की लागत, ब्याज आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये सिंडिकेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

क्रम सं.	ऋणधारक/गारन्टर का नाम	गिरवी रखी गई सम्पत्ति का विवरण	धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना में वर्णित बकाया राशि	मांग सूचना तिथि
1.	1) श्री महेश पुत्र श्री हीरा 2) श्री रवि कुमार पुत्र श्री फकीर चन्द	श्री महेश के स्वामित्व में खसरा नं. 14830/12157/882 गुड़गाँव, जिला गुरुग्राम में शामिल अचल सम्पत्तिः मकान सं. 739/11 (नया), मकान सं. 502 (पुराना), गली नं. 13, शीतला विद्यापीठ स्कूल के निकट, ज्योति पार्क, माप 54 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः दूसरों का 30 फीट प्लॉट, पश्चिमः दूसरों का 30 फीट प्लॉट, उत्तरः ओम प्रकाश का 18 फीट 8 इंच का प्लॉट, दक्षिणः 13 फीट 8 इंच गली 27 फीट चौड़ा।	रु. 9,59,119.39/- (रुपये नौ लाख उन्सठ हजार एक सौ उन्नीस एवं पैसे उन्तालिस मात्र)	2.8.2019
2.	1) श्री अमित ठाकुर पुत्र श्री राजेन्दर सिंह तथा श्रीमती दीपा ठाकुर पत्नी श्री अमित ठाकुर 2) अनुराग ठाकुर पुत्र श्री राजेन्दर सिंह	अमित ठाकुर के स्वामित्व में अचल सम्पत्ति- ''मकान सं. 808/5, गली नं. 4, पटेल नगर, गुड़गाँव'' का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः हरिनंद का मकान, पश्चिमः रास्ता, उत्तरः केसी गुप्ता का मकान, दक्षिणः राजवीर सिंह का मकान	रु. 18,98,250.19 (रुपये अठारह लाख अन्ठानवे हजार दो सौ पचास तथा पैसे उन्नीस मात्र)	3.8.2019

तिथिः 15.10.2019 — हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः गुड़गाँव — सिंडिकेट बैंक

NHHFDL New Habitat Housing Finance and Development Limited
न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड मैज़नाईन तल, एम-4, नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट-II, नई दिल्ली-110049
कॉरपोरेट कार्यालयः सी-1, सैक्टर-3, नोएडा-201301, फोन : 0120-4180500
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है।
न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन पी ए हो चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांकों को पंजीकृत डाक पावती सहित /स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा आप सभी को भेजी गयी थी, जिसकी पावती प्राप्त नही हुई/जो बिना तामील वापस प्राप्त हो गयी है। मांग सूचना निम्नांकित दिनांकों में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपके द्वारा सूचना में दर्शायी राशी 60 दिनों के अन्दर जमा नही करायी गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक सम्पत्तियों जो कि निम्नलिखित ऋणियों/जमानतदारो के नाम है, उनका आधिपत्य ले लिया जायेगा और कब्जा सूचना/ई-नीलमी सूचना में कर्जदार व गारंटरों की फोटो प्रकाशित की जायेगी। बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

कर्जदार/गारन्टर के नाम एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तारीख / बकाया राशि	सिक्योर्ड आस्तियों का विवरण
श्री राहुल बंसल, श्रीमती मधू बाला बंसल, नरेन्द्र कुमार बंसल, मकान नं. 199ए, मालीवाड़ा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201001 में स्थित; खाता संख्या: NHS/N/HEA/NOI/0216/0007 ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि 03-09-2019	मांग सूचना की तारीख 18-09-2019; बकाया राशि ₹ 33,54,370/- दिनांक 18-09-2019 तक + ब्याज एवं कानूनी प्रभार इत्यादि	ओल्ड सम्पत्ति नं. 155, न्यू सम्पत्ति नं. 240, कपूर बेकरी, मोहल्ला सोहन लाल, सिहानी गेट, गाजियाबाद, यू.पी में स्थित

उक्त वर्णित ऋणियों / जमानतदारों को सलाह है कि (1) अधिक एवं विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से मूल नोटिस प्राप्त कर लें (2) मांग सूचना में दर्शायी गयी बकाया राशि ब्याज एवं खर्चे आदि सहित मांग सूचना की दिनांक के 60 दिनों के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें।
दिनांक : 10.10.2019, स्थान : नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी, न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड

शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
पंजीकृत कार्यालय : 13/207, अंसारी रोड, सहारनपुर-247001 (उ.प्र.)
मुख्य कार्यालय : द्वितीय तल, 5ए एवं 5बी, फ्यूजन स्क्वेयर, सेक्टर 126, नोएडा
परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
जबकि, अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण (''सरफाएशी अधिनियम'') और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ में शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., बैंकिंग कम्पनी, जिसका पंजीकृत पता 13/207, अंसारी रोड, सहारनपुर-247001 (उ.प्र.) तथा मुख्य कार्यालय का पता द्वितीय तल, 5ए एवं 5बी, फ्यूजन स्क्वेयर, सेक्टर 126, नोएडा है, का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों/पक्षों से कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना निर्गत की थी।
निम्नलिखित कर्जदार/रों/जमानतियों/गिरवीकर्ताओं के राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदार/रों/जमानतियों/गिरवीकर्ताओं को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है।
प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के सम्बन्ध में उपलब्ध समय-सीमा के लिए कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।
नीचे लिखे कर्जदार/रों/जमानतियों/गिरवीकर्ताओं को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतद्वारा इस सम्पत्ति से कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार अनुबन्ध दर पर इस पर भावी ब्याज तथा प्रतिस्थापित ब्याज, आकस्मिक व्ययों, लागतों तथा प्रभारों आदि सहित के लिए शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अभियोग का प्रभार होगा।

कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/गिरवीकर्ता(ओं) के नाम	अचल सम्पत्तियों का विवरण	माँग सूचना की तिथि तथा राशि कब्जा की तिथि
1. श्री अजीम खान (कर्जदार) पुत्र यासीन खान निवासी मोह.-गुलाम ओलिया, गंगोह, सहारनपुर-247341 2. श्रीमती नाजमीन खान (सह-कर्जदार) पत्नी अजीम खान निवासी मोह.-गुलाम ओलिया, गंगोह, सहारनपुर-247341 तथा 3. मोहम्मद नौशाद (जमानती तथा गिरवीकर्ता) पुत्र मतलूब खान निवासी मोह.-गुलाम ओलिया, गंगोह, सहारनपुर-247341	मोहम्मद गुलाम ओलिया कस्बा-गंगोब, परगना-गंगोह, तहसील नकुड, गंगोब, जिला सहारनपुर पर निर्मित मकान सहित वाणिज्यिक सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग, कुल माप 27.34 वर्ग मीटर जो मोहम्मद नौशाद पुत्र मतलूब खान के नाम से है,बही सं. 1, जिल्द सं. 7311, पृष्ठ सं. 71-88 पर पंजीकृत, दस्तावेज सं. 13753 दिनांक 28.10.2015 को उपरजिस्ट्रार-नकुड के पास प्रलेखित। सीमा : उत्तर की ओर सब्बा हुस्लमा की दुकान, दक्षिण की ओर हाजी इलियास का मकान/दुकान, पूर्व की ओर सड़क, पश्चिम की ओर मकबूल खान का मकान, मापित सम्पत्ति के स्वामी : मोहम्मद नौशाद पुत्र मतलूब खान।	माँग सूचना की तिथि : 31.07.2019 कब्जा की तिथि : 3.10.2019 बकाया राशि : रु. 5,39,527.86 (रुपये पाँच लाख उनतालीस हजार पाँच सौ सत्ताईस और छियासी पैसे मात्र)
1.श्री दिनेश कुमार गुप्ता (कर्जदार) पुत्र श्री रवि दत्त गुप्ता निवासी म.नं. 599/1, माधवपुरम, दिल्ली रोड, मेरठ, 2. श्रीमती पूनम गुप्ता (गिरवीकर्ता) पत्नी श्री दिनेश कुमार गुप्ता निवासी म.नं. 599/1, माधवपुरम, दिल्ली रोड, मेरठ, 3. श्री संजय अग्रवाल (जमानती) पुत्र श्री नरेश चंद निवासी निवासी म.नं. 199/1, माधवपुरम, दिल्ली रोड, मेरठ तथा 4. महेश कुमार (जमानती) पुत्र श्री रवि दत्त गुप्ता निवासी म.नं. 821, वार्ड सं. 36, शिव शक्ति नगर, दिल्ली रोड, मेरठ।	प्लॉट सं. 596/1 सेक्टर 01 स्कीम 10, दिल्ली रोड, माधवपुरम मेरठ, उ.प्र. पर निर्मित मकान सहित वाणिज्यिक सम्पत्ति का कुल भाग जिसकी कुल माप क्षेत्रफल 76.68 वर्ग मीटर है जो श्रीमती पूनम गुप्ता पत्नी श्री दिनेश कुमार गुप्ता के नाम पर है। बही सं. 1, जिल्द सं. 1625, पृष्ठ सं. 71-84 पर पंजीकृत, उपरजिस्ट्रार-मेरठ-III, के कार्यालय में दिनांक 25-02.2002 को प्रलेख सं. 1345. सीमा : उत्तर की ओर मकान नं. 595/1, दक्षिण की ओर मकान नं. 597/1, पूर्व की ओर 12 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम की ओर मकान नं. 589/1, मापित सम्पत्ति के स्वामी : श्रीमती पूनम गुप्ता पत्नी श्री दिनेश कुमार गुप्ता	माँग सूचना की तिथि : 02.08.2019 कब्जा की तिथि : 10.10.2019 बकाया राशि : रु. 13,51,554.70 (रुपये तेरह लाख इक्यावन हजार पाँच सौ चौवन और सत्तर पैसे मात्र)
1.श्री बाबू खान (कर्जदार एवं गिरवीकर्ता) पुत्र श्री नूर मोहम्मद निवासी म.नं. 417/13, सेक्टर-13, शास्त्री नगर, मेरठ, 2. श्रीमती रहमत खान (सह-कर्जदार) पत्नी श्री बाबू खान, निवासी म.नं. 417/13, सेक्टर-13, शास्त्री नगर, मेरठ, 3. श्री सलीम (गिरवीकर्ता) पुत्र श्री नूर मोहम्मद निवासी म.नं. 417/13, सेक्टर-13, शास्त्री नगर, मेरठ 4. श्री शमील (जमानती) पुत्र श्री नूर मुहम्मद निवासी ग्राम एवं पोस्ट कायस्थ बाड़ा, गढ़ रोड, मेरठ तथा 5. श्री शोएब (जमानती) पुत्र श्री शमील निवासी ग्राम एवं पोस्ट कायस्थ बाड़ा, गढ़ रोड, मेरठ।	खसरा नं. 48 एमआई, ग्राम कमालपुर, निकट जागृति विहार एक्सटेंशन, रिंग रोड, मेरठ उ.प्र. पर निर्मित मकान सहित वाणिज्यिक सम्पत्ति का कुल भाग जिसकी कुल माप क्षेत्रफल 108.73 वर्ग मीटर है जो श्री बाबू खान पुत्र श्री नूर मुहम्मद और श्री सलीम पुत्र नूर मुहम्मद के नाम पर है। बही सं. 1, जिल्द सं. 12230, पृष्ठ सं. 339-366 पर पंजीकृत, उपरजिस्ट्रार-मेरठ-III, के कार्यालय में दिनांक 01.06.2018 को प्रलेख सं. 5201. सीमा : उत्तर की ओर कृष्ण नन्द शर्मा, दक्षिण की ओर वेद प्रकाश, पूर्व की ओर 15 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम की ओर 15 पश्चात प्रमुख सड़क, मापित सम्पत्ति के स्वामी : श्री बाबू खान एवं श्री सलीम	माँग सूचना की तिथि : 29.07.2019 कब्जा की तिथि : 10.10.2019 बकाया राशि : रु. 15,21,307.45 (रुपये पन्द्रह लाख इक्कीस हजार तीन सौ सात और पैंतालीस पैसे मात्र)

दिनांक : 14.10.2019, स्थान : दिल्ली/रा.रा.क्षे. — कृते शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अधिकृत प्राधिकारी

इंडियन बैंक Indian Bank
मांग सूचना परिशिष्ट I
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना
स्थानः ग्रेटर नोएडा, तिथिः 19.8.2019
की ओर सेः
सतीश कुमार पी,
एजीएम/प्राधिकृत अधिकारी, डी-37/2, सेक्टर-50, नोएडा, जी.बी. नगर, उ.प्र.-201301
सेवा में,
1. मै. आदित्य कम्पनी (फर्म/ऋणधारक) पताः 1) एम-82, एम पी एन्क्लेव, शास्त्री नगर, शोफिया स्कूल के निकट, गाजियाबाद, उ.प्र., 2) फ्लैट नं. एफ-2, एफएफ, प्लॉट नं. ए-29, माता वैष्णो धाम कॉलोनी, ग्राम नगलातासी, कासिमपुर, मेरठ बाईपास रोड, जिला मेरठ, उ.प्र.
2. श्रीमती अर्चणा सिंह, पत्नी श्री विजयपाल सिंह (प्रॉप्राइटर/ऋणधारक/मार्टगैजर) पताः 1) एम-82, एम पी एन्क्लेव, शास्त्री नगर, शोफिया स्कूल के निकट, गाजियाबाद, उ.प्र., 2) फ्लैट नं. एफ-2, एफएफ, प्लॉट नं. ए-29, माता वैश्नो धाम कॉलोनी, ग्राम नगलातासी, कासिमपुर, मेरठ बाईपास रोड, जिला मेरठ, उ.प्र.
3. श्री विजय पाल सिंह, पुत्र श्री नरेन्दर सिंह (गारन्टर) पताः 1) एम-82, एम पी एन्क्लेव, शास्त्री नगर, शोफिया स्कूल के निकट, गाजियाबाद, उ.प्र., 2) फ्लैट नं. एफ-2, एफएफ, प्लॉट नं. ए-29, माता वैश्नो धाम कॉलोनी, ग्राम नगलातासी, कासिमपुर, मेरठ बाईपास रोड, जिला मेरठ, उ.प्र.
विषयः इंडिया बैंक, ग्रेटर नोएडा शाखा में आपकी एसओडी लिमिट खाता 6495578461 रिंग
आप में से प्रथम प्रॉप्राइटरशिप फर्म/ऋणधारक हैं। आप में से दूसरे प्रॉप्राईटर/ऋणधारक हैं/मार्टगैजर हैं जिसने आप में से प्रथम तथा दूसरे द्वारा प्राप्त ऋण खाता की प्रतिभूति के रूप में अपनी परिसम्पत्तियों को प्रस्तुत किया है। आप में से प्रथम, दूसरे के अनुरोध पर बैंकिंग व्यवसाय के दौरान निम्न साख सुविधाऐं स्वीकृत की गई तथा आप में से प्रथम तल दूसरे द्वारा प्राप्त की गईः
सुविधा का प्रकार — लिमिट (रु. लाखों में)
1. एसओडी (6495578461) — रु. 20.00 लाख
आप में से पहले तथा दूसरे ने उक्त प्रत्येक साख सुविधाओं के लिये निम्न दस्तावेज निष्पादित किये हैंः

सुविधा का प्रकार	दस्तावेजों का प्रकार
एसओडी खाता नं. 6495578461 (मैं. आदित्य कम्पनी, प्रॉप.: श्रीमती अर्चणा सिंह	क) डी-1, आप में से प्रथम तथा दूसरे निष्पादित एकल/संयुक्त डिमांड प्रॉमिशरी नोट तिथि 31.5.2017 ख) डी-7, आप में से प्रथम द्वारा निष्पादित प्रॉसीड्स लेटर तिथि 31.5.2017 का निपटारा ग) डी-101, आप में से प्रथम तथा दूसरे द्वारा निष्पादित चल सम्पत्तियों के हाइपोथेकेशन का अनुबंध तिथिः 31.5.2017 घ) डी-57, आप में से 3रे द्वारा निष्पादित गारन्टी अनुबंध तिथि 31.5.2017 ङ) डी-32, आप में से दूसरे द्वारा निष्पादित इक्विटी मार्टगैज की पुष्टि करते हुए बैंक को पार्टी से पत्र तिथि 19.7.2018

उक्त ऋण का पुनर्भुगतान अधोलिखित द्वारा प्रतिभूत हैः
फ्लैट नं. एफ-2, एफएफ, प्लॉट नं. ए-29, माता वैष्णों धाम कॉलोनी, ग्राम नगलातासी, कासिमपुर मेरठ बाईपास रोड, जिला मेरठ, उ.प्र.
(जैसा कि आप में से 2रे के स्वामित्व को यहाँ नीचे अनुसूची में दिया गया है।)
आप सभी तथा आप में से प्रत्येक जो संयुक्त तथा पृथक रूप से उत्तरदायी हैं, से ब्याज के साथ उक्त राशि का भुगतान करने के लिये बार-बार की गई अनुरोधों के बावजूद आप बकाया राशि को वापस लौटाने में असफल रहे हैं तथा आपने चूक की है। अतएव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिसम्पत्तियों वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार 28.7.2019 से आप की एसओडी खाता को गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है।
31.7.2019 को आपके द्वारा देय बकाया राशि रु. 2086891.00 (रु. बीस लाख छियासी हजार आठ सौ इक्यानवे मात्र) है तथा उक्त राशि के साथ भुगतान की तिथि तक उस पर 1.8.2019 से स्वीकृत दर पर आगे के ब्याज, लागत, चार्जेज तथा उस पर अन्य खर्चे का भुगतान किया जाना है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ''ऋणधारक'' शब्द का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिन्हें बैंक द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृत किया गया है अथवा जिन्होंने बैंक द्वारा दी गई उस वित्तीय सहायता के लिये कोई गारंटी दी है अथवा बैंक द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता के [illegible]
किये बिना बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से प्रतिभूत परिसम्पत्तियों (यहां नीचे अनुसूची में दी गई) का अंतरण नहीं किया जा सकेगा। यह उल्लेखनीय है कि यह सूचना डीआरटी/डीआरटी केआरओ/डीआरएटी/न्यायालय के समक्ष कार्रवाई शुरू करने तथा प्राप्त की जाने वाली आदेश/डिक्री के कार्यान्वयन के लिये बैंक को उपलब्ध किसी अन्य उपचार के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना आपको जारी की जाती है। कृपया ध्यान रहे कि आउटस्टैंडिंग बिल्स डिस्काउन्टेड, बैंक गारन्टी तथा आपकी ओर से जारी तथा स्थापित साख पत्र के साथ ही साथ अन्य अनुषांगिक देयताओं के अंतर्गत उत्पन्न देयताओं का पुनर्भुगतान करने के लिये बैंक के पास आपको निर्देश देने का अधिकार सुरक्षित है। इस सूचना को जारी करने के लिए अधोहस्ताक्षरी बैंक के विधिवत अधिकृत प्राधिकृत अधिकारी हैं जो वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन (अधिनियम) 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत हैं। हम आपका ध्यान सरफैसी अधिनियम की धारा 13(8) तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट करते हैं जिसमें परिसम्पत्तियों पर विमोचन के आपके अधिकारों का उल्लेख है।
अनुसूचीः
परिसम्पत्तियों जिसमें प्रतिभूति हित का निर्माण किया गया है, का विशिष्ट विवरण इस प्रकार हैः
गिरवी सम्पत्तियाँ

सं.	सर्वे नं.	फ्रीहोल्ड/लीज होल्ड	क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर्स में)	अवस्थिति	चौहद्दी
1.	फ्लैट नं. एफ-2, एफएफ	फ्रीहोल्ड	152.00 वर्ग मी. (कुल प्लॉट एरिया)	फ्लैट नं. एफ-2, एफएफ, ब्लॉक नं. ए-29, माता वैष्णो धाम, कॉलोनी, ग्राम नगलातासी कासिमपुर, मेरठ बाई पास रोड, जिला मेरठ, उ.प्र.	उत्तरः प्लॉट नं. ए-28 दक्षिणः प्लॉट नं. ए-30 पूर्वः प्लॉट नं. ए-26 पश्चिमः 7.50 एम रोड

आपका विश्वासभाजन
सतीश कुमार पी, एजीएम/प्राधिकृत अधिकारी
डी-37/2, सेक्टर-50, नोएडा, जी.बी. नगर, उ.प्र.-201301

इंडियन बैंक Indian Bank
मांग सूचना परिशिष्ट I
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना
स्थानः ग्रेटर नोएडा, तिथिः 22.8.2019
की ओर सेः श्री अजय कुमार सक्सेना,
मुख्य प्रबंधक/प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक, अंचल कार्यालय
डी-211/2, इंडियन बैंक बिल्डिंग, सेक्टर-61, नोएडा, उ.प्र.-201301
सेवा में,
1. मै. अग्रवाल ट्रेडिंग क. (फर्म/ऋणधारक), पता-एस-8, गामा शॉपिंग माल, जगत फार्म, सेक्टर गामा-1, ग्रेटर नोएडा, जी.बी. नगर, उ.प्र.-201308
2. श्री विकास बंसल, पुत्र श्री सुनील कुमार बंसल (प्रॉप्राईटर/ऋणधारक/मार्टगैजर) पताः सी-602, आईकॉन अपार्टमेन्ट, छठा तल, ब्लॉक-सी, प्लॉट नं. जीएच-04, सेक्टर सीएचआई-III, ग्रेटर नोएडा, जी.बी. नगर, उ.प्र.-201308
3. श्री सुनील कुमार बंसल, पुत्र स्व. श्री दौलत राम बंसल (गारन्टर) मार्टगैजर, पताः सी-602, आईकॉन अपार्टमेन्ट, छठा तल, ब्लॉक-सी, प्लॉट नं. जीएच-04, सेक्टर सीएचआई-III, ग्रेटर नोएडा, जी.बी. नगर, उ.प्र.-201308
विषयः इंडिया बैंक, ग्रेटर नोएडा शाखा में आपकी ओसीसी/ट्रेड वेल लिखित खाता 489997813 रिग
आप में से प्रथम प्रॉप्राइटरशिप फर्म/ऋणधारक हैं। आप में से दूसरे प्रॉप्राईटर/ऋणधारक/मार्टगैजर हैं। आप में से तीसरे गारन्टर/मार्टगैजर हैं जिसने आप में से प्रथम तथा दूसरे द्वारा प्राप्त ओसीसी/ट्रेड वेल लिमिट की प्रतिभूति के रूप में अपनी परिसम्पत्तियों को प्रस्तुत किया है। आप में से प्रथम, दूसरे तथा तीसरे के अनुरोध पर बैंकिंग व्यवसाय के दौरान निम्न साख सुविधाऐं स्वीकृत की गई तथा आप में से प्रथम तल दूसरे द्वारा प्राप्त की गईः
सुविधा का प्रकार — लिमिट (रु. लाखों में)
1. ओसीसी/ट्रेड वेल लिमिट (489997813) — रु. 65.00 लाख
आप में से पहले तथा दूसरे तथा तीसरे ने उक्त ओसीसी/ट्रेड वेल लिमिट सुविधाओं के लिये निम्न दस्तावेज निष्पादित किये हैंः

सुविधा का प्रकार	दस्तावेजों का प्रकार
ओसीसी/ट्रेड वेल लिमिट खाता नं. 489997813	क) डी-1, आप में से प्रथम एवं 2रे द्वारा निष्पादित एकल/संयुक्त डिमांड प्रॉमिशरी नोट तिथि 17.2.2014 ख) डी-105, आप में से प्रथम एवं दूसरे द्वारा निष्पादित ओपन कैश क्रेडिट के लिये अनुबंध तिथि 17.2.2014 ग) डी-34, आप में से प्रथम तथा दूसरे एवं तीसरे जिन्होंने टाइटल डीड्स तिथि 20.2.2014 जमा किये हैं, से अभिस्वीकृति पत्र घ) आप में से तीसरे द्वारा गारन्टी अनुबंध तिथि 17.2.2014

उक्त ऋण का पुनर्भुगतान अधोलिखित द्वारा प्रतिभूत हैः
फ्लैट नं. सी-602, आइकॉन अपार्टमेन्ट, छठा तल, ब्लॉक-सी, प्लॉट नं. जीएच-04, सेक्टर-सीएचआई-3रा, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र., पिन-201308
(जैसा कि आप में से दूसरे एवं तीसरे के स्वामित्व को यहाँ नीचे अनुसूची में दिया गया है।)
आप सभी तथा आप में से प्रत्येक जो संयुक्त तथा पृथक रूप से उत्तरदायी हैं, से ब्याज के साथ उक्त राशि का भुगतान करने के लिये बार-बार की गई अनुरोधों के बावजूद आप बकाया राशि को वापस लौटाने में असफल रहे हैं तथा आपने चूक की है। अतएव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिसम्पत्तियों वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार 29.5.2018 से आप की ओसीसी/ट्रेड वेल लिमिट सुविधा खाता को गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। ओसीसी/ट्रेड वेल लिमिट सुविधा के लिये 31.7.2019 को आपके द्वारा देय बकाया राशि रु. 77,99,851.00 (रुपये सतहत्तर लाख निन्यानवे हजार आठ सौ इक्यानव मात्र) है तथा उक्त राशि के साथ भुगतान की तिथि तक उस पर 1.8.2019 से स्वीकृत दर पर आगे के ब्याज, लागत, चार्जेज तथा उस पर अन्य खर्चे का भुगतान किया जाना है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ''ऋणधारक'' शब्द का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिन्हें बैंक द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृत किया गया है अथवा जिन्होंने बैंक द्वारा दी गई उस [illegible]
उठाएगा। कृपया ध्यान रहे कि अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार इस सूचना के बाद बैंक की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से प्रतिभूत परिसम्पत्तियों (यहां नीचे अनुसूची में दी गई) का अंतरण नहीं किया जा सकेगा। यह उल्लेखनीय है कि यह सूचना डीआरटी/डीआरटी केआरओ/डीआरएटी/न्यायालय के समक्ष कार्रवाई शुरू करने तथा प्राप्त की जाने वाली आदेश/डिक्री के कार्यान्वयन के लिये बैंक को उपलब्ध किसी अन्य उपचार के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना आपको जारी की जाती है। कृपया ध्यान रहे कि आउटस्टैंडिंग बिल्स डिस्काउन्टेड, बैंक गारन्टी तथा आपकी ओर से जारी तथा स्थापित साख पत्र के साथ ही साथ अन्य अनुषांगिक देयताओं के अंतर्गत उत्पन्न देयताओं का पुनर्भुगतान करने के लिये बैंक के पास आपको निर्देश देने का अधिकार सुरक्षित है। इस सूचना को जारी करने के लिए अधोहस्ताक्षरी बैंक के विधिवत अधिकृत प्राधिकृत अधिकारी हैं जो वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन (अधिनियम) 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत हैं। हम आपका ध्यान सरफैसी अधिनियम की धारा 13(8) तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट करते हैं जिसमें परिसम्पत्तियों पर विमोचन के आपके अधिकारों का उल्लेख है।
अनुसूचीः
परिसम्पत्तियों जिसमें प्रतिभूति हित का निर्माण किया गया है, का विशिष्ट विवरण इस प्रकार हैः
गिरवी परिसम्पत्तियाँ

सं.	सर्वे नं.	फ्रीहोल्ड/लीज होल्ड	क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर्स में)	अवस्थिति	चौहद्दी
1.	प्लॉट नं. जीएच-04	लीज होल्ड	सुपर एरिया 215.61 वर्ग मी.	फ्लैट नं. सी-602, आइकॉन अपार्टमेन्ट, छठा तल, ब्लॉक-सी, प्लॉट नं. जीएच-04, सेक्टर सीएच 1-3रा तल, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र.	उत्तर-पश्चिमः पैसेज दक्षिण-पूर्वः खुला उत्तर-पूर्वः खुला उत्तर-पश्चिमः फ्लैट नं. सी-601

आपका विश्वासभाजन
अजय कुमार सक्सेना, मुख्य प्रबंधक/प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक जोनल कार्यालय

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	33.9 डि.से.	33.9 डि.से.	33.7 डि.से.	34.6 डि.से.
न्यूनतम	20.6 डि.से.	20.6 डि.से.	18.5 डि.से.	20.6 डि.से.

खबरों में शहर

ब्रेन स्ट्रोक में 24 घंटे मरीज के लिए जरूरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली,14 अक्तूबर।

पूर्वोत्तर भारत में ब्रेन स्ट्रोक व कैंसर के मामले सबसे ज्यादा हैं व देशभर में युवा आबादी में ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं। इसकी वजह बदली जीवनशैली, खानपान व तनावपूर्ण माहौल है। यह जानकारी एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग की मुखिया डॉ एमवी पद्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि पक्षाघात (ब्रेन स्ट्रोक) मरीज को जहां पहले दो से तीन घंटे में ही इलाज मिलने से आराम आता था वहीं अब तो इलाज में हुए प्रगति से यहां तक संभव हो गया है कि पक्षाघात के बाद अगर 24 घंटे के भीतर भी मरीज सही अस्पताल में पहुंच गया तो वह ठीक हो सकता है। डॉ पद्मा ने बताया कि पक्षाघात की चुनौती इतनी बढ़ती जा रही है कि हर 20 सेकंड में एक व्यक्ति को स्ट्रोक पड़ रहा है। न्यूरोलॉजी के विशेषज्ञ डॉ रोहित भाटिया ने बताया कि मरीज के इलाज के लिए स्वर्णिम घंटे अहम है। डॉ विष्णु वी ने कहा कि इलाज जितनी जल्दी शुरू हो मरीज उतना बेहतर ठीक हो पाता है।

आज डिपो स्टेशन पर होगी फिल्म की शूटिंग

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 14 अक्तूबर।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो लाइन के डिपो स्टेशन पर मंगलवार को फिल्म 'गिन्नी वेड्स सन्नी' फिल्म की शूटिंग होगी। यह शूटिंग सुबह 7 से शाम 7 बजे तक होगी। इसमें मेट्रो के अंदर से लेकर स्टेशन परिसर सहित कई सीन की शूटिंग होगी। साथ ही 18 अक्तूबर को सेक्टर-145 स्टेशन पर एक धारावाहिक की शूटिंग होगी। शूटिंग के दौरान मेट्रो संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहली बार नोएडा के किसी मेट्रो स्टेशन पर शूटिंग हो रही है।नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) के कार्यकारी निदेशक पीडी उपाध्याय ने बताया कि डिपो स्टेशन पर मंगलवार को फिल्म की शूटिंग होगी।

डेंगू और प्याज को लेकर केजरीवाल पर निशाना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर।

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने डेंगू और प्याज को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर दिल्ली सरकार के सारे दावे खोखले साबित हो गए हैं। दिल्ली में इस साल डेंगू ने सभी रेकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं, तीन सप्ताह में दिल्ली सरकार आम आदमी तक सस्ता प्याज पहुंचाने में असफल हुई है।

होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर।

सेरिब्रल पैल्सि, मूकबधिर, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, मंदबुद्धि आदि जैसी जन्मजात बीमारियों से ग्रसित बच्चों के लिए 4 वर्षों से लगातार काम कर रही संस्था श्री गोपाल कृष्ण अरोड़ा सांस्कृतिक मंच ने रविवार को नवीन शाहदरा स्थित श्रीराम सत्संग भवन में आशा की किरण नाम से 16वें निशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस निशुल्क शिविर में 500 से ज्यादा बच्चों का इलाज किया गया।

स्काउट गाइड शिविर में झांकियों की प्रस्तुति

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर।

वसुंधरा स्थित मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डीएलएड विभाग की ओर से आयोजित चार दिवसीय स्काउट व गाइड शिविर में प्रशिक्षु विद्यार्थियों ने 14 राज्यों की कला-संस्कृति की झांकियां प्रस्तुत की। सभी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण आदि विषयों पर आधारित थी। शिविर में डीएलएड विभाग के तीन बैच 2019, 20 व 21 के विद्यार्थी शामिल हुए। मेवाड़ के चेयरमैन डॉ अशोक कुमार गदिया ने विद्यार्थियों को आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर अपनी बधाई दी। शिविर में स्काउट व गाइड के मुख्य जिला आयुक्त देवेन्द्र कुमार, जिला संगठन आयुक्त श्याम सिंह, इंस्टीट्यूशंस के उपनिदेशक डॉ प्रमोद मदेसिया व अन्य शामिल रहे।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंडिया हैबीटाट सेंटर : 'रिथिंकिंग कंजरवेशन, रिवाइविंग लिव्स' पर व्याख्यान, अमलतास ऑडिटोरियम, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया : अर्थराइटिस की समस्या पर चर्चा, इंजीनियरिंग विभाग, जामिया परिसर, दोपहर तीन बजे।

प्रदर्शनी

राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय : 'ट्रैकिंग गांधी बीफोर इंडिया' नामक फोटोग्राफी प्रदर्शनी, संग्रहालय परिसर, राजघाट, सुबह 11 बजे।

परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

होटल में दिक्कतों का प्रियांशु ने किया था भाई से जिक्र

निर्भय कुमार पांडेय
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर।

पुल प्रहलादपुर स्थित कलेक्शन ओयो होटल में एक 15 साल के राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज की करंट से हुई मौत के बाद सोमवार को मृतक के परिजन दिल्ली पहुंचे। निशानेबाज प्रियांशु प्रसाद चौरसिया अब तक राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 30 से अधिक मेडल जीत चुके थे। उनके पिता राजेंद्र प्रसाद चौरसिया का आरोप है कि इस घटना के लिए पूरी तरह से होटल प्रबंधक जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि बेटे का सपना था कि वह सफल निशानेबाज बनकर देश और परिवार का नाम रौशन करेगा। यही कारण है कि उन्होंने उसे उत्तराखंड में बोर्डिंग स्कूल में भेजा था, जहां से निशानेबाजी का प्रशिक्षण भी अलग से ले रहा थी। उन्होंने मांग की है कि होटल प्रबंधक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि दोबारा ऐसा हादसा न हो। प्रियांशु के चचेरे भाई गणेश ने भी बताया कि प्रियांशु ने होटल में बिजली-पानी की समस्या का जिक्र उनसे किया था। हिमांशु का कमरा भी एक बार बदला गया था। वहीं, पुलिस ने बताया कि फिलहाल होटल के कमरे को सील कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सही कारणों का पता चल सकेगा। जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

प्रियांशु के कोच अमर सिंह ने बताया कि वह देहरादून से नौ अक्तूबर को लौटे थे और पुल प्रहलादपुर स्थित कलेक्शन ओयो होटल में ठहरे हुए थे। इस होटल में तुगलकाबाद स्थित डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में चल रहे नॉर्थ जोन चैंपियनशिप में शामिल होने वाले अन्य राज्यों से आए निशानेबाज भी ठहरे हुए हैं, जिसमें से अधिकतर पंजाब और उत्तराखंड के हैं। प्रियांशु रविवार को कमरा नंबर 205 में अपने साथी निशानेबाज के साथ थे। सुबह के समय वह नहाने के लिए बॉथरूम में गए थे, जहां कुछ मिनट बाद प्रियांशु के चीखने की आवाज आई तो उसके साथी ने इसकी जानकारी होटल के कर्मचारियों को दी। उसके बाद जब कर्मचारी पहुंचे और पीछे के खिड़की से अंदर झांका तो देखा प्रियांशु नीचे पड़ा हुआ था। प्रियांशू मूलरूप से बिहार, नवादा छतरवार गांव का है। पिता राजेंद्र प्रसाद चौरसिया चक्रधरपुर, झारखंड में एक स्कूल में हेडमास्टर हैं। उनके चाचा मनोज ने बताया कि प्रियांशु बचपन से ही निशानेबाज बनना चाहता था। वह 11 साल की उम्र से ही निशानेबाजी करने लगा था। वह 11वीं की पढ़ाई के साथ निशानेबाजी का प्रशिक्षण राज रायफल्स सेंटर में ले रहा था।

प्रियांशु

समय पर नहीं पहुंचाया अस्पताल

कोच अमर सिंह का कहना है कि घटना के बाद वह प्रियांशु को पास के अपोलो अस्पताल ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने प्रियांशु को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया। वहीं, परिजनों का आरोप है कि सुबह करीब 11 बजे हादसे के बाद होटल प्रबंधन ने उसे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया। पुलिस को भी जानकारी दोपहर करीब साढ़े 12 बजे दी गई। पिता राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि यदि घटना के तुरंत बाद प्रियांशु को अस्पताल पहुंचाया गया होता तो शायद बच जाता।

जिंदगी भर रहेगा मलाल

प्रियांशु के चचेरा भाई गणेश कुमार ने रुंधे गले से बताया कि शनिवार रात को उसके पास प्रियांशु की वीडियो कॉल आई थी लेकिन वह खाना खाने जा रहा था इसलिए बात नहीं कर पाया। अगले दिन भी बात नहीं हो पाई और अब कभी नहीं हो पाएगी। गणेश का कहना है कि प्रियांशु ने एक बार बातचीत में होटल में पानी की समस्या के बारे में बताया था। प्रियांशु को चौथी मंजिल से दूसरी मंजिल पर 205 नंबर कमरे में शिफ्ट किया गया था। वहां पर भी बिजली-पानी को लेकर परेशानी थी, लेकिन होटल के कर्मचारियों ने अनसुना कर दिया। गणेश इन दिनों मध्यप्रदेश में बीएस नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं।

वायु प्रदूषण के खिलाफ आज से ग्रेप लागू

डीजल जनरेटर चलाने पर रोक

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 14 अक्तूबर।

शहर में प्रदूषण से जंग के मद्देनजर मंगलवार से अगले पांच महीनों के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही 15 मार्च, 2020 तक दिल्ली और आस पास में डीजल जनरेटर समेत होटल, रेस्तरां व ढाबों में कोयला एवं लकड़ी जलाने पर रोक रहेगी। ग्रेप को लागू करने के लिए प्राधिकरण व क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तैयारी कर ली है। प्राधिकरण अधिकारियों ने सोमवार से सड़कों पर सीवेज शोधित पानी का छिड़काव शुरू करा दिया है। वहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी जनरेटर समेत होटल-ढाबों आदि का औचक निरीक्षण कर अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।

पराली जलाने के चलते दिल्ली और आस पास वायु में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक लाल श्रेणी में पहुंच गया था। अगले कुछ दिनों में सामान्य श्रेणी से खराब और बहुत खराब में पहुंच सकता है। इसको लेकर सफर इंडिया और मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। सोमवार को भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 291 दर्ज किया गया। विगत वर्षों की तुलन में यह ना बढ़े, इसलिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने ग्रेप का हर हाल में अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दे रखे हैं। इसमें डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध को लेकर पहली बार दिल्ली और अन्य शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। इस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी निगाह रखेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल वहीं ईंट भट्ठे चलाए जा सकेंगे, जो जिग-जैग तकनीक युक्त होने चाहिए। हॉट मिक्स प्लांट एवं क्रेशर से धूल ना उड़ने के उपाए करने होंगे। प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी के मुताबिक, पानी छिड़काव के लिए सभी वर्क सर्कल प्रभारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोएडा के क्षेत्रीय अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि डीजल जनरेटर चलाने, लड़की- कोयले के इस्तेमाल पर रोक के लिए टीमें औचक निरीक्षण करेंगी।

उद्यमियों के लिए मुसीबत

24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति वाले शहर की श्रेणी में शामिल होने के बावजूद विद्युत कटौती औद्योगिक महानगर में परेशानी का कारण बन सकता है। तमाम प्रयासों के बावजूद बिजली की निर्बाध आपूर्ति संभव नहीं हो पाई है। ऐसे में डीजल जनरेटर चलाने पर रोक उद्यमियों समेत बड़ी संख्या में निवासियों के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। डीजल जनरेटर चलाने वालों पर कितना अर्थदंड लगेगा यह स्पष्ट नहीं है।

पुलिस छापामारी से मची भगदड़ में चौथी मंजिल से गिरकर शख्स की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर।

दयालपुर थाना क्षेत्र में जुए के अड्डे पर पुलिस छापामारी के दौरान मची भगदड़ में एक शख्स चौथी मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर मौत हो गई। शख्स की पहचान आशीष राठौड़ (42) के तौर पर हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है। वहीं, परिजनों का आरोप है कि यह हादसा नहीं है बल्कि सोची समझी साजिश है। आशीष के पास करीब ढाई लाख रुपए थे, लेकिन उसके पास से महज 25 हजार 500 रुपए ही बरामद हुए हैं।

उत्तरी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त वेद प्रकाश सुर्या ने बताया कि रविवार रात करीब सवा नौ बजे दयालपुर पुलिस को प्रधान टॉवर, शेरपुर चौक पर स्थित चार मंजिला मकान में जुए का अड्डा चलने की सूचना मिली थी। टीम ने छापा मारकर पांच लोगों को पकड़ लिया, जबकि कुछ लोग वहां से भाग गए। इसी दौरान टीम को आशीष जमीन पर अचेत पड़ा मिला। उसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि गिरने पर चोट लगने के कारण आशीष की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि छापामारी के दौरान मकान में 40 लोग मौजूद थे। पुलिस की छापामारी की सूचना मिलने के बाद भगदड़ मच गई। कुछ लोग नीचे भागे, जबकि कुछ लोग छत पर पहुंच गए।

वसंतकुंज के एक होटल में जुएबाजी, 58 हिरासत में

नई दिल्ली। वसंत कुंज इलाके के घिटोरनी स्थित होटल इंपीरियल में जुएबाजी के आरोप में पुलिस ने 58 लोगों को हिरासत में लिया है। गिरोह के सरगना जगजीत के साथ दो अन्य व्यक्तियों दिनेश उर्फ फत्ते और साजिद को रिमांड पर लेकर पुलिस इस अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी दावा किया है। इनके पास से 11 लाख रुपए नगद और छह हजार टोकन बरामद किए हैं। टोकन का रुपए के रूप में प्रयोग होता था। **(जसं)**

दशहरे के बाद हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर ।

राजधानी दिल्ली में दशहरे के बाद से बढ़े धुंध व वायु प्रदूषण को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सेहत को लेकर एहतियात बरतने की सलाह दी है। विशेषज्ञों ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं ,बच्चों व बुजुर्गों को लेकर खास सावधानी रखने की जरूरत है। यहां तक कि बाहरी प्रदूषण गर्भ में पल रहे भ्रूण पर भी बुरा असर डालता है।

पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ पीयूष गोयल का कहना है कि हर साल पटाखे फोड़ने से दशहरा के बाद हवा की गुणवत्ता बिगड़ती है। आमतौर पर ऐसा महसूस होता है कि दशहरा के बाद कुछ दिनों में प्रदूषण साफ हो गया है, लेकिन सर्दियों और अन्य पर्यावरणीय कारकों के कारण, दीवाली के आसपास होने वाले प्रदूषण को कम होने और खत्म होने में लगभग चार महीने लगते हैं। इसलिए प्रदूषण का खतरा लंबे समय के लिए बढ़ जाता है। बच्चों पर भी खतरा है।

यूपी के पंचायत और विधानसभा चुनाव में उतरेगी आप : संजय

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 14 अक्तूबर।

भूपेंद्र जादौन को गौतमबुद्ध नगर की आम आदमी पार्टी जिला कार्यकारिणी का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र जादौन ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद व प्रदेश प्रभारी संजय सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार के कार्यों को देखकर उत्तर प्रदेश की जनता 'आप' को विकल्प के रूप में देखती है। पार्टी आगामी 2020 के पंचायत चुनाव और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाग लेगी। साथ ही पार्टी ने ग्रेटर नोएडा पश्चिम के शाहबेरी मामले में फ्लैट खरीदारों का समर्थन देने का ऐलान किया है।

प्रदेश प्रभारी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद वह पूरा समय उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने पर देंगे। प्रदेश की जनता दिल्ली सरकार के कार्यों से खासी प्रभावित है। वह विकल्प के रूप में 'आप' की तरफ देख रही है। पार्टी ने परशुराम चौधरी को उपाध्यक्ष और संजीव निगम को अतिरिक्त जिला सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। भूपेंद्र जादौन ने कहा कि आम आदमी पार्टी की गौतमबुद्ध नगर जिला इकाई मंगलवार को अनशन पर बैठे पीड़ितों को समर्थन देने जाएगी।

लापता छात्र का शव दो दिन बाद छह फुट गहरे गड्ढे से मिला, मकान मालिक परिवार समेत गायब

गाजियाबाद, 14 अक्तूबर (जनसत्ता)।

साहिबाबाद इलाके से संदिग्ध परिस्थितियों में 12 अक्तूबर को लापता हुए विधि (लॉ) के छात्र का शव दो दिन बाद सोमवार को उसी के मकान मालिक के घर से मिला है। छात्र का शव घर के कमरे में जमीन से छह फीट नीचे गड्ढे में दबा मिला। पुलिस को इसका पता उसकी फोन लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज से घर के इर्द-गिर्द घूमते मिलने से लगा। जब पुलिस ने मकान मालिक के घर जाकर तफ्तीश की तो वह भी गायब था। वही बेसमेट में फर्श तोड़कर खुदाई हुई तो छह फीट नीचे पंकज का शव दबा मिला। यह देखते ही सब हैरान रह गये। छात्र की हत्या का खुलासा होते ही पड़ोसियों में भी हड़कंप मच गया। पुलिस के संदेह की सुई मकान मालिक की तरफ घूम रही है।

जानकारी के अनुसार, मूलरूप से बिहार के बेगूसराय निवासी 28 वर्षीय पंकज यहां साहिबाबाद के गिरधर एन्क्लेव में रहता था। वह आइएमई कॉलेज से एलएलबी कर रहा था। पंकज अपना पढ़ाई का खर्चा चलाने के उद्देश्य से कॉलोनी में ही साइबर कैफे चलाता था। वह अचानक ही 10 अक्तूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ था। उसके परिजनों द्वारा लगातार फोन लगाने के बाद भी जब उसका फोन नहीं उठा, तो उन्होंने तलाश के बाद 12 अक्तूबर को मामले की शिकायत साहिबाबाद थाना पुलिस को दी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि पंकज कुछ समय पहले केवल 15 दिन के लिए एक मकान में किराए पर रहा था। पंकज ने बताया था कि उसका मकान मालिक ठीक नहीं था। जिसके चलते उसने जल्द ही कमरा खाली कर दिया। मकान मालिक परिवार समेत गायब है।

जामिया के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक छात्र ने किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी सोमवार को पुलिस को दी गई थी। छात्र की पहचान करेल निवासी इरफान बीके (22) के तौर पर हुई है। वह इन दिनों ओखला स्थित एक किराए के मकान में अपने दोस्त के साथ रह रहा था। घटना के बारे में उस वक्त पता चला जब उनका रूम मेट कॉलेज से लौटा और उसे फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखा। पुलिस को 18 सेकंड का एक वीडियो भी मिला है, जिसमें छात्र ने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स में रखवा दिया है और जानकारी उनके परिजनों को दे दी गई है। शुरुआती छानबीन में पता चला है कि वह काफी गुस्से वाले प्रवृति के थे।

नोएडा में 19 वर्षीय युवक ने फांसी लगाई

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 14 अक्तूबर।

सेक्टर-16 में सोमवार सुबह 19 वर्षीय अरविंद ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना सेक्टर-20 पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। पुलिस के मुताबिक उदय भान सेक्टर- 16 में रहते हैं। उनका छोटा भाई अरविंद भी साथ रहता था। वह एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। सोमवार सुबह अरविंद ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उदय के कमरे में आने पर उसे फांसी के फंदे पर लटके देखा। उदय भान उसे नीचे उतारकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। एसएचओ राजबीर सिंह चौहान ने बताया कि आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

'अभिजीत का नोबेल मेरे लिए गौरव की बात'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर।

अर्थशास्त्र के नोबेल से नवाजे गए भारतीय मूल के प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी के शिक्षक रहे जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर अंजन मुखर्जी इस उपलब्धि को खुद के लिए और जेएनयू के लिए गौरव मानते हैं।

प्रोफेसर अंजन मुखर्जी का कहना है कि कलकत्ता के प्रेसीडेंसी कॉलेज में अभिजीत के पिता दीपक बनर्जी उनके शिक्षक रहे हैं। जब अभिजीत दो या तीन साल के थे, तब से उनके घर जाते थे ओर उन्हें पहचानते थे। जेएनयू में जब वह प्रोफेसर बने तो 1981 से 1983 तक अभिजीत उनके छात्र रहे। प्रोफेसर मुखर्जी का कहना है कि उन्होंने अपने 37 साल के शिक्षक जीवन में अभिजीत से बेहतर छात्र नहीं देखा। उन्होंने बताया कि अभिजीत से 1983 में जेएनयू से पास आउट होने के बाद भी मुलाकात होती रही है। उनकी आखिरी मुलाकात दो साल पहले एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। इस दौरान दोनों में लंबी बातचीत हुई थी। अभिजीत जब भी उनसे मिलते हैं तो अर्थशास्त्र पर बात होने के साथ ही वह उनकी सेहत के विषय में जानकारी लेना नहीं भूलते। नोबेल मिलने के बाद उन्होंने अभिजीत को ई-मेल भेजा है, जिसका जवाब अभी नहीं आया है। वहीं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि जेएनयू से 1983 में एमए अर्थशास्त्र करने वाले प्रोफेसर अभिजीत विनायक बैनर्जी को वैश्विक गरीबी को खत्म करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जेएनयू उनकी इस उपलब्धि पर गर्व करता है। हमारे पूर्व छात्र जेएनयू के पथ प्रदर्शक हैं। हमने इन पर गर्व है।

मधुमेह के बढ़ते असर से क्षतिग्रस्त हो रहीं नसें

शरीर में चुभन और दर्द भी महसूस नहीं कर पा रहे मरीज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर।

जूतों के अंदर मरा हुआ चूहा, छिपकली, कंकड़ या कील होने पर भी उसे पहनकर घंटों घूमने वालों को इस बात का एहसास ही नहीं होता की जूतों के अंदर कोई चीज उन्हें चुभ भी रही है। लेकिन यह सच है।

दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों के पास आए मधुमेह के मामलों में ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं, जिसमें रोगी का मधुमेह इतना बिगड़ गया है कि उसके नसों (नर्व) पर असर पड़ रहा है। शुगर के कारण उसकी नसें खराब हो चुकी होती हैं इसलिए उसे दर्द या चुभन का पता ही नहीं चलता। ऐसे ही एक मरीज के बारे में बताते हुए गंगाराम अस्पताल के इंस्टीट्यूट ऑफ वैस्कुलर एंड एंडोवैस्कुलर साइंसेज के अध्यक्ष डॉ वारिंदर एस बेदी ने कहा कि मधुमेह के इलाज के लिए आए एक मरीज को अपने सामने जूता झाड़ने को कहा तो उनके जूते से मरा हुआ चूहा गिरा। मरीज को इसका पता नहीं चला जबकि वे घर से अस्पताल तक चल कर आए थे। डॉ बेदी ने बताया कि अत्यधिक शुगर से नसें सुन्न या खराब होने से कोई अड़चन, चुभन या दर्द का अहसास नहीं रह जाता। इसी तरह दूसरे अन्य मरीजों में नसें फूल भी जाती हैं जिनका ऑपरेशन करके इलाज किया जाता है। पहले नसों को खोल कर ठीक किया जाता था लेकिन अब अस्पताल ने उच्च स्तरीय हाइब्रिड ऑपरेटिंग रूम (एचओआर) की स्थापना की है, जिसमें वैस्कुलर अनुप्रयोगों के लिए अत्याधुनिक सर्जिकल टेबल के साथ आर्टिस क्यू एंजियोग्राफी सिस्टम है इससे तेजी से ऐसे 1000 मरीजों का इलाज किया गया।

डॉ वेदी ने कहा कि वैस्कुलर रोगों का तात्पर्य शरीर में रक्त वाहिकाओं खून की नसों में और रक्त संचरण की खराबी से है। यह बीमारी भारत में तेजी से बढ़ रही है। इसका बड़ा कारण बदलती जीवनशैली और सामाजिक-आर्थिक स्थितियां हैं। आज भारत विश्व में मधुमेह की राजधानी है, जहां मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 60 करोड़ है। वैरिकोस वेन्स और डीप वेन थ्रॉम्बोसिस के मामले गंभीर जटिलताओं के साथ बढ़ रहे हैं। जिनसे खून की नलियों को क्षति होती है ऐसे मामले बढ़ रहे हैं।

मधुमेह नियंत्रित न होने पर अंगों पर प्रभाव

एम्स के अंत:स्रावी ग्रंथि विभाग के डॉ राजेश खडगावत का कहना है कि अगर रक्त शर्करा दवा के बाद भी नियंत्रित न हो तो वह तमाम अंगों के साथ नसों पर भी असर डालता है। ऐसे में मरीजों के हाथ-पैर की नसों में अहसास का स्तर कम होने लगता है और धीरे-धीरे लगभग खत्म भी हो सकता है। इसलिए ऐसे मरीजों को खास एहतियात बरतने की दरकार होती है। अपने हाथ पैरों व आंखों का खास खयाल रखें।

उम्रकैद की सजा काट रहे पंजाब पुलिस के पांच कर्मी होंगे रिहा

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)।

पंजाब में आतंकवाद के दौरान अपराधों के लिए उम्रकैद की सजा काट रहे पांच पुलिसकर्मियों को रिहा किया जाएगा। केंद्र ने इस संबंध में राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस फैसले से दो सप्ताह पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब में आतंकवाद के दौरान किए गए अपराधों के लिए देश की विभिन्न जेलों में बंद आठ सिख कैदियों को रिहा करने का फैसला किया था।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, 'भारत सरकार ने पंजाब में आतंकवाद के दौरान किए गए अपराधों के लिए राज्य की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे पंजाब पुलिस के पांच कर्मियों को विशेष क्षमा देने और रिहा करने का पंजाब सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।' भारत सरकार ने यह निर्णय 'मानवता और करुणा' के आधार पर किया है।

चिदंबरम की गिरफ्तारी पर फैसला आज

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)।

दिल्ली की एक अदालत ने आइएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को गिरफ्तार करने और उनसे पूछताछ की अनुमति मांगने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सोमवार को फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने कहा, 'मैं आवेदनों पर मंगलवार को आदेश सुनाऊंगा।'

एजंसी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विशेष न्यायाधीश को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में कहा है कि चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी जरूरी है। मेहता ने कहा कि धनशोधन एक अलग अपराध है। उन्होंने चिदंबरम की गिरफ्तारी और रिमांड के लिए अर्जी दी। चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका का विरोध किया और कहा कि चिदंबरम पहले से ही सीबीआइ की हिरासत में हैं, उसी अपराध में उन्हें हिरासत में लेने का ईडी के पास कोई आधार नहीं है।

उन्होंने कहा कि सीबीआइ ने पहले ही भुगतान और विदेशी कंपनियों की जांच के लिए उनकी हिरासत मांगी है, और अब ईडी इसकी जांच करना चाहता है।' सिब्बल ने अदालत से अपने उस आदेश को वापस लेने का आग्रह किया जिसमें तिहाड़ जेल के अधिकारियों को चिदंबरम को उसके समक्ष पेश करने के निर्देश दिए गए थे।

चिदंबरम (74) इस समय सीबीआइ द्वारा दायर आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 17 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को अदालत में पेश करने के अनुरोध वाली एक याचिका शुक्रवार को दाखिल की थी।

आम्रपाली समूह की कुर्क संपत्ति की नीलामी करेगा एमएसटीसी

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)।

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मेटल स्क्रैप ट्रेड कार्पोरेशन (एमएसटीसी) को आम्रपाली समूह की कंपनियों और उनके निदेशकों की कुर्क संपत्तियों की नीलामी करने का आदेश दिया है। एमएसटीसी से कहा गया कि संपत्तियों की नीलामी से प्राप्त राशि को शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जमा किया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कुर्क संपत्तियों की नीलामी से मिलने वाली राशि से बंद पड़ी आम्रपाली समूह की अटकी पड़ी आवासीय परियोजनाओं को जल्द पूरा करने में मदद मिलेगी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और यूयू ललित के पीठ कोर्ट रिसीवर वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमण की आम्रपाली समूह की कुर्क की गई संपत्तियों की नीलामी किए जाने के सुझाव को स्वीकार कर लिया।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड विदित
CIN: L65110TH2014PLC097792
IDFC FIRST Bank
पंजीकृत कार्यालयः केआरएम टावर्स, 8वाँ तल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई-600031
टेली.: +91 44 4564 4000, फैक्सः +91 44 4564 4022
प्राधिकृत अधिकारीः श्री रोहित दुदेजा | सम्पर्क नम्बर - 7838324723

परिशिष्ट-IV-ए (देखें नियम 8 (6) का प्रावधान]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका तात्कालिक **कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड, अब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** किया गया है, की योगेन्द्र कुमार मिश्रा, अंजली मिश्रा से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट फोम फाइनांस लिमिटेड) के बकाये 9.10.2018 को आईएनआर 1062470.7/- की वसूली के लिये 19.11.2019 को ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो भी है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य आईएनआर 900000/- तथा धरोहर राशि भुगतान आईएनआर 90000/- होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

पी.नं. बी-6/22, फ्लैट नं. एफएफ-2, एफएफ (बैक साइड एलआइजी, डीएलएफ अंकुर विहार, हदबस्त ग्राम-सैदुल्ला, परगणा लोनी तथा तहीसल एवं जिला गाजियाबाद-उत्तर प्रदेश-201102

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाईट अर्थात **www.idfcfirstbank.com** में दी गई लिंक देखें।

डिस्क्लेमरः कृपया ध्यान रहे कि उक्त सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ही जारी की गई है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति में विद्यमान, यदि कोई हो, चल परिसम्पत्तियों की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.
तिथिः 14.10.2019 **(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड के नाम से विदित)**

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
TATA
सम्पर्क पता : 7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, भारत

माँग सूचना

वित्तीय आस्तियो के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण की धारा 13(2) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') के प्रवर्तन के तहत

सेवा में,
1. पवनीत सिंह पुत्र दलजीत सिंह पुत्र फकवीर सिंह,
आई-6, साउथ सिटी पार्ट-2, निर्वाण कंट्री, गुरुग्राम, हरियाणा-122018
साथ ही : सी-169, भूतल, फेज-01, अशोक विहार, नई दिल्ली-110052
2. लाइफ गार्ड मेडिकल सॉल्यूशन्स अपने प्रोपराइटर पवनीत सिंह के माध्यम से
दुकान नं. 14, प्लॉट सं. 4, प्रभु कॉम्पलेक्स, शिवा मार्केट, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
साथ ही : म.नं. 4, दुकान नं. 15, प्रभु कॉम्पलेक्स, शिवा मार्केट, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
3. श्रीमती सतिन्दर कौर पत्नी दलजीत सिंह
आई-6, साउथ सिटी पार्ट-2, निर्वाण कंट्री, गुरुग्राम, हरियाणा-122018 नं. 8512072320
साथ ही : सी-169, भूतल, फेज-01, अशोक विहार, नई दिल्ली-110052
4. दलजीत सिंह पुत्र फकवीर सिंह अलघ
आई-6, साउथ सिटी पार्ट-2, निर्वाण कंट्री, गुरुग्राम, हरियाणा-122018 नं. 8130233393
साथ ही : सी-169, भूतल, फेज-01, अशोक विहार, नई दिल्ली-110052

प्रिय श्रीमान/मैडम,

कृपया सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 27 अगस्त, 2019 को भेजी गयी हमारी पूर्व सूचना का संदर्भ लें जिसकी प्राप्ति पर आप सम्बोधितों ने भावी किस्तें समय पर अदा करने का वायदा तथा घोषणा की थी। कम्पनी से आपके कथित वादे तथा घोषणा के अनुसार तथा आंशिक बकाये के भुगतान पर, आपका कथित ऋण खाता एक बार पुनः स्टैण्डर्ड हो गया है। पुनः, समय पर ईएमआई भुगतान करने के वायते तथा घोषणा के बावजूद आप अपने वादे को पूरा करने में असफल रहे और इसकी अनदेखी की और वर्तमान महीने की ईएमआई के भुगतान में चूक की जिसके परिणामस्वरूव कम्पनी ने खाते को 7 दिसम्बर, 2019 को एक बार पुनः एनपीए घोषित कर दिया है।

कुल रु. 2,15,33,896.04/- (रुपये दो करोड़ पन्द्रह लाख तैंतीस हजार आठ सौ छियानवे और चार पैसे मात्र) जिसमें ऋण खाता सं. 20704082 में रु. 1,82,86,835.40/- तथा ऋण खाता सं. 20706385 में रु. 32,47,060.64/- शामिल है, ऋण खाता सं. 20704082 तथा 20706385 में टीसीएफएसएल दिल्ली शाखा द्वारा आपको स्वीकृत गृह इक्विटी (एलएपी) ऋण के तहत 3 अक्टूबर, 2019 तक भावी ब्याज सहित टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (इसके पश्चात टीसीएफएसएल कहा जायेगा) की ओर बकाया है। हमारे बार-बार निवेदन करने के बावजूद आपने अपने खाते में बकाया राशि के प्रति किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफफएसएल के बकायों के पुनर्भुगतान में आपकी चूक के अनुसार आरबीआई के दिशा-निर्देशानुसार 7 सितम्बर, 2019 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। प्रतिभूति हित अधिनियम की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण के प्रावधानों के अनुसार टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी की शक्तियों के उपभोग में मैंने उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 3 अक्टूबर, 2019 तक भावी ब्याजों तथा लागतों सहित कथित ऋण राशि रु. 2,15,33,896.04/- (रुपये दो करोड़ पन्द्रह लाख तैंतीस हजार आठ सौ छियानवे और चार पैसे मात्र) का भुगतान सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहते हुए दिनांक 3 अक्टूबर, 2019 को एक सूचना जारी की थी जिसमें असफल रहने पर टीसीएफएसएल निम्नलिखित वर्णित सम्पत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा सृजित प्रतिभूति हित के प्रवर्तन सहित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) में वर्णित सभी या किसी अधिकार का उपभोग करेगी।

सम्पत्तियों की अनुसूची

आवासीय फ्लैट/सम्पत्ति सं. आई-006, सम्पूर्ण द्वितीय तल, जिसका क्षेत्रफल 502.50 वर्ग मीटर, कवर्ड एरिया 212.605 वर्ग मीटर (2289 वर्ग फीट लगभग), साथ ही परिशिष्ट ए तथा बी के अनुसार 50% टेरेस अधिकार, कार पार्किंग जो साउथ सिटी, फेज-II में स्थित, सोहना रोड, ग्राम आदमपुर, फतेहपुर, टिग्रा, टिकरी, समसपुर, घसोला तथा बादशाहपुर, तहसील एवं जिला गुरुग्राम, हरियाणा में जिसकी सीमा है : पूर्व : अन्य की भूमि, पश्चिम : सड़क, उत्तर : अन्य की भूमि, दक्षिण : प्लॉट सं. आई-05. विक्रय विलेख दिनांक 24 अगस्त, 2017 में अधिक विवरणात्मक रूप से वर्णित. यही पृष्ठ सं. 102, बही सं. 1 जिल्द सं. 7 में दिनांक 24.08.2017 को 5,236 पर पंजीकृत तथा इसकी अतिरिक्त प्रति बही सं. 1 जिल्द सं. 136 में पृष्ठ सं. 76 से 78 पर चिपकाया गयी है।

चूंकि 3 अक्टूबर, 2019 को सूचना आपके उस पते पर भेजी गयी जिसमें आप लाभ के लिए मूल रूप से निवास करते हैं/व्यापार/व्यक्तिगत कार्य संचालित करते हैं, किन्तु इसे ग्रहण नहीं किया गया अतः इस कारण हम यह सूचना प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद्वारा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत उपर्युक्त दायित्व का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर टीसीएफएसएल उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत समस्त या किसी अधिकार का उपयोग करेगी। आपको यह सूचना भी दी जाती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के अनुसार आप उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों का अन्तरण विक्रय, पट्टे या अन्य माध्यम से नहीं कर सकेंगे।

स्थान : नई दिल्ली **अधिकृत प्राधिकारी**
तिथि : 15.10.2019 **कृते टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड**

KVB Karur Vysya Bank
Smart way to bank
द करूर वैश्य बैंक लि.
डिवीजनल कार्यालय, सं. 6, तीसरी मंजिल, सामने : मेट्रो पिलर सं. : 80, पूसा रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110005

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत निर्गत

जबकि, अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति हित (द्वितीय) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों 1. मैसर्स फॉर्च्यून रिटेल, पर प्रोप. हिमाशु गिरधर, मदर केयर स्टोर, बी-3, मॉडल टाउन-2, भूतल, नई दिल्ली-110009, साथ बी : मदर केयर स्टोर, जी-41, अब्दुल फैजल एन्कलेव II, विश्वासजी सड़क, शाहीन बाग, नई दिल्ली-110025, 2. श्री हिमांशु गिरधर पुत्र श्री गुरुचरन दास गिरधर, 17/10, प्रथम तल, फ्रंट पोर्शन, कालकाजी, दिल्ली-110019, 3. श्री रोहित अरोड़ा पुत्र श्री ओम प्रकाश, म.नं. 3127, गली नं. 4, ओल्ड धर्म पुरा, गांधी नगर, दिल्ली-110031 से कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि रु. 2,62,63,957.40 (रुपये दो करोड़ बासठ लाख तिरेसठ हजार नौ सौ सत्तावन और चालीस पैसे मात्र) का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए दिनांक 04.07.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

यद्यपि कर्जदार ने कुछ राशि आदा कर दी किन्तु गैर जमाकृत ब्याज के अतिरिक्त 30.09.2019 तक रु. 2,53,30,740.90 (रुपये दो करोड़ तिरेपन लाख तीस हजार सात सौ चालीस और नब्बे पैसे मात्र) की राशि खाते में शेष छोड़ दी गयी है। सम्पूर्ण माँग सूचना की राशि अदा करने में कर्जदार के असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 11 अक्टूबर, 2019 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को एतद्वारा इस सम्पत्ति से कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार रु. 2,53,30,740.90 (रुपये दो करोड़ तिरेपन लाख तीस हजार सात सौ चालीस और नब्बे पैसे मात्र) तथा इस पर ब्याज के लिए द करूप वैश्य बैंक लिमिटेड के अभियोग का प्रभार होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के सम्बन्ध में उपलब्ध समय-सीमा के लिए कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट सं. : ई-209, खसरा नं. 207, इन्दिरा गली, शाहदरा, बाबरपुर, दिल्ली-110032 (वर्तमान में इन्दिरा गली, पूर्वी बाबरपुर, छज्जूपुर के नाम से) पर जी (पार्किंग) +3 मंजिल पर बना सम्पूर्ण आवास जिसकी सीमा निम्नलिखित है :
उत्तर : 15 फीट चौड़ी गली   दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति
पूर्व : अन्य की सम्पत्ति   पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति

स्थान : दिल्ली **मुख्य प्रबन्धक एवं अधिकृत प्राधिकारी**
दिनांक : 11.10.19 **द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड**

भारतीय स्टेट बैंक
रिटेल एसेट्स प्रोसेसिंग सेंटर (आरएसीपीसी), 59, सामुदायिक केन्द्र, निकट पीवीआर नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110028
दूरभाष : 011-47074302, 011-47064302, 011-42027897
ई-मेल आईडी : agmracpcdel@sbi.co.in

कब्जा सूचना (सांकेतिक)
नियम 8(1) एवं (2) के तहत (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं कथित अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(12) तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त अधिकारों के उपभोग में भारतीय स्टेट बैंक, रिटेल एसेट्स प्रोसेसिंग सेंटर (आरएसीपीसी), 59, सामुदायिक केन्द्र, निकट पीवीआर, नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110028 का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अग्रलिखित कर्जदार श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री राम सिंह चन्दर एवं श्री सन्तोष बत्रा (जमानती) निवासी 1/बी-192, जनता कॉलोनी, शिवाजी विहार, नई दिल्ली-110027 साथ बी बी-192, दूसरी मंजिल, खसरा नं. 1424, ग्राम बसाई दारापुर, शिवाजी विहार, नई दिल्ली-110027 से 07.06.2019 तक सूचना में उल्लिखित राशि रु. 327063/- (रुपये तीन लाख सत्ताईस हजार तिरेसठ मात्र) और ब्याज, अन्य व्ययों तथा प्रभारों सहित कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 07.06.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार के कथित राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार/जमानती को तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यहाँ ऊपर वर्णित सम्पत्तियों पर 10 अक्टूबर, 2019 को कब्जा कर लिया है। प्रतिभूतियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार/जमानती एवं आम जनता को सम्पत्तियों के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियो के साथ किया गया कोई संव्यवहार 07.06.2019 तक उपर्युक्त सूचना में निर्दिष्ट राशि रु. 327063/- (रुपये तीन लाख सत्ताईस हजार तिरेसठ मात्र) और ब्याज तथा कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उस पर अन्य व्ययों, पुनर्भुगतान की न्यूनतम प्रयोज्य राशि, यदि कोई हो, भारतीय स्टेट बैंक, रिटेल एसेट्स प्रोसेसिंग सेंटर (आरएसीपीसी), 59, सामुदायिक केन्द्र, निकट पीवीआर, नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110028 के प्रभार का विषय होगा।

सम्पत्तियों की अनुसूची :

गिरवीकृत सम्पत्ति सं. बी-192, दूसरी मंजिल, रूफ राइट विहीन, खसरा नं. 1424, ग्राम-बसाई दारापुर, शिवाजी विहार, नई दिल्ली-110027 जो बुक सं. 1 वॉल्यूम सं. 11588 के पृष्ठ 107 से 110 में पंजीकरण सं. 9726 पर दिनांक 26.05.2004 को श्री प्रमोद कुमार के नाम से है, का सम्पूर्ण भाग।

दिनांक : 15.10.2019 **अधिकृत प्राधिकारी**
स्थान: दिल्ली **भारतीय स्टेट बैंक**

फेड्डर्स इलैक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड
(पूर्व में फेड्डर्स लॉयड कॉर्पोरेशन लिमि.) CIN No. L29299UP1957PLC021118
पंजी. कार्यालय: 6 व 6/1, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, सिकंदराबाद, जिला बुलन्दशहर-203205, उत्तर प्रदेश (भारत)
कॉर्पोरेट कार्यालय : सी-4, नोएडा, फेज-2, गौतमबुद्ध नगर-201305, उत्तर प्रदेश (भारत), फोन नं. +91-120-4258918
वेबसाइट: www.fedderselectric.com, ई-मेल: investor.relations@fedderselectric.com

62वीं वार्षिक सामान्य बैठक, रिमोट ई-वोटिंग और किताब बंदी की सूचना

1. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम आयोजित होने की सूचना में तय किए गए व्यापार को पूरा करने के लिए फेड्डर्स इलैक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 62वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 6 व 6/1, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, सिकंदराबाद, जिला बुलन्दशहर-203205, उत्तर प्रदेश (भारत) में शुक्रवार, 8 नवंबर, 2019 को प्रातः 9.00 बजे आयोजित की जाएगी।
2. कंपनी दिनांक 14 अगस्त, 2019 से माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ("एनसीएलटी"), इलाहाबाद बैंच द्वारा पारित आदेशों के अनुसार दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 ("कोड") की कॉरपोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के अंतर्गत है। मामले, व्यापार और परिसंपत्तियों का एनसीएलटी, इलाहाबाद बैंच के आदेश दिनांक 14 अगस्त, 2019 के अनुसार अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर के रूप में नियुक्त प्रस्ताव पेशेवर, श्री अशोक कुमार गुप्ता के द्वारा प्रबंधन किया जा रहा है और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के निर्देशानुसार प्रस्ताव पेशेवर की क्षमता में वर्तमान कार्यरत तथा कोड के प्रावधानों के अंतर्गत 12 सितंबर, 2019 को आयोजित इसकी बैठक में कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के अनुमोदन द्वारा प्रस्ताव पेशेवर के रूप में निरंतर किया है। उपरोक्त को देखते हुए, बैठक कथित प्रस्ताव पेशेवर द्वारा आयोजित की जा रही है।
3. एजीएम की सूचना की प्रतियां (1) उन सभी सदस्यों को इलैक्ट्रोनिक विधि द्वारा भेज दी गई है जिनकी ई-मेल आइडी कंपनी/ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं और (2) अन्य सभी सदस्यों को अनुमत विधि में उनके पंजीकृत पतों पर भेज दी गई है जिनकी ई-मेल पता पंजीकृत नहीं हैं। एजीएम सूचना भेजने का कार्य सोमवार, 14 अक्तूबर, 2019 को पूरा कर लिया गया है। एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट अर्थात http://www.fedderselectric.com पर उपलब्ध है।
4. **रिमोट ई-वोटिंग**.- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित कंपनीज एक्ट, 2013 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों की धारा 108 के प्रावधानों की अनुपालना में कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम के स्थान से अन्य स्थान पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम में निर्धारित व्यापार पर इलैक्ट्रॉनिक विधि द्वारा अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने हेतु सक्षम बनाने के लिए कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 01 नवंबर, 2019 को भौतिक या डीमैटेरिलाइज्ड रूप में शेयरधारक अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के प्रयोग द्वारा वोट के प्रयोग करने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में वर्णित की गई है। सदस्य कृपया नोट करें कि:-
(क) रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 05 नवंबर, 2019 को प्रातः 09.00 बजे से वीरवार, 07 नवंबर, 2019 को सांय 05.00 बजे तक खुली रहेगी।
(ख) कोई व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर अर्जित करता हो और एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बना है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 01 नवंबर, 2019 को शेयरधारक है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजने द्वारा लॉगइन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है तब वह वोट का प्रयोग करने के लिए वर्तमान यूजर आईडी व पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।
(ग) रिमोट ई-वोटिंग के लिए वीरवार, 07 नवंबर, 2019 (05.00 बजे) के बाद वोटिंग हेतु एनएसडीएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा और सदस्यों को उपर कथित समय के बाद वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर एक बाद डाले गए वोट पर इसके बाद बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(घ) बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग के लिए सुविधा एजीएम के स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिस सदस्य ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट का प्रयोग नहीं किया है। सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट के अधिकार का प्रयोग करने के पश्चात भी एजीएम में भाग ले सकता है परंतु एजीएम में दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्य के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि को उन द्वारा अर्जित इक्विटी शेयर के अनुपात में किए जाएंगे।
(ङ) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को डिपोजिटरीज द्वारा अनुरक्षित रजिस्टर ऑफ बेनीफिशियल ऑनर या सदस्यों के रजिस्टर दर्ज है केवल वह रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम के स्थान पर बैलेट पेपर के माध्यम से वोट का प्रयोग करने का हकदार होगा।
(च) एजीएम की सूचना एनएसडीएल वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। किसी पूछताछ की स्थिति में, सदस्य फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्यू") को देख सकते हैं और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुवल https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड्स सेक्शन्स पर उपलब्ध है या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथा व पांचवा तल, कमला मिल्स कम्पाउन्ड, लोवर परेल, मुम्बई, महाराष्ट्र-400013, टोल फ्री नंबरः 1800222990, ई-मेलः evoting@nsdl.co.in.
5. **किताब बंदी:** भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों 2015 के विनियम 42 के साथ पठित कंपनीज़ एक्ट, 2013 तथा यहां इसके अधीन बनाए गए नियमों की धारा 91 के अनुवर्ती आगामी तौर पर सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक एजीएम के उद्देश्य के लिए शनिवार, 02 नवंबर, 2019 से शुक्रवार, 08 नवंबर, 2019 (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रहेगी।

कृते फेड्डर्स इलैक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड
स्थान: नोएडा शगुन बाजपाई,
दिनांक: 14.10.2019 कंपनी सचिव, एसीएस 45982
श्री अशोक कुमार गुप्ता, अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर के अनुमोदन के साथ जारी
आईपी पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-003/IP-N00024/2017-2018/10174

POST-OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, FOR THE ATTENTION OF THE ELIGIBLE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

INTERNATIONAL PAPER APPM LIMITED

Registered Office: Rajahmundry - 533 105, East Godavari District, Andhra Pradesh, India
Telephone: +91 883 2471831; Facsimile: +91883 2461764; Website: www.ipappm.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 99,42,510 (NINETY NINE LAKHS FORTY TWO THOUSAND FIVE HUNDRED AND TEN ONLY) FULLY PAID UP EQUITY SHARES, HAVING FACE VALUE OF INR 10 (INDIAN RUPEES TEN ONLY) EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING 25% (TWENTY FIVE PERCENT ONLY) OF THE VOTING SHARE CAPITAL OF INTERNATIONAL PAPER APPM LIMITED ("TARGET COMPANY"), FROM THE ELIGIBLE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY BY WEST COAST PAPER MILLS LIMITED PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH REGULATIONS 3(1) AND 4 AND OTHER APPLICABLE REGULATIONS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED FROM TIME TO TIME ("SEBI (SAST) REGULATIONS") AT A PRICE OF INR 452.60 (INDIAN RUPEES FOUR HUNDRED FIFTY TWO AND SIXTY PAISA ONLY) PER EQUITY SHARE ("OFFER PRICE"), PAYABLE IN CASH IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF SEBI (SAST) REGULATIONS ("OFFER/OPEN OFFER")

This post offer advertisement ("**Post-Offer Advertisement**") is being issued by ICICI Securities Limited (hereinafter referred to as "**Manager to the Offer**") on behalf of the Acquirer in respect of the Offer to the Eligible Public Shareholders of the Target Company pursuant to and in compliance with Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations.

This Post-Offer Advertisement should be read in continuation of, and in conjunction with **(a)** the Public Announcement dated May 29, 2019 (the "**PA**"); **(b)** the Detailed Public Statement dated June 5, 2019 published on June 6, 2019 in all the editions of the Financial Express (English), all the editions of Jansatta (Hindi), and Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi) and Rajahmudry edition of Prajasakti (Telugu) (the "**DPS**"); **(c)** the draft letter of offer dated June 13, 2019 (the "**DLoF**"); **(d)** the letter of offer dated August 30, 2019 dispatched to the Eligible Public Shareholders of the Target Company (the "**LoF**"); and (e) the corrigendum to the DPS dated September 3, 2019 ("**Corrigendum**").

Capitalised terms used but not defined in this Post-Offer Advertisement shall have the meaning assigned to such terms in the DPS and Letter of Offer.

Sr. No.	Particulars	Details	
1.	Name of the Target Company	International Paper APPM Limited	
2.	Name of the Acquirer	West Coast Paper Mills Limited	
3.	Name of the Manager to the Offer	ICICI Securities Limited	
4.	Name of the Registrar to the Offer	Link Intime India Private Limited	
5.	Offer Details		
	a. Date of Opening of the Offer	Thursday, September 12, 2019	
	b. Date of Closing of the Offer	Wednesday, September 25, 2019	
6.	Date of payment of consideration	Friday, October 11, 2019	
7.	**Details of Acquisition**	**Proposed in the Offer documents**	**Actuals**
7.1	Offer Price	INR 452.60 per Equity Share	INR 452.60 per Equity Share
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered	99,42,510	68,39,879
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted	99,42,510	68,39,879
7.4	Size of the Offer (Number of Equity Shares accepted multiplied by Offer Price per Equity Share)	INR 4,49,99,80,026	INR 3,09,57,29,235.40
7.5	Shareholding of the Acquirer before ~~Agreement/~~ Public Announcement • Number of Equity Shares • % of fully paid-up equity share capital and voting capital	 Nil Nil	 Nil Nil
7.6	Shares Acquired by way of Agreements • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	Share purchase agreement dated May 29, 2019 entered into amongst the Acquirer, the Promoters and the Target Company to acquire a minimum of 2,02,82,720 (Two Crore Two Lakhs Eighty Two Thousand Seven Hundred and Twenty) Equity Shares representing 51% (Fifty One Percent) of the Voting Share Capital and up to a maximum of 2,38,62,023 (Two Crore Thirty Eight Lakhs Sixty Two Thousand and Twenty Three) Equity Shares representing 60% (Sixty Percent) of the Voting Share Capital depending upon the Equity Shares validly tendered and accepted in the Open Offer	2,02,82,720 (Two Crore Two Lakhs Eighty Two Thousand Seven Hundred and Twenty) Equity Shares representing 51% (Fifty One Percent)# of the Voting Share Capital and up to a maximum of 2,18,73,521 (Two Crore Eighteen Lakhs Seventy Three Thousand Five Hundred and Twenty One) Equity Shares representing 55% (Fifty Five Percent) of the Voting Share Capital[1]
7.7	Shares Acquired by way of Open Offer • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	 99,42,510 25.00%	 68,39,879 17.20%
7.8	Shares acquired after Detailed Public Statement • Number of shares acquired • Price of the shares acquired • % of the shares acquired	Nil	Nil
7.9	Post offer shareholding of Acquirer • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	 3,02,25,230 76.00%	2,71,22,599 (Two Crore Seventy One Lakhs Twenty Two Thousand Five Hundred and Ninety Nine) Equity Shares representing 68.20%# of the Voting Share Capital and up to a maximum of 2,87,13,400 (Two Crore Eighty Seven Lakhs Thirteen Thousand Four Hundred) Equity Shares representing 72.20% of the Voting Share Capital[1]

Sr. No.	Particulars	Proposed: Pre Offer	Proposed: Post Offer##	Actuals: Pre Offer	Actuals: Post Offer*
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public				
	• Number	99,42,510	Nil	99,42,510	31,02,631
	• % of Fully Diluted Equity Share Capital	25.00%	Nil	25.00%	7.80%*

 # Assuming minimum acquisition of 2,02,82,720 (Two Crore Two Lakhs Eighty Two Thousand Seven Hundred and Twenty) Equity Shares representing 51% (Fifty One Percent) of the Voting Share Capital by the Acquirer pursuant to the SPA and subject to the conditions therein.

(1) The percentage of Equity Shares acquired by the Acquirer in the Open Offer represent 5% or more of the Voting Share Capital, accordingly, pursuant to the SPA and subject to the conditions therein, the Acquirer has agreed to acquire from International Paper Investments (Luxembourg) S.A.R.L. and IP International Holdings Inc. such number of Equity Shares of the Target Company which will represent a minimum of 2,02,82,720 (Two Crore Two Lakhs Eighty Two Thousand Seven Hundred and Twenty) Equity Shares representing 51% (Fifty One Percent) of the Voting Share Capital and upto a maximum of 2,18,73,521 (Two Crore Eighteen Lakhs Seventy Three Thousand Five Hundred and Twenty One) Equity Shares representing 55% (Fifty Five Percent) of the Voting Share Capital at the sole discretion of the Acquirer.

Assuming full acceptance of shares in Open Offer.

** Please note that the shareholding of International Paper Investments (Luxembourg) S.A.R.L. and IP International Holdings Inc. in the Target Company has been categorised under the shareholding of 'promoters' of the Target Company, and accordingly, the post-offer public shareholding in the Target Company would be 7.80%.*

8. The Acquirer and its respective directors accept full responsibility for the information contained in this Post-Offer Advertisement and also for the obligations of the Acquirer laid down in the SEBI (SAST) Regulations.
9. A copy of this Post-Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI, BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited and the registered office of the Target Company.

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER.

MANAGER TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE OFFER
ICICI Securities	LINK Intime
ICICI SECURITIES LIMITED	**LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED**
ICICI Centre, H.T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai - 400 020, Maharashtra, India	C-101, 1st Floor, 247 Park Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West) Mumbai - 400 083, Maharashtra, India
Telephone: +91 22 2288 2460	**Telephone:** +91 22 4918 6200
Facsimile: +91 22 2282 6580	**Facsimile:** +91 22 4918 6195
Website: www.icicisecurities.com	**Website:** www.linkintime.co.in
E-mail ID: ipappm.openoffer@icicisecurities.com	**E-mail ID:** internationalpaper.offer@linkintime.co.in
Contact Person: Arjun A Mehrotra/Rupesh Khant	**Contact Person:** Sumeet Deshpande
SEBI Registration No.: INM000011179	**SEBI Registration No.:** INR000004058

Place : Mumbai
Date : October 14, 2019

PRESSMAN

जनसत्ता

15 अक्तूबर, 2019

बिगड़ती हवा

राजधानी दिल्ली की हवा फिर खराब हो रही है। हर साल की तरह यह चेतावनी मिलनी शुरू हो गई है। वायु प्रदूषण लंबे समय से दिल्ली की बड़ी समस्या बना हुआ है, लेकिन अक्तूबर-नवंबर के महीने में यह समस्या उस वक्त ज्यादा गंभीर रूप धारण कर लेती है जब पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खेतों में पराली जलाने से होने वाला धुआं दिल्ली के आसमान पर परत बन कर छा जाता है। यह हर साल की समस्या है। इससे दिल्ली की आबादी का बड़ा हिस्सा सांस और फेफड़े की बीमारियों का शिकार होता है और लोग अस्पतालों की ओर भागने को मजबूर होते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने और झेलने के बाद भी अगर पराली जलाने पर रोक नहीं लग पा रही है तो यह केंद्र और राज्य सरकारों की असफलता ही मानी जाएगी। पराली जलाने के मसले पर पिछले तीन साल में सुप्रीम कोर्ट तक ने कड़े निर्देश दिए, पर्यावरण मंत्रालय की निगरानी में टीमें बनाईं जो पराली जलाने के विकल्प खोजे और राज्य सरकारों को पराली जलाने वाले किसानों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए, पर इन सबका कोई ठोस नतीजा अब तक सामने आया नहीं है।

चिंता की बात यह है कि इस बार पराली जलाने की घटनाएं कम होने के बजाय और बढ़ी हैं। हालांकि केंद्र और पंजाब सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी आ रही है। लेकिन पंजाब सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक इस बार बारह अक्तूबर तक पंजाब में पराली जलाने की छह सौ तीस घटनाएं दर्ज की गई हैं। जबकि पिछले साल इसी अवधि में चार सौ पैंतीस मामले दर्ज हुए थे। हरियाणा में कई जगह पराली जलाई जा रही है। दरअसल, किसानों के सामने मजबूरी यह है कि पराली जलाएं नहीं तो करें क्या! किसानों को पराली नष्ट करने का विकल्प सुझाने में सरकारें नाकाम रही हैं। जबकि दावे तो ये किए जा रहे हैं कि कई जगहों पर पराली कटवा कर बिकवाई जा रही है, लेकिन अगर ऐसा है भी तो बहुत ही कम जगहों पर। ज्यादातर किसानों के समक्ष आज भी पराली जलाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। पिछले साल पंजाब सरकार ने किसानों को पराली नष्ट करने की मशीनें देने की योजना बनाई थी, लेकिन ज्यादातर किसान गरीब हैं और वह योजना इनके लिए निरर्थक साबित हुई। ऐसे में पराली का किया क्या जाए, किसी को समझ नहीं आ रहा। देश में कृषि विशेषज्ञों की कमी नहीं है, कृषि विश्वविद्यालयों से लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसे बड़े वैज्ञानिक संस्थान हैं, लेकिन पराली का धुआं न निकले, इसका इलाज कोई नहीं कर पा रहा। यह पराली जलाने से ज्यादा चिंताजनक है।

हाल में अमेरिकी अंतरिक्ष एजंसी नासा ने पंजाब के खेतों में जलती पराली की तस्वीरें जारी की थीं। हालांकि पंजाब सरकार का तर्क है कि धुआं सिर्फ पराली का नहीं है, इसमें कचराघरों और श्मशानों से उठने वाला धुआं भी शामिल है। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए थोड़े-बहुत जो प्रयास हुए हैं उनका कुछ असर दिखा भी है। लेकिन व्यापक स्तर पर जिस कवायद की जरूरत है वह दिखाई नहीं देती। सबसे बड़ी समस्या सड़कों पर अभी भी पंद्रह साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों का दौड़ना है। आज भी ऐसे वाहनों की संख्या लाखों में है। लेकिन सरकार ऐसे वाहनों पर रोक लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। इसके अलावा दिल्ली के कुछ खास इलाकों को छोड़ दें तो अनेक जगहों पर कचरा जलते देखा जा सकता है। सरकार अपने स्तर पर कदम तो उठा रही है, लेकिन लोगों को जागरूक करना ज्यादा बड़ी चुनौती साबित हो रही है।

कुर्दों पर हमले

उत्तर-पूर्वी सीरिया में कुर्द सैनिकों और तुर्की की सेना के बीच पिछले पांच दिन से चल रही लड़ाई ने इस क्षेत्र को गंभीर संकट में झोंक दिया है। तुर्की की सेना सीरिया के उत्तर-पूर्व में कुर्द बहुल इलाकों में ताबड़तोड़ हमले कर रही है और कुर्दों पर कहर बरपा रही है। बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने और जख्मी होने की खबरें हैं। लाखों बेघर हो गए हैं। इससे गंभीर मानवीय संकट खड़ा हो गया है। तुर्की की सेना ने सीरियाई शहर सुलूक पर कब्जा कर लिया है। पश्चिम एशिया का यह क्षेत्र युद्ध के नए अखाड़े में तब्दील हो गया है। मामला ज्यादा गंभीर रूप इसलिए ले चुका है कि इस संकट के मूल में अमेरिका है। उसके अपने हित हैं, ऐसे में इस समस्या के सुलझने के आसार दूर-दूर तक नहीं हैं।

अब यह साफ हो चुका है कि अगर अमेरिका सीरिया और तुर्की की सीमा से अपने सैनिकों को हटाने का फैसला नहीं करता तो आज हालात नहीं बिगड़ते। ट्रंप अगले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और उन्होंने अमेरिकी जनता से वादा किया है कि अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देशों से अमेरिकी सैनिकों की वापसी होगी। अफगानिस्तान से तो यह संभव नहीं हो पाया है, लेकिन सीरिया में इस फैसले का असर तुर्की के हमले के रूप में आया है। अमेरिकी सैनिकों के हटते ही तुर्की ने कुर्दों के नियंत्रण वाले ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। तुर्की में बीस फीसद कुर्द आबादी है। तुर्की कुर्दों को आतंकवादी करार देता आया है। दरअसल, इराक, सीरिया और तुर्की के कुर्द बहुल क्षेत्र में रहने वाले कुर्द सुन्नी मुसलमान हैं और लंबे समय से अलग कुर्दिस्तान राष्ट्र के गठन के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में तुर्की को यह डर सता रहा है कि अगर अलग कुर्दिस्तान राष्ट्र बन गया तो उसके यहां की बीस फीसद कुर्द आबादी भी उसके लिए बड़ा संकट बन जाएगी।

ट्रंप ने कुर्दों की वफादारी पर सवाल उठाते हुए यहां तक कह डाला कि इस्लामिक स्टेट (आइएस) के साथ लड़ाई में कुर्दों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। जबकि इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता को उखाड़ फेंकने में अमेरिका का सबसे ज्यादा साथ तो कुर्द लड़ाकों ने ही दिया था। सीरिया में भी आइएस के लड़ाकों से मुकाबले में अमेरिका के साथ कुर्द ही कंधे से कंधा मिला कर खड़े रहे हैं। अब संकट यह भी है कि तुर्की के हमलों के इस इलाके में आइएस फिर से सक्रिय हो सकता है। कुर्द सैनिकों ने बड़ी संख्या में आइएस के लड़ाकों को स्थानीय जेलों और शिविरों में बंद कर रखा था। लेकिन हमले के बाद आइएस के ज्यादातर लड़ाके भाग निकले हैं। पश्चिमी देशों सहित सऊदी अरब जैसे देश तुर्की की इस कार्रवाई के खिलाफ हैं, वहीं पाकिस्तान ने तुर्की के रुख का समर्थन किया है, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। लेकिन भारत ने सीरियाई क्षेत्र की संप्रभुता की रक्षा पुरजोर वकालत करते हुए तुर्की के हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे गंभीर मानवीय संकट बताया है। पर बड़ा सवाल यह है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का झंडा उठाने वाला अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए कब तक निर्दोष नागरिकों को युद्ध की आग में झोंकता रहेगा!

कल्पमेधा

अपनी गलती स्वीकार कर लेने में लज्जा की कोई बात नहीं है। इससे दूसरे शब्दों में यही प्रमाणित होता है कि कल की अपेक्षा आज आप अधिक समझदार हैं।

-अलेक्जेंडर पोप

रिश्तों की कूटनीति में भारत का बाजार

संजीव पांडेय

इन दिनों चीन खुद अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध में उलझा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार युद्ध ने चीन के उद्योगों और विकास दर को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। चीनी निर्यात पर अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए शुल्क का असर चीनी अर्थव्यवस्था पर तेजी से पड़ रहा है। इस स्थिति में भारत का विशाल बाजार चीन के लिए बड़ी ताकत बना हुआ है।

महाबलीपुरम में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दोनों मुल्कों में आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए बात हुई। इसी में आतंकवाद से लेकर कारोबार, सीमा विवाद आदि मुद्दे भी आए। दोनों पक्षों ने 'चेन्नई कनेक्ट' को भारत-चीन संबंधों में नए युग की शुरुआत बताया है। उम्मीद की जा रही है कि वुहान से आगे महाबलीपुरम में विश्वास और बढ़ा है। यह पूरे दक्षिण एशिया के विकास, क्षेत्रीय सहयोग और शांति के लिए जरूरी है। सहयोग और शांति के लिए संवाद ही महत्त्वपूर्ण उपाय है। हालांकि भारत-चीन के बीच तमाम विवादों का हल निकालने में चीन ने पिछले साठ सालों में कोई खास रुचि नहीं दिखाई है। लगभग साढ़े तीन हजार किलोमीटर लंबी भारत-चीन सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच काफी लंबे समय से विवाद है। जम्मू-कश्मीर को लेकर चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है। भारत-चीन के बीच होने वाले द्विपक्षीय व्यापार में व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में है। व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में होने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा है। भारत के निर्यात घाटे का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इसके अलावा चीन बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर और हिंद महासागर तक में भारत की घेरेबंदी कर रहा है और अपनी सामरिक स्थिति मजबूत कर रहा है।

लंबे समय तक तनाव के बाद राजीव गांधी की सरकार ने चीन के साथ संवाद शुरू किया था। उनके कार्यकाल में विदेश सचिव स्तर पर भारत और चीन की बातचीत शुरू हुई थी। इस परंपरा को अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जारी रखा गया। अब दोनों मुल्कों के मुखिया अनौपचारिक बैठक कर रहे हैं। समय की मांग यही है कि दोनों देशों के बीच संवाद से विश्वास कायम हो। इसी में दोनों देशों का हित है। पर इसके लिए जरूरी है कि संवाद यथार्थ के धरातल पर हो। हमें स्वीकार करना होगा कि चीनी विदेश नीति चीन के हितों पर आधारित है। चीन भारत से बातचीत के दौरान कहीं भी अपने हितों का त्याग नहीं करेगा। चीन भारत का विशाल बाजार नहीं खो सकता। भारतीय बाजार में चीनी उत्पादों की भरमार ने सिर्फ भारत के व्यापार घाटे को नहीं बढ़ाया है, बल्कि भारतीय कृषि और उद्योग जगत की कमर तोड़ दी है। इसे आंकड़ों से समझने की जरूरत है। 2018-19 में भारत का कुल व्यापार घाटा एक सौ तीन अरब डॉलर था। इसमें चीन की भागीदारी तिरपन अरब डॉलर की थी, आधे से भी ज्यादा। चीनी निर्यात ने भारतीय कृषि और उद्योग जगत को खासा नुकसान पहुंचाया है। वुहान और महाबलीपुरम दोनों ही बैठकों में व्यापार संतुलन पर बातचीत हुई, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, इसका फिलहाल अंदाज लगा पाना मुश्किल है।

इन दिनों चीन खुद अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध में उलझा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार युद्ध ने चीन के उद्योगों और विकास दर को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। चीनी निर्यात पर अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए शुल्क का असर चीनी अर्थव्यवस्था पर तेजी से पढ़ रहा है। इस स्थिति में भारत का विशाल बाजार चीन के लिए बड़ी ताकत बना हुआ है। चीन जल्द से जल्द सोलह देशों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार संधि (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी) को लागू करवाने की कोशिश में है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा लाभ चीन को ही होना है। भारत भी इस संधि में भागीदार बनने जा रहा है। हालांकि भारतीय कृषि और उद्योग जगत ने इस संधि का कड़ा विरोध किया है। इस संधि में शामिल होने के बाद भारत के कृषि उत्पाद, वस्त्र, इस्पात सहित कई बड़े उद्योग प्रभावित होंगे। डेरी क्षेत्र को भी इससे नुकसान पहुंचेगा। इस संधि में भारत के शामिल होने के बाद चीनी सामान से भारतीय बाजार भर जाने की आशंका भी जताई जा रही है।

इस बात को पूरी दुनिया मान रही है कि चीन एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है। चीन की अर्थव्यवस्था इस समय चौदह लाख करोड़ डॉलर की है। यह भारत की अर्थव्यवस्था से पांच गुनी बड़ी है। भारत की अर्थव्यवस्था पौने तीन लाख करोड़ डॉलर की है। आठवें दशक तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार चीन की अर्थव्यवस्था के बराबर था। चीन आज अपने रक्षा बजट पर ढाई सौ अरब डॉलर सालाना खर्च कर रहा है। उसने अमेरिका की तर्ज पर दुनिया के कई बंदरगाहों को विकसित कर अपने सैन्य अड्डे विकसित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। चीन के सार्वजनिक क्षेत्र से लेकर निजी क्षेत्र की कंपनियां तक पूरी दुनिया में निवेश कर रही हैं। जहां भारतीय कंपनियां विदेशों में पूंजी निवेश को लेकर सोचती हैं, वहीं चीन की कंपनियां विदेशों में दनादन पैसे लगा रही हैं।

अफ्रीकी से लेकर एशियाई देश तक चीनी पूंजी के गिरफ्त में हैं। भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमा और नेपाल में चीन ने खासा निवेश किया है। पाकिस्तान में साठ अरब डॉलर और बांग्लादेश में अड़तीस अरब डॉलर के निवेश पर चीन ने काम शुरू कर रखा है। म्यांमा में चीन खासा निवेश कर चुका है। भारत का पड़ोसी नेपाल चीन की बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव परियोजना का भागीदार बन चुका है। चीन-नेपाल के बीच बृहद हिमालयन रेल, रोड जोड़ योजना पर काम शुरू हो चुका है।

दरअसल जिनपिंग महाबलीपुरम से वापसी के वक्त नेपाल पहुंचे थे। दिलचस्प बात यह थी कि चीनी मीडिया ने जिनपिंग की महाबलीपुरम यात्रा से ज्यादा नेपाल यात्रा को महत्त्व दिया। इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता है कि महाबलीपुरम की यात्रा से पहले जिनपिंग ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात कर संकेत दिया था कि पाकिस्तान चीन के लिए काफी अहमियत रखता है। जिनपिंग की भारत यात्रा से ठीक पहले इमरान खान का चीन दौरा और महाबलीपुरम से लौटते हुए जिनपिंग का नेपाल जाना भारत के लिए सांकेतिक इशारा था कि भारत के दो पड़ोसी मुल्क चीन के लिए भारत से ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने भारत विरोध और चीन समर्थन के लिए खासे जाने जाते हैं।

मोदी और जिनपिंग का संवाद अच्छे परिणाम लाएगा, इसकी पूरी उम्मीद है। लेकिन महाबलीपुरम में जिनपिंग ने कश्मीर को लेकर कोई बात नहीं की। शायद भारत यह मान कर चल रहा है कि कश्मीर पर चीन की नीति में कोई बदलाव नहीं आएगा। जम्मू-कश्मीर को लेकर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, यह भारतीय कूटनीति के निर्धारकों को पता है। गिलगित-बलतिस्तान, अक्साईचिन और पाक अधिकृत कश्मीर में चीन के आर्थिक हित हैं। यहां पर चीन ने अरबों डॉलर का पूंजी निवेश किया है। भारतीय कूटनीति की परीक्षा यहीं पर होगी। कश्मीर को लेकर चीन, मलेशिया और तुर्की पाकिस्तान के साथ खुल कर खड़े हैं।

महाबलीपुरम वार्ता से पहले पाकिस्तान में तैनात चीनी राजदूत ने कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ बयानबाजी की। चीनी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के पक्ष में मोर्चा खोला। लेकिन चीन से होने वाले भारी आयात पर भारत अभी तक चुप है। महाबलीपुरम में कश्मीर पर जिनपिंग ने कोई बातचीत ही नहीं की। हालांकि भारत के पास इस समय चीन से विरोध जताने के लिए काफी कुछ है। अमेरिका चीन को हांगकांग, तिब्बत और पश्चिमी चीन में मानवाधिकार दमन पर लगातार घेर रहा है। उइगुर मुसलमानों के दमन को आधार पर बना कर अमेरिका ने हाल में कुछ चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगाया है। लेकिन भारत फिलहाल हांगकांग तिब्बत और उइगुर मुसलमानों के मानवाधिकारों को लेकर चुप है।

राह का कनेर

विवेक कुमार मिश्र

दुनिया मेरे आगे

हरियाली और रास्ता खींचते ही रहे हैं। खासकर तब जब बारिश के दिनों में कहीं जा रहे होते हैं। बारिश के साथ धरती खिल जाती है। धरती का खिल जाना, महकना और रंगों में डूब जाना ही एक तरह से बारिश में पृथ्वी का नहाना है। एक तरह से देखें तो पृथ्वी पर हर मौसम अपने रंग और जज्बे से अपनी ओर खींच ही लेता है, पर बारिश के दिन की बात ही अलग होती है। कोटा से जयपुर के रास्ते पर चलते-चलते सड़क, हरियाली और दूर-दूर तक पसरे खेत अपनी ओर बुलाते से लगते हैं। यहां जीवन जीने की हलचल अलग से दिखती है। जीवन के शांत और सौम्य परिवेश में ऐसा लगता है मानो बादलों से बातें करते हुए जा रहे हों। वे कब आकर बरस जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते। बादलों की आवाजाही और धूपछाया के बीच हल्की फुहार और इन सबके साथ सड़क विभाजक यानी डिवाइडर पर खिली हरियाली जीवन का प्रतीक बन कर छाई हुई थी। इस हरियाली में जीवन खिला-खिला दिखता है। डिवाइडर पर मन को भाने वाले पौधे कनेर, बोगनबेलिया, चंपा और ठिगने पौधे जो ज्यादा बढ़ते नहीं पर हरे-भरे बने रहते हैं, इनका हरा-भरा बने रहना राहगीरों को भाता है।

ये पौधे मन की चेतन अवस्था को प्रकट करते हैं। सड़क पर जीना आसान नहीं। यहां वही जी सकता है जो हर तरह के अभावों के बीच रहता आया हो। जीने की इच्छा इतनी प्रबल हो कि भूख-प्यास सब सह सके और इसके बाद खिलखिलाता रहे। सड़क के पौधे तो खिलखिलाते ही रहते हैं और हर मौसम में खुश रहना जानते हैं। इन्हें इस बात से मतलब नहीं कि कोई इनकी फोटो ले रहा है कि नहीं। फोटो संस्कृति से बहुत दूर ये मगन रहते हैं। कनेर को मगन भाव से देखता हूं तो यही लगता है कि ये शायद सड़क मार्ग के लिए ही बने हैं। सड़क पर धुआं हो या धुंध, ये सब सह लेते हैं, खिलखिलाते रहते हैं।

कोई जरूरी नहीं कि सबको व्यवस्थित जगह ही मिले। होना तो यह चाहिए कि जो जगह मिल गई है, कोई वहीं पर मगन हो ले। खिलखिलाना ही मनुष्यता का उत्सव है। इस उत्सव को बारिश में पूरी तरह से खिलने का अवसर मिलता है। जब बारिश से पत्तियां धुल जाती हैं और जीवंत हो जाती हैं तो लगता है कि हां, जीवन जी लिया। जीवन जीने का यही भाव कनेर की पत्तियों, फूल और हरियाली के साथ रास्ते को देख कर लगता है। राह के कनेर, बोगनवेलिया बरबस ही ध्यान खींच लेते हैं। कनेर हरे देह पर धारण किए रहते पीले-पीले फूल। ये मन में बस जाते हैं। इनकी जीवंत छवि, पीले फूल इस तरह सज जाते हैं कि पूछिए मत! मन खिल जाता है। वहीं आसपास पुराने पड़ चुके पीले जर्जर फूल भी पड़े रहते हैं। कनेर भौतिकता के अथाह सागर में अपनी निर्लिप्तता के लिए जाना जाता है। इसे चकाचौंध छूकर भी नहीं आई। याद आता है कि गांव में भी कनेर कुएं के पास खड़ा है। वर्षों से इसी तरह खिला पड़ा रहता है। कोई देखभाल नहीं, कोई देखे न देखे, कनेर खिला रहता।

कनेर में खिलने की एक स्वाभाविक वृत्ति है। मौसम की मार को सहते हुए भी खिल जाता है। जब लोगबाग इसके पास आते हैं तो फूल और फल (कोइना) देने के लिए तत्पर हो जाता है। लोगबाग पूजा भाव से फूल तोड़ते हैं तो बच्चे खेल भाव से। कनेर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे किसी संग साथ की जरूरत महसूस नहीं होती। भाव-अभाव, सबमें खिलना, बने रहना जानता है। कनेर एक प्रतीक है जीवन के इस भाव का कि जब आपको खिलना है, मगन रहना है तो किसी की परवाह न करें। यह मत सोचें कि कौन क्या सोचेगा, क्या कहेगा! अगर यह सोचेंगे तो कुछ कर ही नहीं सकते। कौन क्या सोचता है, यह महत्त्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप क्या सोचते हैं, आपकी सोचने की प्रक्रिया क्या है, इस पर काम करें और अपनी गति को प्रारंभ करें।

यह मन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे दूसरों के आधार पर बनाना गलत होगा। यह तभी संभव होगा, जब आप किसी की भी परवाह किए बिना अपने मूल स्वभाव में जीते हैं। मूल स्वभाव में बने रहना और हर स्थिति के साथ जीना, साक्षात्कार करना और हर तरह की प्रतिकूलताओं को अपने भीतर जज्ब करने का भाव ही आपको बड़ा बनाता है। कनेर तो बस अपनी जगह पर बना रहता है। कोई आए तो ठीक, न आए तो ठीक। संसार में जीने से बढ़ कर कुछ नहीं है। राह के डिवाइडर पर तन कर बने रहने वाले ये फूल जीवट के प्रतीक भी कहे जा सकते हैं। यहां कोई देखने वाला है या नहीं है! यहां तो सख्त जान का पौधा और आदमी ही चल पाएगा।

दूरियों के बावजूद

एक बात तो बिल्कुल सच्ची और बड़ी दिलचस्प भी है कि जब पाकिस्तान का विरोध करने की धुकधुकी होने लगती है तो चाहे राजनीति वाले हों या तथाकथित देशभक्त और मीडिया के चैनल, सब में एक-दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ लग जाती है। विपक्ष भी अन्यथा असहमत होने के बावजूद इस प्रसंग में हामी भरने की प्रतिबद्धता दिखाता है। एक सच्चे देशभक्त होने का सबसे बड़ा सबूत और सुकून ही जैसे यह हो चला है कि पाकिस्तान की जम कर धुनाई करो, खिल्ली उड़ाओ और सब तरफ लकीरें खींच कर उसे दुनिया के नक्शे पर 'अलग-थलग' करा देने का श्रेय लूटो। विचारों में तालमेल और कहीं हो या न हो, पर इस सियासी खेल में सभी शामिल हो जाते हैं। चलिए, कोई एक बिंदु तो है जहां आकर हमारे प्रमुख राजनीतिक दलों में 'मिले सुर मेरा-तुम्हारा' हो जाता है।

यह सोच कर थोड़ी तसल्ली होती है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, या कम होता था। लेकिन अब तो स्थिति यह है कि पाकिस्तान को पड़ोसी की बजाय दुश्मन बताने पर सहमति वाली गर्दन हिलाना बेहतर माना जाता है। इस तरह देखें तो पाकिस्तान का शुक्रिया करना बनता है। पाकिस्तान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मिजाज थोड़े अलग हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान भी पार्टी का प्रचार-राग पाकिस्तान ही रहा। बालाकोट, पुलवामा वगैरह इसी राग के वादी-संवादी स्वर थे।

लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक दल या उसके समर्थकों की सोच संपूर्ण देश के मन का वशीकरण कर ले। कश्मीर के संदर्भ अलग हैं। लेकिन बंटवारों के दंश झेलने वाला देश का छोटा-सा सूबा पंजाब, जो इधर 'चढ़दा पंजाब' कहाता है, सात दशक बीत चुकने के बाद भी अपनी देह के कटे हिस्से 'लैंहदा पंजाब' को भीतर धड़कते हुए पाता है। यह स्थिति दोनों तरफ एक-सी है और ये अहसास हमेशा बने रहेंगे। महज इसलिए नहीं कि दोनों के पुरखों की राख दूसरी तरफ वाली मिट्टी में समाई हुई है। बल्कि इसलिए ज्यादा कि उनके लिए वह धरती बाबा नानक और अपने सूफियों, पीरों-फकीरों के नाम पर पूजनीय है। दहशतगर्दी की आंधियां सरहद के उस पार से उठें या इस पार से, चुनावी मंचों पर खड़े सियासतदान जंग की धमकियां दें या परमाणुओं की, पंजाब यह सब झेलते हुए भी दूरियां मिट जाने की कल्पना से रोमांचित होता रहा है।

● *शोभना विज, पटियाला*

आपदा और सजगता

ऐसी कई प्राकृतिक या अप्राकृतिक घटनाएं होती हैं जिसके कई पक्ष होते हैं। पटना में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा को देखें तो यह घटना एक ओर जहां प्रकृति की मार है, वहीं दूसरी ओर व्यवस्था की विफलता। इसीलिए कह सकते हैं कि यह कोई नई आपदा नहीं है कि जिसके प्रति हम जागरूक नहीं रहें और हमारी व्यवस्था अनुकूल न रहे। यह तो आदिकाल से मानव जीवन ही नहीं वरन संपूर्ण जीव जगत के लिए संकट का विषय है। सर्वविदित है कि विश्व भर में जापान इकलौता देश है जहां भूकम्प जैसी आपदा आम बात है, फिर भी वह एक संपन्न राष्ट्र है। सजगता और विकसित विनिर्माण विधि द्वारा जापान और उसके नागरिकों ने इस चुनौती से लड़ना सीख लिया। हम व्यवस्था और प्रकृति को दोष न देकर यदि आज भी सजग हो जाएं तो बड़ी-से-बड़ी आपदाओं का सामना बिना व्यापक क्षति के कर सकते हैं। हर व्यक्ति जागरूक हो, व्यवस्था सजग हो।

● *कर्मवीर साव, श्रीनगर, बेलहर, बांका, बिहार*

वृद्धि की उम्मीद

रिजर्व बैंक द्वारा पेशेवर आकलनकर्ताओं के बीच कराए गए छमाही सर्वेक्षण में भी जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 6.1 पर रहा। 2020-21 के लिए यह सात फीसद तक पहुंचा है। यह केंद्रीय बैंक के स्वयं के अनुमान के मुताबिक है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बार-बार कहा है कि जब भी गुंजाइश होगी केंद्रीय बैंक व आयकर परिवर्तन संबंधी चिंताओं को दूर करने और अर्थव्यवस्था को उबारने में मदद करता रहेगा। अगस्त-सितंबर में निवेश और वृद्धि बढ़ाने के सरकार के आय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में सुधार, सरकारी बैंकों में पूंजी डालने और सरकारी बैंकों के विलय से जीडीपी वृद्धि दर की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा कारपोरेट आयकर की दर में कमी, दबाव वाली परिसंपत्तियों के तेजी से समाधान और रेपो दर में कटौती का लाभ नीचे तक पहुंचाने से वृद्धि बढ़ाने में मदद मिलेगी।

● *अजीत कुमार गौतम, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

बैंकों की भूमिका

किसी देश के बैंकों पर उसकी अर्थव्यवस्था का दारोमदार होता है। ऐसे में जब बैंकिंग व्यवस्था संकट से गुजरती है या उस पर संदेह गहराता है तो उससे अर्थव्यवस्था भी खासा प्रभावित होती है। भारत की अर्थव्यवस्था आज जिस स्थिति में है उसमें बैंकों की बड़ी भूमिका है।

यह सर्वविदित है कि बैंकिंग व्यवस्था वित्तीय लेन-देन से चलती है और विकास भी इसी से करती है। लेकिन तमाम घोटालों के बाद, मसलन- पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक)- लोग बैंकों पर ज्यादा भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सिमटने और बदनामियों के बाद ग्राहक वर्ग बैंकों की ओर बढ़ने से पहले एक बार सोच रहा है। ऐसे में जब नगदी बैंकों तक नहीं पहुंचेगी तो यह आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के लिए और चुनौती भरा होगा।

दूसरी ओर अगर बैंकों के नजरिए से देखें तो गैर निष्पादित संपत्तियां उनके लिए गंभीर समस्या बनी हुई हैं। सरकार भी इन बैंकों की मदद करने के बजाय खुद इन पर निर्भर है। साथ ही बैंकों पर सरकारी योजनाओं को लेकर चलने का भी बोझ है। रेपो दर में लगातार कटौती रिजर्व बैंक की मजबूरी हो गई है मगर उसका कुछ खास असर नहीं हो रहा। अब इस स्थिति में सरकार को कोई ठोस और दूरदर्शी कदम उठाने होंगे ताकि बैंकों से लेकर ग्राहक तक को बल मिले और अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके।

● *संजय दूबे, आईआईएमसी, नई दिल्ली*

जरा हट के

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की पत्नी ब्रिगिट मैक्रों पेरिस के एक स्कूल में बच्चों के साथ फोटो खिंचवाती हुईं।

बोल

अमेरिकी जनता साफ देख सकती है कि ट्रंप ने पद का उल्लंघन किया, राष्ट्र को धोखा दिया और महाभियोग लायक कृत्य किए। हमारे संविधान, लोकतंत्र, बुनियादी एकता की रक्षा के लिए उन पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए।
-जो बाइडेन, अमेरिका के पूर्व उप राष्ट्रपति

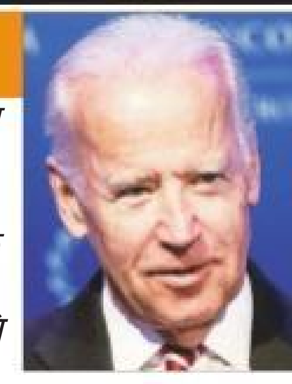

विवाद

चीन अपने 'एक देश, दो तंत्र' कार्यक्रम के इस्तेमाल के जरिए हमें लगातार धमका रहा है और सभी तरह के हमले करने के साथ ही क्षेत्र की शांति एवं स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।
-साई इंग-वेन, ताइवान की राष्ट्रपति

सम-सामयिक

औद्योगिक उत्पादन : मर्ज बेहिसाब, चुनौतियां बेशुमार

जनसत्ता संवाद

विनिर्माण, बिजली, खनन क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन से अगस्त महीने में औद्योगिक उत्पादन 1.2 फीसद घट गया। औद्योगिक उत्पादन का यह पिछले सात साल का सबसे खराब प्रदर्शन है। विनिर्माण क्षेत्र के 23 में से 15 उद्योग समूहों के उत्पादन में गिरावट आई।

पूंजीगत सामान और टिकाऊ उपभोक्ता सामान के उत्पादन में बड़ी गिरावट है। दो साल में यह पहला मौका है जबकि औद्योगिक उत्पादन नकारात्मक है। अगस्त, 2018 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) 4.8 फीसद बढ़ा था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुसार, आईआईपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 77 फीसद है। इसलिए इसका असर ज्यादा पड़ा है। इससे पहले अक्तूबर, 2014 में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 1.8 फीसद घटा था।

बिजली क्षेत्र का उत्पादन 0.9 फीसद नीचे आया। अगस्त, 2018 में बिजली क्षेत्र का उत्पादन 7.6 फीसद बढ़ा था। वहीं खनन क्षेत्र के उत्पादन की वृद्धि 0.1 फीसद पर स्थिर रही। पूंजीगत सामान का उत्पादन 21 फीसद से अधिक घट गया। पिछले साल समान महीने में पूंजीगत सामान का उत्पादन 10.3 फीसद बढ़ा था। टिकाऊ उपभोक्ता सामान क्षेत्र का उत्पादन भी 9.1 फीसद घट गया। अगस्त, 2018 में यह 5.5 फीसद बढ़ा था। बुनियादी ढांचा-निर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन भी काफी खराब रहा। इस क्षेत्र में 4.5 फीसद की गिरावट आई। अगस्त, 2018 में इस क्षेत्र ने आठ फीसद की वृद्धि दर्ज की थी। उपभोक्ता गैर टिकाऊ सामान क्षेत्र के उत्पादन की वृद्धि घटकर 4.1 फीसद रह गई। एक साल पहले समान महीने में इस क्षेत्र का उत्पादन 6.5 फीसद बढ़ा था। अब कारोबारी और आम लोग मानने लगे हैं कि नोटबंदी और उसके बाद जीएसटी लागू होने से विकास दर में गिरावट आनी शुरू हुई। इससे पहले विकास दर 8.2 फीसद की रफ्तार से बढ़ रही थी। फिलहाल यह 2013-14 की विकास दर से भी काफी नीचे चली गई है। उस साल विकास दर 6.4 फीसद थी।

नोटबंदी के बाद मांग में असर देखने को मिला, जिससे लोगों की आमदनी प्रभावित हुई और नौकरियां भी गईं, जिसे अर्थशास्त्री बहुआयामी प्रभाव कहते हैं। इसके बाद जीएसटी लागू होने के बाद आयात पर असर पड़ा, क्योंकि आयात करने वालों को रिफंड मिलने में देरी हुई। जैसे-जैसे नोटबंदी और जीएसटी का प्रभाव कम होने लगा, उसी समय आईएलएंडएफएस संकट से एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर संकट आने लगा। 2018 के अंत में वैश्विक तौर पर अमेरिका-चीन के बीच व्यापार युद्ध और कमजोर कारोबार का असर देश में भी दिखाई देने लगा।

सरकार ने पिछले एक साल में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई कदम उठाएं। रिजर्व बैंक ने पांचवी बार अपनी ब्याज दर कम की और सरकार ने पिछले दो महीने में कई तरह की छूट दी। इसके बावजूद औद्योगिक उत्पादन गिरा है और उसकी वजह है कि पिछले तीन साल में असंगठित क्षेत्र बड़ी बुरी तरह गिरा है। अब असंगठित क्षेत्र से परेशानी संगठित क्षेत्र में भी आ गई है। पिछले डेढ़ साल में ऑटो, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, रेडीमेड कपडों, हवाई चप्पल से लेकर के बिस्किट इंडस्ट्री भी कमजोर मांग से प्रभावित दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश में 6300 करोड़ डॉलर की आवासीय परियोजनाएं अटकी हुई हैं। कंपनी के सितंबर माह में कुल 7,851 वाहन बिके।

सरकारी आंकड़ों पर ही सवाल

औद्योगिक उत्पादन गिरने को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर फिल्में करोड़ों का कारोबार कर रही हैं तो फिर देश में मंदी कैसे है? हालांकि, बाद में उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के जिन आंकड़ों को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने टिप्पणी की थी, वह केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के मातहत मंत्रालय का विभाग है।

शोध-अनुसधान

इंजेक्शन से छुटकारा दिलाएगा कैप्सूल

जनसत्ता संवाद

मधुमेह के मरीजों को अब हर रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लेने से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कैप्सूल तैयार किया है, जो बिना नुकसान हुए खून में घुल जाएगा और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करेगा।

देश में 50 वर्ष से अधिक उम्र के 11.8 फीसदी लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। इनमें महिला और पुरुष दोनों की संख्या करीब एक जैसी है। मधुमेह पर नियंत्रण के लिए डॉक्टर अक्सर मरीजों को उचित व्यायाम, आहार और शरीर के वजन को नियंत्रित रखने की सलाह देते हैं। कुछ मरीजों के लिए ये सलाह कारगर साबित नहीं होती और उन्हें ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने के लिए हर रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। हाल में ही वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में एक बड़ी सफलता मिली है। वैज्ञानिकों ने इंसुलिन इंजेक्शन से छुटकारा दिलाने के लिए एक कैप्सूल विकसित किया है, उम्मीद है कि इससे मधुमेह से पीड़ित मरीजों को राहत मिल सकती है।

डेनमार्क की दवा निर्माता कंपनी नोवो नोरडिस्क के वैज्ञानिकों के साथ काम कर रहे मैसाच्युसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी (एमआइटी) के शोधार्थियों ने यह कैप्सूल (दवा) बनाया है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह कैप्सूल छोटी आंत की लाइनिंग में इंसुलिन और अन्य दवाएं पहुंचा सकता है जिन्हें सामान्य तौर पर इंजेक्शन के जरिए शरीर में पहुंचाया जाता है।

मधुमेह दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है क्योंकि आज इसकी चपेट में युवा वर्ग भी है। मधुमेह बीमारियों का एक समूह है, जिसमें खून में ग्लूकोज या ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। ऐसा तब होता है, जब शरीर में इंसुलिन ठीक से न बने या शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के लिए ठीक से प्रतिक्रिया न दें। जिन मरीजों का ब्लड शुगर सामान्य से अधिक होता है वे अक्सर बार-बार पेशाब (पॉलीयूरिया) से परेशान रहते हैं। अगर मधुमेह पर ठीक से नियंत्रण न रखा जाए तो मरीज में दिल, गुर्दे, आंखें, पैर एवं तंत्रिका संबंधी कई तरह की बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है।

मधुमेह के दोनों की प्रकार यानी मधुमेह टाइप 1 और मधुमेह टाइप 2 में अलग से इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ जाती है। दोनों ही परिस्थितियों में इंसुलिन का इंजेक्शन मरीजों को लेना पड़ता है। मरीजों को इस तकलीफ से छुटकारा दिलाने के लिए वैज्ञानिक काफी समय से दवा के रूप में इसे बनाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन हर बार उन्हें विफलता हाथ लगी रही थी। वैज्ञानिकों द्वारा शुरुआत में तैयार किए गए इंसुलिन कैप्सूल आमतौर पर पेट मे एसिड के कारण टूटकर प्रभावहीन हो रहे थे और छोटी आंत तक उनकी पूरी डोज नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन एमआइटी टीम ने एक सुरक्षित और कोटेड दवा बनाने का दावा किया है। इन वैज्ञानिकों का दावा है कि उनकी बनाई हुई नई दवा इतनी स्ट्रॉन्ग है कि यह पेट में बनने वाले एसिड से नष्ट नहीं होगी और छोटी आंत तक बिना किसी नुकसान के पहुंच जाएगी। छोटी आंत तक पहुंचने के बाद ये कैप्सूल इंसुलिन को रिलीज करना शुरू करेगी। फिर इंसुलिन रक्त में आसानी से घुल कर ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है।

एमआइटी के प्रोफेसर रॉबर्ट लैंगर ने कहा, 'हम अपनी प्रयोगशाला के सदस्यों के नई दवा की खोज से खुश हैं। इस कैप्सूल की खोज में प्रयोगशाला के सदस्यों ने आखिर समय में सफलता पाई है, जो भविष्य में मधुमेह के मरीजों समेत अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए काफी लाभदायक होने वाला है। उन्होंने बताया कि इस इंसुलिन कैप्सूल का साइज 30 मिलीमीटर है, जिसमें पर्याप्त इंसुलिन है, जितना कि एक मधुमेह के मरीज के लिए जरूरी है। खास बात यह है कि विकसित इंसुलिन हार्मोन कैप्सूल तेजी से घुलकर खून में पहुंच जाती है, जिससे मधुमेह के मरीज को तुरंत लाभ मिलेगा।'

विश्व परिक्रमा

इराक में हिंसक प्रदर्शनों में 93 की मौत

रविवार, 6 अक्तूबर : इराक के बगदाद और देश के अन्य दक्षिणी शहरों में हुए प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 93 हो गई है। यह प्रदर्शन बीते पांच दिनों से हो रहे हैं। इस बीच तेजतर्रार नेता मौलाना मुक्तदा अल सद्र ने सरकार से इस्तीफा देने की मांग की है।

महाभियोग में कानून का पालन होगा

सोमवार, 7 अक्तूबर : अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही में विदेश मंत्रालय कानून का पालन करेगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में शुक्रवार रात कांग्रेस को पत्र भेजा है।

आइएस को नहीं पनपने देंगे : तुर्की

मंगलवार, 8 अक्तूबर : तुर्की के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के प्रवक्ता के विशेष सलाहकार इब्राहिम कलिन ने कहा कि तुर्की इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा और इसे किसी भी रूप में फिर से पनपने नहीं देगा।

एंतोनियो गुतारेस

द्विपक्षीय हो कश्मीर मुद्दे का समाधान

बुधवार, 9 अक्तूबर : चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा से पहले चीन ने महत्त्वपूर्ण बयान में कहा कि कश्मीर के मुद्दे का समाधान भारत और पाकिस्तान को आपसी बातचीत से निकालना होगा। चीन ने संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अपने हालिया संदर्भों को छोड़ते हुए यह बात कही।

संयुक्त राष्ट्र के पास धन की भारी कमी

गुरुवार, 10 अक्तूबर : संयुक्त राष्ट्र गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हालत यह है कि उसे कर्मचारियों को इस महीने के वेतन देने में भी मुश्किल हो रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने मंगलवार को बताया था कि यह संस्था सबसे गंभीर घाटे के दौर से गुजर रहा है।

अमेरिका ने नहीं की मदद : ट्रंप

शुक्रवार, 11 अक्तूबर : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीरिया के कुर्दों ने आइएस के खिलाफ जंग में अमेरिका की कोई मदद नहीं की। इस बयान के जरिए उन्होंने अमेरिकी बलों को वापस बुलाने के अपने फैसले का बचाव किया है।

इथियोपिया प्रधानमंत्री के नाम नोबेल

शनिवार, 12 अक्तूबर : इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनको यह पुरस्कार उनके देश के चिर शत्रु इरिट्रिया के साथ संघर्ष को सुलझाने के लिए दिया गया है। नोबेल कमेटी ने इसकी जानकारी दी है।

जानें-समझें

ममल्लपुरम अनौपचारिक वार्ता

कुछ बात बनी कुछ बाकी रही

दीपक रस्तोगी

मल्लपुरम आए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अनौपचारिक मुलाकात में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय और कई अहम क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश, कैलाश मानसरोवर यात्रा, आईटी और दवा क्षेत्र पर बातचीत हुई। महाबलीपुरम की वार्ता कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम रहा। शी के बेजिंग से उड़ने के पहले कश्मीर मुद्दे पर कड़वी बात कहने वाले चीन ने भारत के सख्त ऐतराज के बाद चुप्पी साध ली। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे को चर्चा का विषय जरूर बना दिया।

क्या मिला, क्या नहीं मिला

जिन मुद्दों पर सहमति बनी, वे हैं - कारोबार घाटा कम करने के लिए विशेष प्रणाली स्थापित करना, रक्षा क्षेत्र में उच्च स्तरीय सहयोग, सीमा पर विश्वास बढ़ाने वाले उपाय और मजबूत करना, आतंकवाद और उग्रवाद रोकने के लिए आपसी सहयोग, दोनों देशों के बीच नागरिक स्तर पर सहयोग बढ़ाना।

जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बनी, वे हैं - सीमा पार आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान का नाम लेकर निंदा प्रस्ताव, एनएसजी की सदस्यता के लिए चीन की ओर से भरोसा, चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर पर भारत की आपत्तियों को लेकर भरोसा, भारतीय आर्थिक गलियारे को लेकर आश्वासन, एफएटीएफ में पाकिस्तान को लेकर चीन का रवैया।

कश्मीर और आतंकवाद

आशंका जताई जा रही थी कि कश्मीर मुद्दे के कारण दोनों नेताओं की बातचीत पटरी से उतर सकती है। इस आशंका को उस समय और बल मिला था पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बैठक के बाद चीन ने कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र का अनुसरण करने की मांग की थी। लेकिन शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच अनौपचारिक शिखर वार्ता के दौरान कश्मीर के मुद्दे पर एक बार भी चर्चा नहीं हुई, जबकि आतंक पर विस्तार से बात हुई। विदेश सचिव विजय गोखले के मुताबिक, भारत ने पहले ही तय कर लिया था कि कश्मीर भारत का आतंरिक मामला है, ऐसे में वह इस मुद्दे पर चीनी नेता के सामने बात नहीं करेगा। अगर चीनी राष्ट्रपति इसका जिक्र करते तो प्रधानमंत्री मोदी इस पर भारत के रुख से उन्हें स्पष्ट करा देते। गोखले के मुताबिक, दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि आतंकवाद और कट्टरवाद की चुनौतियों का सामना करना जरूरी है।

रणनीतिक संतुलन की समझ

चीन के राष्ट्रपति ने रक्षा सहयोग बढ़ाने की जरूरत के बारे में बात की। इससे दोनों देशों की सेना के बीच विश्वास बढ़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जल्द ही चीन का दौरा करेंगे। मोदी और जिनपिंग के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी बातचीत हुई। जिनपिंग ने इस पर सहमति जताई। दोनों देशों की कोशिश रही है कि पाकिस्तान की वजह से रिश्तों में कोई दरार न आए। इसलिए रिश्तों को मजबूत बनाने की दिशा में तभी बढ़ा जा सकता है, जब रणनीतिक संतुलन भी बना रहे। चीन की चिंता लद्दाख को लेकर है, लेकिन उसे लेकर भारत के साथ चीन तनाव नहीं चाहेगा क्योंकि इससे कोई कोई लाभ नहीं होगा। चीन के लिए भारत बड़ा बाजार है। भारत व चीन के बीच सीमा विवाद है और कुछ अन्य जटिल मुद्दे भी हैं, तो उन्हें बातचीत से ही सुलझाने पर जोर दे रहे हैं।

नई व्यवस्था में व्यापार

अनौपचारिक वार्ता के बाद मोदी और जिनपिंग के बीच प्रतिनिधि स्तर पर चर्चा हुई। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इसमें तय हुआ कि दोनों देश व्यापार घाटा कम करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि व्यापार और निवेश संबंधी मुद्दों के लिए एक नई प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसमें चीन की तरफ से उप प्रधानमंत्री हु शुन्हुआ और भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल होंगी। शी-मोदी वार्ता के बाद प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत में दोनों देशों के बीच व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क बढ़ाने पर बात हुई। अगले दौर की बैठक चीन में होगी।

क्या है जानकारों की राय

संबंधों पर असर डालने वाले पुराने मुद्दों से आगे जाकर बातचीत हुई। भारत और चीन- दोनों ही जानते हैं कि सीमा के मुद्दों का हल रातों-रात नहीं निकाला जा सकता। लेकिन तनाव टालने की दिशा में लगातार प्रयासों का असर दोतरफा संबंधों पर जरूर दिखेगा।

-अशोक कंठ, पूर्व राजनयिक एवं रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ

शी और मोदी ने वितर्क और मतभेद वाले मुद्दे छुए ही नहीं, मसलन पाकिस्तान या धारा 370 या सीपेक। दोनों ने कारोबारी हित के मुद्दों पर जो दिया, जो आगे चलकर भारत-चीन संबंधों में अहम साबित होगा। लेकिन बड़ी सफलता तब मिलेगी, जब राजनय के मुद्दों पर चीन का साथ मिल जाए।

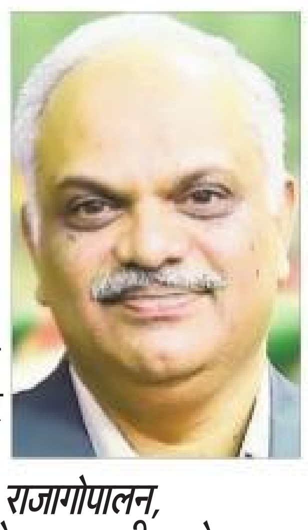

-प्रोफेसर राजेश राजागोपालन, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू

व्यक्तित्व

जीएस लक्ष्मी : आइसीसी की पहली महिला रेफरी

जनसत्ता संवाद

भारत की जीएस लक्ष्मी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) मैच की पहली महिला रेफरी बन गई हैं। अब वे तुरंत प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय मैचों में अपनी सेवाएं दे सकती हैं। बीते हफ्ते ही आइसीसी ने आइसीसी पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2019 के लीग चरण के लिए मैच अधिकारियों की सूची की घोषणा की। इसमें जीएस लक्ष्मी के साथ न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान जेफ क्रो भी शामिल किया गया है। लक्ष्मी अबू धाबी के जायद स्टेडियम में हांगकांग और आयरलैंड के बीच होने वाले मैच में रेफरी की भूमिका निभाएंगी।

लक्ष्मी ने कहा, आइसीसी के अंतरराष्ट्रीय पैनल में चुना जाना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है क्योंकि इससे मेरे लिए नए दरवाजे खुलेंगे। भारत में एक क्रिकेटर और मैच रेफरी के रूप में मेरा लंबा करिअर रहा है। उम्मीद है कि मैं एक खिलाड़ी और मैच अधिकारी के रूप में अपने अनुभव का अंतरराष्ट्रीय सर्किट में अच्छा उपयोग करूंगी।'

लक्ष्मी ने इसके लिए आइसीसी और बीसीसीआइ के अधिकारियों सहित अपने उन सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने हमेशा उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि मैं सभी की उम्मीदों पर खरा उतरूंगी और अपनी क्षमता के अनुसार बेहतर प्रदर्शन दूंगी। वहीं आइसीसी के अंपायरों और रेफरी विभाग के सीनियर मैनेजर एड्रियन ग्रिफिथ ने कहा, 'हम लक्ष्मी और इलोइस का अपने पैनल में स्वागत करते हैं जो कि महिला अधिकारियों को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता की तरफ बढ़ाया गया महत्त्वपूर्ण कदम है। उनकी प्रगति देखकर अच्छा लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि अधिक से अधिक महिलाएं उनका अनुसरण करेंगी।'

मूल रूप से आंध्र प्रदेश की 51 साल की जीएस लक्ष्मी का पूरा नाम गांडिकोटा सर्व लक्ष्मी है। वे भारतीय क्रिकेट मैच रेफरी और एक पूर्व घरेलू क्रिकेट खिलाड़ी और कोच हैं। वे दाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की तेज मध्यम आउटस्विंग गेंदबाज रही हैं। उनकी परवरिश जमशेदपुर में हुई जहां उनके पिता नौकरी करते थे।

लक्ष्मी ने टाटा नगर में क्रिकेट खेलना शुरू किया। स्पोर्ट्स कोटा के तहत उनका दाखिला जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज में हुआ जहां उनकी तेज गेंदबाजी को काफी सराहा गया। 1989 में वे हैदराबाद चली गईं और दक्षिण मध्य रेलवे में नौकरी करने लगीं। बाद में दक्षिण मध्य रेलवे क्रिकेट टीम के लिए खेलना शुरू किया। लक्ष्मी ने 1989 और 2004 के बीच आंध्र महिला, बिहार महिला, रेलवे महिला, पूर्वी क्षेत्र महिला और दक्षिण क्षेत्र महिला सहित कई घरेलू टीमों के लिए खेला।

2008-2009 में पहली बार घरेलू महिला क्रिकेट में मैच रेफरी की भूमिका निभाई थी। वे महिला क्रिकेट से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय वनडे और तीन अंतरराष्ट्रीय टी-20 मुकाबलों में मैच रेफरी की भूमिका निभा चुकी हैं। इसी साल मई में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आइसीसी) ने जीएस लक्ष्मी को अपने मैच रेफरी के इंटरनेशनल पैनल में जगह दी थी। वे इस पैनल में जगह पाने वाली पहली महिला बनी थीं।

भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगाती स्थिति में : बनर्जी

कोलकाता, 14 अक्तूबर (भाषा)।

अर्थशास्त्र के लिए 2019 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगाती स्थिति में है। उन्होंने कहा कि इस समय उपलब्ध आंकड़े यह भरोसा नहीं जगाते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था जल्द पटरी पर आ सकती है।उन्होंने कहा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति डगमगाती हुई है। वर्तमान (विकास के) आंकड़ों को देखने के बाद, (निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था के पुनरोद्धार) को लेकर निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता है।' बनर्जी ने अमेरिका से एक समाचार चैनल को बताया, 'पिछले पांच-छह वर्षों में, हमने कम से कम कुछ विकास तो देखा, लेकिन अब वह आश्वासन भी खत्म हो गया है।' बनर्जी कहा कि उन्होंने जीवन में कभी भी नहीं सोचा था कि उन्हें इतनी जल्दी नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। उन्होंने कहा, 'मैं पिछले 20 वर्षों से शोध कर रहा था। हमने गरीबी उन्मूलन के लिए समाधान देने की कोशिश की।'

प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में खुशी की लहर

कोलकाता, 14 अक्तूबर (भाषा/जनसत्ता)।

प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी ने सोमवार को कहा कि यह संस्थान के लिए गर्व की बात है कि उनके पूर्व छात्र और मार्गदर्शक समूह के सदस्य अभिजीत बनर्जी का चयन 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए हुआ है।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार देबज्योति कोनार ने कहा कि विश्वविद्यालय को खुशी है कि उसके दो पूर्व छात्रों- अमर्त्य सेन और अब बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रेसींडेंसी परिवार को बनर्जी पर गर्व है।

जेएमबी भारत में पांव पसारने की कोशिश में : एनआइए प्रमुख

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)।

राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) के प्रमुख वाईसी मोदी ने सोमवार को कहा कि जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) भारत में अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 125 संदिग्धों की सूची विभिन्न राज्यों के साथ साझा की गई है।

आतंकवाद रोधी दस्तों (एटीएस) के प्रमुखों की एक बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि जेएमबी ने झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में बांग्लादेशी प्रवासियों की आड़ में अपनी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा, 'एनआइए ने जेएमबी नेतृत्व से करीबी संबंध रखने वाले 125 संदिग्धों की सूची संबंधित राज्यों के साथ साझा की है।'

एनआइए के महानिरीक्षक आलोक मित्तल ने कहा कि 2014 से 2018 के बीच जेएमबी ने बंगलुरु में 20 से 22 ठिकाने स्थापित किए और दक्षिण भारत में अपने पैर पसारने की कोशिश की। उन्होंने कहा, 'जेएमबी ने कर्नाटक सीमा के पास कृष्णागिरि हिल्स में रॉकेट लॉन्चर्स का परीक्षण भी किया।' मित्तल ने कहा कि म्यांमा में रोहिंग्या मुस्लिमों के उत्पीड़न का बदला लेने के लिए जेएमबी बौद्ध मंदिरों पर भी हमला करना चाहता था। उन्होंने कहा कि जेएमबी ने अपनी गतिविधियां सबसे पहले 2007 में पश्चिम बंगाल और असम में शुरू की थीं और फिर उसने देश के अन्य हिस्सों में अपनी गतिविधियां शुरू कीं। मित्तल ने कहा, 'जांच के दौरान पाया गया कि 130 संदिग्ध जेएमबी नेतृत्व के साथ नियमित संपर्क में थे।' जिहादी गतिविधियों का हवाला देते हुए मित्तल ने कहा कि अभी तक देश में 127 लोगों को पश्चिम एशिया में आतंकवादी समूह आईएसआईएस के साथ संपर्क रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

सोनिया पर खट्टर की टिप्पणी से कांग्रेस में उबाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर।

- हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने राहुल के बाद सोनिया के कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर कहा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया
- हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा, चुनाव में सबक सिखाएंगी हरियाणा की महिलाएं
- कांग्रेस ने कहा, देश की महिलाओं से माफी मांगें खट्टर

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कथित अपमानजनक टिप्पणी पर कांग्रेसी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। पार्टी ने खट्टर के बयान को असंसदीय एवं निंदनीय करार देते हुए उनसे देश की सभी महिलाओं से माफी मांगने की मांग की और यह दावा भी किया कि विधानसभा के इस चुनाव में हरियाणा की महिलाएं खट्टर को उनकी महिला विरोधी सोच के लिए सबक सिखाएंगी।

कांग्रेस ने सोमवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा- कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अपने तुच्छ बयान, महिलाओं के अपमान और असामाजिक सोच के लिए मुख्यमंत्री खट्टर को देश की समस्त महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी ओर हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा- मुख्यमंत्री खट्टर, आपके लिए महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन अपने सोनिया गांधी के खिलाफ जो टिप्पणी की है वह पूरे नारी समाज का घोर अपमान है। आपके शासन में हरियाणा क्राइम कैपिटल बन गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर को यह चेतावनी भी दी कि हरियाणा की आधी आबादी आगामी 21 अक्तूबर को भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है।

इस मुद्दे पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने एक बयान जारी कर कहा- मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की टिप्पणी की निंदा करती हूं। सुष्मिता ने कहा कि उनकी टिप्पणी असंसदीय और निंदनीय है। यह महिलाओं के प्रति उनके और भाजपा के अपमानजनक रुख को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि विमर्श के स्तर को नीचे ले जाना बेरोजगारी और गंभीर आर्थिक मंदी जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है।

महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ने कहा कि क्या इससे कोई इनकार कर सकता है कि हरियाणा भारत का रेप कैपिटल बन चुका है। अपहरण के मामले बहुत बढ़ गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास इसका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हम सार्वजनिक गरिमा को बरकरार रखने को प्रतिबद्ध हैं। मैं खट्टर से बिना शर्त की माफी करती हूं। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने भी पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान देश भर की महिलाओं का अपमान है और उनकी महिला विरोधी सोच का द्योतक है।

खबरों के मुताबिक खट्टर ने सोनीपत के पास खरखैदा में रविवार को एक सभा में कथित तौर पर कहा-लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल (राहुल गांधी) ने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ दिया और कहा कि नया कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा, हमने इस निर्णय का स्वागत किया था, वंशवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए यह अच्छा फैसला था, फिर, इन लोगों ने देशभर में (नए अध्यक्ष की) तलाश शुरू की, तीन महीने के बाद, उन्होंने सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया। यह तो ऐसा हुआ, जैसे खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वह भी मरी हुई।

भारतीय मूल के अभिजीत और उनकी पत्नी को अर्थशास्त्र का नोबेल

पेज 1 का बाकी

की हमारी क्षमता को बेहतर बनाता है। मात्र दो दशक में उनके नए प्रयोगधर्मी दृष्टिकोण ने विकास अर्थशास्त्र को पूरी तरह बदल दिया है। विकास अर्थशास्त्र वर्तमान में शोध का एक प्रमुख क्षेत्र है।' उनके स्कूलों में उपचारात्मक शिक्षण के प्रभावी कार्यक्रमों से 50 लाख से अधिक भारतीय बच्चे लाभान्वित हुए हैं। यह उनके विभिन्न अध्ययनों में से एक का प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा उदाहरण निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारी सब्सिडी दिए जाने का है जिसे कई देशों में लागू किया गया है।डुफ्लो ने कहा, 'यह (पुरस्कार मिलना) दिखाता है कि एक महिला के लिए सफल होना और उस सफलता के लिए पहचान मिलना संभव है। मैं उम्मीद करती हूं कि इससे कई लोगों, अन्य महिलाओं को उनका काम जारी रखने की प्रेरणा मिलेगी। यह पुरुषों को भी महिलाओं को उनके हक का सम्मान देने के लिए प्रेरित करेगा।'

केंद्र की गलत नीतियों से अर्थव्यवस्था बदहाल : राहुल

पेज 1 का बाकी

हैं। उन्होंने लोगों से सवाल पूछते हुए कहा कि आप लोग बताएं कितने लोगों को रोजगार मिला। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं। देश के सभी राज्यों में लोगों की हालत खराब है। राहुल गांधी ने कहा कि मंदी की मार झेल रहे लोगों यह मानना है कि मोदी ने अर्थव्यवस्था की हालत खराब कर दी।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से मारुति को कारखाना बंद करना पड़ा। टाटा को कंपनी बंद करनी पड़ी। इसकी वजह से करोड़ों बेरोजगार हो गए। मोदी और मनोहर लाल लगातार झूठ बोल रहे हैं। मोदी हर दसवें दिन मन की बात करते हैं। मैंने सोचा मैं काम की बात करूं। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री केवल मन की बात करते हैं। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी अंबानी-अडाणी के लाउडस्पीकर हैं। वे दिन भर उनकी बात करते रहते हैं। उन्होंने कहा, छह महीने बाद बेरोजगारी देखना।

राहुल ने कहा कि पहले नोटबंदी की मार फिर जीएसटी की मार से अर्थव्यवस्था खराब हुई। भीड़ से उन्होंने पूछा कि कोई यहां है जो कहे कि जीएसटी से फायदा हुआ है। इससे केवल हिंदुस्तान के 15-20 अमीर लोगों को फायदा हुआ है। वही लोग जीएसटी चाहते हैं। मोदी से सवाल पूछने के अंदाज में राहुल ने कहा कि अगर आप खुद को देशभक्त कहते हो तो पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को क्यों अपने अरबपति मित्रों को बेच रहे हो। राहुल गांधी ने कहा कि विजय माल्या, मेहुल चौकसी व नीरव मोदी जैसे लोगों को यह सरकार पैसा देती है। जो देश छोड़कर भाग जाते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने किसानों का ऋण माफ किया। राहुल ने कहा कि केंद्र में भले ही मोदी की सरकार है लेकिन हम हरियाणा में सत्ता परिवर्तन करके यहां की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकते हैं। किसान और मजदूर ही बदलाव ला सकता है।

प्लास्टिक की बोतलों, पैकेटों पर तीन महीने में पाबंदी की कार्रवाई करें : एनजीटी

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सोमवार को केंद्र और अन्य एजंसियों को निर्देश दिए कि वे पानी की छोटी बोतलें, थैलियों और कपों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर तीन महीनों के भीतर कार्रवाई करें। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सामान अच्छी खासी मात्रा में प्लास्टिक कचरा पैदा करते हैं।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाले पीठ ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर 'पर्यावरण व वन मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारतीय खाद्य संरक्षा व मानक प्राधिकरण और अन्य संबंधित एजंसियों को कानून के अनुसार तीन महीने के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए।' समिति द्वारा हाल में सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बार में इस्तेमाल होने वाले 'पैकेटों/बोतलों' की हल्की, पोर्टेबल और सस्ती प्रकृति उन्हें युवा और सक्रिय आबादी के साथ-साथ कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बनाए रखे हुए है। समिति ने कहा कि छोटे-छोटे पैकेटों/एक बार में इस्तेमाल होने वाले पैकेट ने बेहतर गुणवत्ता और प्रीमियम उत्पादों को समाज के सभी वर्गों तक सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया।

लेकिन साथ ही इसने प्लास्टिक का बड़ी तादाद में कचरा भी पैदा किया। उसने कहा कि अतः विधि मापविद्या विभाग के साथ विचार-विमर्श में निष्कर्ष निकाला गया कि पानी की छोटी बोतलों, पैकेटों, कपों जैसे छोटे आकार वाले पैकेटों को बंद किया जाना चाहिए जो अच्छी खासी मात्रा में प्लास्टिक का कचरा पैदा करते हैं।

विशेषज्ञ समिति ने कहा कि खाद्य और पेय पदार्थ, दवाइयां और कॉस्मैटिक्स और कपड़े प्रमुख सामान हैं जिनमें प्लास्टिक की पैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है।

सौरव गांगुली होंगे बीसीसीआइ के नए अध्यक्ष

पेज 1 का बाकी

किए जहां सभी पदाधिकारियों का निर्विरोध चुना जाना तय है। गांगुली ने बीसीसीआइ के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन, पूर्व सचिव और सौराष्ट्र के दिग्गज निरंजन शाह और आइपीएल के पूर्व अध्यक्ष राजीव शुक्ला की मौजूदगी में बोर्ड मुख्यालय में निर्वाचन अधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंपा। बाद में शुक्ला ने पत्रकारों को बताया कि कुल आठ नामांकन दाखिल किए गए हैं। गांगुली और शाह के अलावा माहिम वर्मा (उपाध्यक्ष), अरुण सिंह धूमल (कोषाध्यक्ष), बृजेश पटेल (आइपीएल संचालन परिषद सदस्य), जयेश जार्ज (संयुक्त सचिव), खैरुल जमील मजूमदार (संचालन परिषद सदस्य) और प्रभजोत सिंह भाटिया (पार्षद) ने नामांकन भरा है। इन उम्मीदवारों का 23 अक्तूबर को बीसीसीआइ की सालाना आम बैठक में निर्विरोध चुना जाना तय है।

पाक पर सबसे बड़ा दबाव एफएटीएफ का : डोभाल

पेज 1 का बाकी

कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) का है। एफएटीएफ की बैठक अभी पेरिस में चल रही है।

आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) के प्रमुखों की बैठक को संबोधित कर रहे डोभाल ने कहा कि पाकिस्तान पर सबसे अधिक दबाव एफएटीएफ के पदाधिकारी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में कोई भी देश युद्ध करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि इसमें जानमाल का बड़ा नुकसान होगा और कोई भी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है।

डोभाल ने कहा कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान पर सबसे बड़ा दबाव एफएटीएफ की प्रक्रिया की वजह से है। एफएटीएफ ने उन पर इतना दबाव बनाया है, जितना पहले किसी ने नहीं बनाया था।

डोभाल ने कहा कि अगर जांच एजंसियां सही, स्थायी और उद्घृत करने योग्य जानकारी एकत्र कर सकती हैं, जिसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी ढंग से रखा जा सकता है कि पाकिस्तान किस प्रकार आतंकवाद का समर्थन और वित्तपोषण कर रहा है, तो यह उस देश को बेनकाब करेगा। राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, 'आप यह सबूत एकत्रित करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। आप हर तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं।'

रसोई गैस सिलेंडर फटने से 13 की मौत

पेज 1 का बाकी

से अभी तक 13 लोगों के मरने की पुष्टि की है। शव बहुत बुरी हालत में हैं और उनकी पहचान की जा रही है। पुलिस ने बताया कि वलीदपुर गांव के निवासी छोटू विश्वकर्मा के घर पर उनकी पत्नी रीता सुबह बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए नाश्ता बना रही थी। तभी अचानक रसोई गैस के सिलेंडर में विस्फोट हो गया। उन्होंने बताया कि विस्फोट इतना भीषण था कि दो मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई। साथ ही बगल में स्थित कन्हैया विश्वकर्मा का मकान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इन दोनों मकानों के मलबे में दो दर्जन से अधिक लोग दब गए।

पुलिस के अनुसार, सहायता के लिए जिला प्रशासन ने वाराणसी एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया है जो बचाव कार्य कर रही है। अभी तक मलबे से 13 शव निकाले जा चुके हैं। 15 घायलों को इलाज के लिए आजमगढ़ और मऊ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उधर लखनऊ में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया, 'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में सिलेंडर फटने से लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था करने तथा इस हादसे के पीड़ितों को हरसंभव मदद एवं राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।'

आयुक्त कनक त्रिपाठी के अनुसार, 13 लोगों की जान जा चुकी है वहीं घायलों की संख्या 15 है। घटना स्थल पर जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य मौजूद हैं। छोटू विश्वकर्मा के परिवार में उनकी पत्नी रीता और उनकी पांच बेटियां हैं। छोटू मजदूरी करते थे। करीब दस साल पहले उनकी आकस्मिक मौत हो गई। पत्नी रीता सिलाई कर-के परिवार चलाती थी। सोमवार छोटी बेटी की परीक्षा थी। रीता सुबह उसके लिए नाश्ता बनाने गई और गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया।

हादसे में रीता की पांच बेटियों में से तीन की मौत हो गई जिनके नाम मोना (20 वर्ष), ममता (18 वर्ष) और संजना (15 वर्ष) हैं। हादसे में रीता बच गई। विस्फोट के कारण पड़ोसी कन्हैया विश्वकर्मा के परिवार में उनकी पत्नी रीना (25 वर्ष) तथा तीन बेटियों... सरिता, सोनम, सिम्पी की मौत हो गई।

धमाका इतना जबरदस्त था कि पड़ोस के एक और मकान में रहने वाले सुरेंद्र विश्वकर्मा और उनकी 10 साल की बेटी निधि की भी मौत हो गई। इस हादसे में वहां से गुजर रहे राहगीर शिवम, इम्तियाज (25 वर्ष), जीशान (15 वर्ष) और यासिर (13 वर्ष) की भी मौत हो गई।

बीएसएफ ने आधुनिक ड्रोन भेदी प्रणाली की मांग की

पेज 1 का बाकी

के पास कई यूएवी देखे जाने के बाद बीएसएफ ने यह मांग की है। सीमा की रक्षा करने वाले बल ने ड्रोन पता लगाने वाली प्रणाली की मांग की है जिसमें रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, जैमर और सभी मानवरहित हवाई यानों (यूएवी) को निष्क्रिय करने के लिए प्रणाली नियंत्रक हो। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ से कहा है कि शत्रु ड्रोनों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी हासिल करे। बल से कहा गया है कि जवानों को प्रशिक्षित किया जाए जो जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर इन प्रणालियों को संभाल सकें।'

हरियाणा में विपक्षी दल बिखरे : मोदी

पेज 1 का बाकी

उनके प्रयास सफल नहीं हो सके हैं जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में भाजपा के पास मजबूत टीम और मजबूत कप्तान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद हरियाणा के जवानों की शहादत रुकी है। यह अनुच्छेद पहले हटाया होता तो हरियाणा की माताओं की गोद और सुहागिनों की मांग नहीं उजड़ती। देश की सुरक्षा में जम्मू कश्मीर में तैनात हरियाणा के वीर जवानों ने सबसे ज्यादा शहादत और कुर्बानियां दी हैं। कांग्रेस अनुच्छेद 370 हटाने पर विलाप कर रही है। अगर उसमें और अन्य दलों में हिम्मत है तो चुनाव में घोषणा करें कि वे अनुच्छेद 370 की बहाली करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को चुनौती देते हुए सोमवार को बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर 61 में एक चुनावी सभा में दी। हरियाणा में 21 अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पहली चुनावी रैली में मोदी ने धारा 370 अनुच्छेद 35ए, लक्षित हमले और तीन तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। अपने भाषण की शुरुआत मोदी ने राजा बलराम राजा नाहर सिंह की शहादत को नमन करते हुए की। आपातकाल के समय को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को यहां से कुछ ही दूर सूरजकुंड में 19 महीने जेल में रखा था।

मोदी ने हरियाणा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की जमकर तारीफ की और कहा की सरकार ने प्रदेश से भाई भतीजावाद, नौकरियों में खर्ची पर्ची और परिवारवाद खत्म किया है। बीते पांच साल में खट्टर ने किसानों, मजदूरों, उद्योगपतियों, छोटे दुकानदारों और व्यापारियों में विश्वास पैदा किया और विकास के नए रास्ते खोले हैं।

72 दिन बाद बजीं मोबाइल की घंटियां

पेज 1 का बाकी

कॉल और एसएमएस के लिए होंगी और वॉट्सऐप जैसे ऐप अभी काम नहीं करेंगे। साथ ही 25 लाख से अधिक प्रीपेड मोबाइल फोन और अन्य इंटरनेट सेवाएं अभी काम नहीं करेंगी। मोबाइल कनेक्टिविटी 12 अगस्त को ईद से ठीक एक सप्ताह पहले रोकी गई थी। सोमवार को मोबाइल संचार बहाल होने के बाद लोग इतनी राहत में थे कि एक दूसरे को ईद की मुबारकवाद भी दी। घाटी के नागरिक निगहत शाह ने कहा, 'यह दिन हमारे लिए ईद से कम नहीं है। वैश्वीकरण के दौर में हम दो महीने से अधिक समय तक बाकी दुनिया से कटे रहे।' पुराने शहर में रहने वले बशरत अहमद ने अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों को फोन करने में जरा भी वक्त नहीं गंवाया। उन्होंने एक घंटे के भीतर 30 फोन कॉल किए। अहमद ने कहा, 'मैंने 70 दिन से दिल्ली में और कश्मीर के बाहर कहीं भी अपने रिश्तेदारों से बात नहीं की थी। मैं उन सभी की आवाज सुनना चाहता हूं और उन्हें बताना चाहता हूं कि हम जिंदा हैं।'
अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बल मोबाइल सेवाएं शुरू होने के बाद सामने आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कुछ लोग अपने करीब रहने वालों से भी बात नहीं कर पा रहे थे। उन्हें भी आज राहत मिली। यासिर अहद ने कहा कि वे अपनी होने वाली पत्नी से बात कर ही रहे थे कि अचानक फोन कट गया।

'खोदा पहाड़ निकली चुहिया'

पेज 1 का बाकी

मरी हुई।' सोनीपत के निकट खरखौदा में रविवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खट्टर ने राहुल गांधी की जगह किसी अन्य को पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के कांग्रेस के प्रयासों का उपहास करते हुए कहा, 'उन्होंने तीन महीने तक देशभर में राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश की और इसके बाद, आप जानते हैं कि कौन प्रमुख बना-सोनिया गांधी। फिर से वही गांधी परिवार। उनकी स्थिति है, 'खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वह भी मरी हुई'। यह उनकी स्थिति है।' उन्होंने कांग्रेस एवं जननायक जनता पार्टी (जजपा) पर हमला करते हुए कहा कि मतदाता इन परिवारवादी दलों को बाहर का दरवाजा दिखाएं। उन्होंने कहा, 'राज्य और केंद्र में परिवारवादी दल हैं। आप जानते हैं कि परिवारवाद पर आधारित ये दल किस तरह का तमाशा कर रहे हैं। अब परिवार के भीतर भी आपसी झगड़े चल रहे हैं। एक तरफ पप्पू है और दूसरी तरफ मां...।' खट्टर ने कहा, 'पप्पू चौधरी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कहा कि वे पार्टी प्रमुख नहीं रहेंगे और राहुल बाबा ने पार्टी प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया। हमें लगा कि यह अच्छी बात है कि वे 'परिवारवाद' से दूर जा रहे हैं।' उन्होंने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सोनिया की नियुक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि लेकिन कांग्रेस ने फिर से सोनिया गांधी को चुन लिया। उन्होंने कहा, 'फिर से वही गांधी परिवार। खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वह भी मरी हुई।

परेड में शामिल नहीं करने पर बीएसएफ ने विरोध जताया

पेज 1 का बाकी

दिल्ली पुलिस ही गणतंत्र दिवस परेड-2020 में हिस्सा लेंगे। बीएसएफ से कहा गया है कि वह केवल अपने ऊंट दल और ऊंट सवार बैंड टीम को 26 जनवरी को होने वाले परेड में भेजे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'बीएसएफ ने इस मुद्दे को गृह मंत्रालय के समक्ष उठाया है। इस पर विचार किया जा रहा है।'

थोक मुद्रास्फीति घटकर तीन साल के निचले स्तर 0.33 फीसद पर

पेज 1 का बाकी

7.47 फीसद के लगभग पूर्व स्तर पर रही। आलू के भाव में गिरावट जारी रही। ईंधन और बिजली श्रेणी में मुद्रास्फीति सितंबर में शून्य से 7.05 फीसद नीचे रही। अगस्त में यह शून्य से 4 फीसद नीचे थी। वहीं विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति सितंबर में शून्य से 0.42 फीसद नीचे रही।

आडवाणी, जोशी और जसवंत के सरकारी बंगले रहेंगे बरकरार

पेज 1 का बाकी

की प्रक्रिया के बीच आडवाणी और जोशी को सुरक्षा कारणों से और सिंह के बंगले का आबंटन स्वास्थ्य कारणों से बरकरार रखा जाएगा। बताते चलें कि तीनों नेता अब संसद सदस्य नहीं हैं। आडवाणी और जोशी ने 17वीं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था और सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे हैं।

मंत्रालय के संपदा निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि संशोधित कानून के तहत सभी भूतपूर्व सांसदों के बंगलों का आबंटन रद्द कर बंगले खाली कराने की प्रकिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आडवाणी और जोशी के बंगले का आबंटन सुरक्षा कारणों से और सिंह के बंगले का आबंटन स्वास्थ्य कारणों से बरकरार रहेगा।

सरकारी संपत्ति से अनधिकृत कब्जों की बेदखली के लिए हाल ही में संसद द्वारा पारित कठोर प्रावधानों वाले सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम 2019 को मंत्रालय द्वारा 12 सितंबर को लागू किये जाने के बाद संपदा निदेशालय ने लुटियन दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में रहने की पात्रता गंवा चुके पूर्व सांसदों और सांसदों के अतिथियों से आवास खाली कराने की कार्रवाई तेज कर दी है। कानून के तहत भूतपूर्व सांसद को नई लोकसभा के गठन के एक महीने के भीतर सरकारी आवास छोड़ना अनिवार्य है। लेकिन 17वीं लोकसभा के गठन के लगभग पांच महीने बीतने के बाद भी लगभग 35 पूर्व सांसदों ने अभी तक बंगला खाली नहीं किया है। संपदा निदेशालय ने पुलिस की मदद से बलपूर्वक बंगले खाली कराने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। इसके तहत अभी तक छह पूर्व सांसदों के बंगले बलपूर्वक खाली कराए जा चुके हैं।

'लश्कर के आतंकियों पर अभियोग चलाए पाक'

पेज 1 का बाकी

को रोकना चाहिए और लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद समेत संगठन के अन्य आतंकवादियों के खिलाफ अभियोग चलाना चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान को काली सूची में डालने या नहीं डालने को लेकर वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (फाइनेन्शियल एक्शन टास्क फोर्स) के अहम फैसले से पहले यह बयान दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की दक्षिण व मध्य एशियाई ब्यूरो प्रमुख एलिस वेल्स ने पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा/जमात-उद-दावा के चार आतंकवादियों की गिरफ्तारी का स्वागत भी किया।

पाकिस्तान की कानून प्रवर्तन एजंसियों ने गुरुवार को आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोपों में प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा/जमात-उद-दावा के शीर्ष चार सदस्यों को गिरफ्तार किया था। लश्कर-ए-तैयबा/जमात-उद-दावा के गिरफ्तार किए गए शीर्ष चार आतंकवादियों के नाम प्रोफेसर जफर इकबाल, याहिया अजीज, मोहम्मद अशरफ तथा अब्दुल सलाम हैं। वेल्स ने ट्वीट किया, 'जैसा कि (पाकिस्तान के प्रधानमंत्री) इमरान खान ने कहा है, पाकिस्तान को अपने भविष्य के लिए आतंकवादियों को अपनी जमीन से काम करने से रोकना होगा।' उन्होंने कहा, 'लश्कर के क्रूर हमलों के पीड़ित इस बात के हकदार है कि वे लश्कर के सरगना हाफिज सईद समेत इन लोगों के खिलाफ अभियोग चलता देखें।' पाकिस्तान का उसकी जमीन से गतिविधियों को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को पकड़ने और रिहा कर देने का इतिहास रहा है।

वेल्स का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एफएटीएफ को देश के 'ग्रे सूची' के दर्जे पर अपना निर्णय देना है। एफएटीएफ ने पिछले साल जून में पाकिस्तान को 'ग्रे' सूची में डाल दिया था। पाकिस्तान को अक्तूबर, 2019 तक पूरी करने के लिए कार्ययोजना दी गई थी। इसे पूरा नहीं कर पाने पर पाकिस्तान पर ईरान और उत्तर कोरिया के साथ काली सूची में डाले जाने का खतरा है। पाकिस्तान के प्रदर्शन की 12 अक्तूबर से 15 अक्तूबर तक चलने वाली समीक्षा यह तय करेगी कि इस्लामाबाद ग्रे सूची में रहता है या उसे काली सूची में डाल दिया जाता है या क्लीन चिट दे दी जाती है। वेल्स ने पिछले महीने भी पाकिस्तान से कहा था कि वह सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों के खिलाफ अभियोग चलाए। उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होना इस बात पर निर्भर करेगा कि इस्लामाबाद सीमा पार घुसपैठ में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कितना गंभीर है।

जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा निरस्त करने के भारत सरकार के अगस्त के फैसले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत के फैसले का पाकिस्तान ने कड़ा विरोध किया है। उसने भारत के साथ राजनयिक संबंधों को कमतर कर दिया है और भारतीय राजदूत को निष्कासित कर दिया है। पाकिस्तान कश्मीर मामले का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नई दिल्ली ने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 370 उसका आंतरिक मामला है।

कुर्दों पर तुर्की के हमले को रोकने के लिए सीरिया ने सेना भेजी

तल तमर (सीरिया), 14 अक्तूबर (एएफपी)।

कुर्दों के खिलाफ तुर्की के हमले को रोकने के लिए सीरिया की सरकार ने तुर्की की सीमा की ओर सोमवार को फौज भेजी है। यह सेना अमेरिकी सैनिकों का स्थान लेगी जिन्होंने सरहद पर से हटा शुरू कर दिया है। अमेरिका के संरक्षण के बिना उत्तरपूर्वी सीरिया के स्वायत्त कुर्दों के पास तेजी से आगे बढ़ते तुर्की और सीरिया में उसके लिए परोक्ष रूप से काम करने वाली ताकतों को रोकने के लिए कुछ ही विकल्प बचे हैं।

तुर्की, कुर्द बलों को दूर रखने के लिए अपनी सीमा के पास क्षेत्र बनाना चाहता है जहां वह सीरिया के 36 लाख शरणार्थी में से कुछ को भेज सके। कुर्दों के साथ इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ने और उन्हें मंझधार में छोड़ने वाले अमेरिका और उसके साझेदारों ने तुर्की के हमले की निंदा की है लेकिन पाबंदियां लगाने की उसकी धमकियां हमला रोकने में विफल रही हैं। लक्जमबर्ग में विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद संयुक्त बयान में यूरोपीय संघ (ईयू) ने कहा कि ईयू तुर्की की सैन्य कार्रवाई की निंदा करता है जिसने समूचे क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा को खतरे में डाला है। संगठन ने कहा कि फ्रांस और जर्मनी समेत कुछ सदस्यों ने तुर्की को हथियारों के निर्यात रोकने का निर्णय किया है लेकिन यूरोपीय संघ के व्यापक प्रतिबंध नहीं लगाए। मंत्रियों ने साइप्रस के तट से तेल और गैस के लिए तुर्की की ड्रिलिंग पर प्रतिबंधों के लिए कानूनी ढांचा बनाने को मंजूरी दे दी है।

अमेरिका का कहना है कि वह उत्तर सीरिया से एक हजार सैनिकों को बुलाने की योजना बना रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने सोमवार को इसका स्वागत करते हुए इसे 'सकारात्मक दृष्टिकोण' बताया। तुर्की के हमले का फायदा उठाकर कुर्दों के शिविर से आइएस से संबंधित 800 विदेशी महिलाएं एवं बच्चे भाग गए हैं।

31 अक्तूबर को ब्रेग्जिट ब्रिटिश सरकार की प्राथमिकता में : महारानी

लंदन, 14 अक्तूबर । ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को संसदीय समारोह में महारानी की मौजूदगी में धूमधाम के साथ अपनी सरकार की प्राथमिकताएं निर्धारित कीं जिनमें ब्रेग्जिट एजंडे में शीर्ष पर है। (एएफपी)

इण्डियन ओवरसीज बैंक
असेट रिकवरी मैनेजमेंट शाखा,
रचना बिल्डिंग, चतुर्थ तल, 2, राजेन्द्र प्लेस, पूसा रोड, नई दिल्ली-110008
फोन नंबर : 011-25758124, ई-मेल आईडी : iob1997@iob.in

शुद्धि पत्र

यह क्रम संख्या 7 उधारकर्ता सहित कुम कुम कनोडिया और मैसर्स क्लासिक इंटरनेशनल की 12.10.2019 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस और जनसत्ता में प्रकाशित ई-नीलामी सूचना के संदर्भ में है। जिसमें ईएमडी राशि 312 लाख के बजाय 314 लाख के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। अन्य सभी विवरण समान रहेंगे।

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 14.10.2019
प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

TENNECO POWERTRAIN
फेडरल-मोग़ुल गोएट्ज़े (इंडिया) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : डीएलएफ प्राइम टावर, 10 ग्राउण्ड फ्लोर, एफ- 79 व 80, ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020, [CIN]: L74899DL1954PLC002452
टेली./फैक्स: + 91 11 - 49057597
E mail : investor.grievance@tenneco.com, Website: www.federalmogulgoetzeindia.net

अंश प्रमाण-पत्र खोने एवं उनके एवज में दूसरे प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के सम्बन्ध में

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अंश प्रमाण-पत्र खो गये हैं/ कहीं ग़लत जगह रख दिए गये हैं एवं कम्पनी इनके एवज में डुप्लीकेट शेयर सर्टीफिकेट जारी करना चाहती है बशर्ते कोई वैध आपत्ति पत्र,समस्त सम्बन्धित वैध दस्तावेजों द्वारा समर्थित, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्राप्त न हो।

अंशधारक का नाम	प्रमाण पत्र सं.	विशिष्ट सं. से - तक	अंशों की सं.
श्रीमती शर्मिष्ठा खन्ना	110072	12085096-12085132	37
श्री जग मोहन खन्ना	11937-11940	12163150-12163349	200

सर्वसाधारण को, विशेषकर निवेशकों एवं शेयर ब्रोकरों को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि उक्त अंश प्रमाण-पत्रों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें।

कृते फेडरल-मोगुल गोएटज (इंडिया) लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
(डॉ. खालिद इकबाल खान)
पूर्ण-कालिक निदेशक-विधिक एवं कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 14 अक्टूबर, 2019

भारत विरोधी 'जनमत संग्रह 2020' बेकार का मुद्दा : श्रृंगला

वाशिंगटन, 14 अक्तूबर (भाषा)।

अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि मुट्ठीभर सिखों द्वारा समर्थित 'जनमत संग्रह 2020' एक बेकार का मुद्दा है जिसे भारत विरोधी पड़ोसी देश समर्थन दे रहा है।

श्रृंगला ने रविवार को कहा कि इसे वे मुट्ठीभर लोग समर्थन दे रहे हैं जिन्हें समुदाय का बहुत ही कम समर्थन प्राप्त है। इस प्रकार के समूह आतंकवादी कृत्य कर रहे हैं। ऐसा पहली बार है, जब किसी शीर्ष भारतीय राजदूत ने 'जनमत संग्रह 2020' के खिलाफ खुले तौर पर कुछ कहा है। खालिस्तान के गठन को लेकर अलगाववादी सिख 'जनमत संग्रह 2020' को समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने बाल्टीमोर में एक गुरुद्वारा में दर्शन करने के बाद संवाददाताओं से कहा, '(जनमत संग्रह के) प्रायोजक मुट्ठीभर लोग हैं। तथाकथित जनमत संग्रह 2020 बेकार का मुद्दा है।' श्रृंगला ने कहा, 'वे हताश हो रहे हैं और आतंकवाद व उग्रवादी कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यह अतीत की बात हो जाएगी।' उन्होंने प्रश्न का उत्तर देते हुए जनमत संग्रह का मामला उठाने वालों को पाकिस्तान के एजंट बताया।

श्रृंगला ने कहा, 'जैसा कि हम जानते हैं कि इन लोगों को हमारा वह पड़ोसी देश समर्थन दे रहा है, जो लगातार हमारा विरोधी रहा है। वे उस देश के एजंट हैं।

ब्रिटिश भारतीय संगठनों ने कोर्बिन के कश्मीर रुख को चुनौती दी

लंदन, 14 अक्तूबर (भाषा)।

भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के बाद कश्मीर के संबंध में लेबर पार्टी के रुख को निंदा करने के लिए 100 से अधिक ब्रिटिश-भारतीय पेशेवरों और सामुदायिक संगठनों ने सोमवार को ब्रिटेन के विपक्षी नेता जेरेमी कोर्बिन को एक पत्र लिखा।

लेबर पार्टी ने 25 सितंबर को कश्मीर के संबंध में आपात प्रस्ताव पारित करते हुए पार्टी नेता कोर्बिन से आह्वान किया था कि वह इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को 'प्रवेश करने' के लिए मांग करें। इसके अलावा लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग किए जाने की भी बात की गई थी। भारतीय प्रवासी लोगों के प्रतिनिधियों ने पार्टी की आलोचना करते हुए इसे 'गलत जानकारी से भरा' बताया था।

इंडियन प्रोफेशनल्स फोरम (आइपीएफ), इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइएनएसए), हिंदू काउंसिल यूके के साथ ही विभिन्न मंदिर निकायों और सामुदायिक प्रतिनिधियों सहित ब्रिटिश-भारतीय संगठनों ने संयुक्त पत्र में कोर्बिन पर आरोप लगाया कि वह भारत-पाकिस्तान के एक द्विपक्षीय मामले को ब्रिटेन की घरेलू राजनीति में ला रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि पार्टी का विभाजनकारी आपात प्रस्ताव क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप का आह्वान करता है। पत्र में कहा गया है कि हम सामूहिक रूप से ब्रिटिश-भारतीय सामुदायिक संगठनों के रूप में अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त करने के लिए यह पत्र लिख रहे हैं कि पार्टी ने भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय मामले पर लंबे समय से चली आ रहे रुख को छोड़ दिया है और ऐसा कर वे ब्रिटेन में सामुदायिक वैमनस्य के बीज बो रहे हैं।

इसमें कहा गया है कि हाल ही में लेबर पार्टी के सम्मेलन में पारित आपातकालीन प्रस्ताव हमें स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का प्रयास करता है और इसे एकतरफा व विभाजनकारी तरीके से तैयार किया गया है।

स्पेन की अदालत ने कैटेलोनिया के नेताओं को देशद्रोह का दोषी ठहराया

मैड्रिड, 14 अक्तूबर (एपी)।

स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कैटेलोनिया के 12 पूर्व राजनेताओं और कार्यकर्ताओं को 2017 में देश से अलग होने का अवैध प्रयास करने के मामले में उनकी भूमिकाओं के लिए दोषी ठहराया। अदालत की यह व्यवस्था स्वतंत्रता समर्थकों को आक्रोशित कर सकती है। अदालत ने कैटेलोनिया के पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ओरियल जंक्वेराज को देशद्रोह और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में 13 साल कैद की सजा सुनाई। इस मुकदमे को 1975 में लोकतंत्र बहाल होने के बाद से स्पेन का सबसे महत्त्वपूर्ण मुकदमा माना जा रहा है। तानाशाह जनरल फ्रांसिस्को फ्रांसो की मौत के बाद लोकतंत्र बहाल किया गया था। कैटेलोनिया की अवैध स्वतंत्र जनमत संग्रह कराने के बाद स्पेन से अलग होने की कोशिश के लिए आठ लोगों को लंबी कैद की सजा मिली है। वहीं तीन अन्य को कम सजा मिली है।

भारतीय दल ने आइबीएम का 5,000 डॉलर का इनाम जीता

न्यूयॉर्क, 14 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाली व्यापक बाढ़ को रोकने का संभावित उपाय खोजने वाले भारतीय सॉफ्टवेयर पेशेवरों के एक दल को आइबीएम ने 5,000 डॉलर के पुरस्कार से सम्मानित किया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए 'आइबीएम ऐंड डेविड क्लार्क कॉज फाउंडेशन' के 'कॉल फॉर कोड 2019' पुरस्कार की घोषणा शनिवार को यहां की गई जिसका विजेता पूर्व सूचक रहा। इस दल में पुणे के कॉग्निजेंट के सॉफ्टवेयर पेशेवर हैं सिद्धमा तिगाड़ी, गणेश कदम, संगीता नायर और श्रेयस कुलकर्णी।

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः 11वां तल, टावर ए 1101, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 (भारत) शाखा का पताः टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि., 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

ऋण खाता सं. 5518392, 6130455, 6130466 मीठी इन्टेरिअरर्स प्रा. लि.

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक/सह-ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के पास गिरवी नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है, की 16 मई, 2019 को ऋण सं. 6130466 में रु. 4687081.49, ऋण सं. 6130455 में रु. 3,74,065, ऋण सं. 5518392 में रु. 2,15,35,461/- में कुल रु. 2,65,96,607 (रुपये दो करोड़ पैंसठ लाख छियानवे हजार छः सौ सात मात्र) की 1. मीठी इन्टेरिअर्स प्रा.लि., द्वारा उसके निदेशक श्री मिथिलेश झा, टी-2, 3रा तल, पंकज आर्केड, प्लॉट नं. 16, सेक्टर-5, द्वारका, नई दिल्ली-110075 2. मिथिलेश कुमार झा, पुत्र राजेन्दर झा, टी-2, 3रा तल, पंकज आर्केड, प्लॉट नं. 16, सेक्टर-5, द्वारका, नई दिल्ली-110075, साथ हीः फ्लैट नं. 70, छठा तल, मंजिल अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. 7, सेक्टर 9, द्वारका, नई दिल्ली-110075, साथ हीः ए-903, प्लॉट नं. 3डी, अप्पू एन्क्लेव, सीजीएचएस, सेक्टर-11, फेज द्वारका, नई दिल्ली-110075, स्व. राजेन्द्र झा के कानूनी उत्तराधिकारी, 3. अन्नपूर्णा झा, पत्नी स्व. राजेन्द्र झा, टी-2, 3रा तल, पंकज आर्केड, प्लॉट नं. 16, सेक्टर-5, द्वारका, नई दिल्ली-110075, साथ हीः ए-903, प्लॉट नं. 3डी, अप्पू एन्क्लेव, सीजीएचएस, सेक्टर 11, फेज द्वारका, नई दिल्ली-110075, साथ हीः फ्लैट नं. 70, छठा तल, मंजिल अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. 7, सेक्टर-9, द्वारका, नई दिल्ली-110075 वसूली के लिये ''जैसा है जहां है'' एवं ''जो भी वहां है'' तथा ''जो भी जैसा है'' आधार पर 19 नवम्बर, 2019 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण नीचे वर्णित वर्णित है।

जैसा कि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की यह बिक्री प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए की जाएगी तथा जैसा कि 16 मई, 2019 को सभी लागतों, ब्याज आदि के साथ ऋण खाता सं. 6130466 में रु. 4687081.49, ऋण सं. 6130455 में रु. 374065, ऋण सं. 5518392 में रु. 2,15,35,46 और इस प्रकार कुल रु. 2,65,96,607/- (रुपये दो करोड़ पैंसठ लाख छियानवे हजार छः सौ सात मात्र) की राशि बकाया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के स्थगन/ रोकने की अनुपस्थित में उक्त सम्पत्ति की **7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, ब्लॉक-ई, झण्डेवालान एक्स्टें., नई दिल्ली-110055** में उक्त **19 नवम्बर, 2019 को 2.00 बजे** अप. में ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी। सम्पत्ति की खरीद के लिए ईएमडी के डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद निविदा टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के **प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुहरबंद ई-नीलामी उक्त 18 नवम्बर, 2019 के 5.00 बजे अप.** तक प्राप्त की जाएगी। सम्पत्ति की बिक्री जैसा है जहां है शर्त तथा उक्त सम्पत्ति से जुड़ी देयताओं तथा दावे, अनुसूची में वर्णित रूप में जिस समय तक वे सुनिश्चित हैं, के साथ की जाएगी।

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण
पंकज आर्केड, प्लॉट नं. 16, एमएलयू पाकेट, सेक्टर 5, द्वारका, नई दिल्ली-110075 में स्थित तीसरे तल पर कॉमर्सियल शॉप/ऑफिस/यूनिट नं. टी 2, 3, टी 4, टी 5, टी 6, टी 7, टी 8, टी 9 जिसका विशेष रूप से विवरण बिक्री प्रलेख में दिया गया है।
कब्जा का प्रकार रचनात्मक/भौतिकः भौतिक
आरक्षित मूल्य (रु.): रु. 28262000/-
धरोहर राशि (रु.): रु. 2826200/-

बिक्री के लिए रखी गई सम्पत्ति का विवरण अनुसूची में है। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज लागत (बिक्री लागत आदि) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह बिक्री रोक दी जाएगी। बिक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि बिक्री की तिथि से पूर्व टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को देय राशि का ऋणधारक पूरी तरह से भुगतान कर देते हैं तो यह बिक्री रोक दी जायेगी। यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगीः ई-नीलामी बिक्री प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ **19 नवम्बर, 2019 को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net या Auctiontiger Mobile App (Android)** के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा।
2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी।
3. बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/- होगी।
4. सम्पत्ति की खरीद के लिये जमा की गई सभी निविदाओं के साथ **''टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.'' के पक्ष में देय दिल्ली में** भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट द्वारा धरोहर राशि संलग्न की जायेगी। असफल बोलीदाता का डिमांड ड्राफ्ट वापस लौटा दिया जायेगा।
5. उच्चतम बोलीदाता को किसी लॉट का क्रेता घोषित किया जायेगा व शर्ते वे कानूनी रूप से बोली करने के लिये योग्य हों तथा उनके द्वारा जमा राशि आरक्षित मूल्स से कम नहीं हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं।
6. दर्ज कारणों से प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छा से बिक्री को स्थगित करने/ रोकने का अधिकार है।
7. सम्पत्ति का निरीक्षण 5 नवम्बर, 2019 को 11 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे सायं तक किया जा सकता है।
8. क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल पच्चीस प्रतिशत क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा तथा उसमें विफल होने पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
9. यदि उपरोक्त रूप में आरंभिक जमा की जाती है तो शेष क्रय मूल्य का भुगतान क्रेता को सम्पत्ति की बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उस दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वाँ दिन अवकाश या रविवार होता है तो पन्द्रवें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के पास करना होगा। उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। जमा की गई राशि **टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.** के लिये जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग से वंचित हो जाएंगे जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी की इच्छा पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
10. **टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.** को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विवरण शून्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात विवरणोंः शून्य उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं।
11. विवरणों, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन ई-नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाताः **मै. ई-प्रॉक्योरमेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अहमदाबाद, फोनः** 07961200520/598/554/587/559/587/538, **ईमेल आईडीः delhi@auctiontiger.net एवं support@auctiontiger.net एवं tilak@auctiontiger.net** से सम्पर्क कर सकते हैं।
12. टिप्पणीः इच्छुक बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी श्री आयन भट्टाचार्य, ई-मेल आईडीः Ayan.Bhattacharya@TataCapital.com तथा मोबाईल नं. 7290010751 से सम्पर्क कर सकते हैं।
13. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् **https://sarfaesi.auctiontiger.net** में दी गई लिंक देखें।

स्थानः दिल्ली/एनसीआर
तिथिः 15.10.2019
हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी, टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड
HeroFin Corp.
CIN:U74899DL1991PLC046774
पंजी. कार्यालयः 34, कम्युनिटी सेन्टर, बसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली-110057
टेलीः 011-49487150, फैक्सः 011-49487150,
ई-मेलः litigation@herofincorp.com, वेबसाईटः www.herofincorp.com

पूर्वाग्रह-रहित ई-नीलामी बिक्री
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के अनुसार हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड के पास गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति की ई-नीलामी बिक्री

विद्वान अति. सीएमएम (वेस्ट) तीस हजारी कोटर्स, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश तिथि 15.1.2019 के माध्यम से संशोधित आदेश तिथि 22.12.2018 के अनुपालन में हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (एचएफसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी ने यहां नीचे वर्णित ब्याज तथा अन्य चार्जेज के साथ एचएफसीएल के बकाये की वसूली के लिये ''जैसा है जहां है आधार'' एवं ''जो भी वहां है आधार'' एवं ''जैसा है जो है आधार'' एवं ''उपचार रहित आधार'' पर पूरी तरह से उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ निम्न ऋणखाताओं में सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी सूचनाओं के अनुपालन में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा कर लिया है तथा उसके भुगतान में विफलता के उपरांत सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी उक्त सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा एचएफसीएल के बकाये की वूसली का प्रस्ताव करते हैं। जबकि, ऋणधारक से एचएफसीएल के बकाये प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिये प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जायेगी। आम जनता को व्यक्तिगत अथवा अपने विधिवत अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से बोली के लिये आमंत्रित किया जाता है।

ऋणधारक का नाम एवं पताः
1. **बेनलॉन इंडिया लि.**
पंजी. कार्यालयः ए-68, ग्रुप इंडस्ट्रियल एरिया, वजीरपुर, दिल्ली-110052
साथ हीः 46/1 माइलस्टोन, हिसार रोड, रोहतक, हरियाणा-124001
सह-ऋणधारकों/गारन्टरों का नाम एवं पताः
1. श्री सुनील शर्मा, पुत्र श्री बलवीर शर्मा
निवासी डी-23, भगवान दास नगर, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026
2. श्री बलवीर शर्मा, पुत्र श्री अमरनाथ शर्मा
निवासी डी-23, भगवान दास नगर, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026
3. श्री सुदेश शर्मा, पुत्र श्री बलवीर शर्मा
निवासी डी-23, भगवान दास नगर, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026

ऋण दस्तावेजः
बेनलॉन इंडिया लि. तथा हीरो फिन कॉर्प लिमिटेड के बीच निष्पादित स्वीकृति पत्र तिथि 24.10.2014, मास्टर फैसिलिटीज अनुबंध तिथि 25.10.2014 तथा पूरक अनुबंध तिथि 25.10.2014
तथा
बेनलॉन इंडिया लि. तथा हीरो फिन कॉर्प लिमिटेड के बीच निष्पादित स्वीकृति पत्र तिथि 6.2.2015, मास्टर फैसिलिटीज अनुबंध तिथि 11.2.2015 तथा पूरक अनुबंध तिथि 11.2.2015
तथा
बेनलॉन इंडिया लि. तथा हीरो फिन कॉर्प लिमिटेड के बीच निष्पादित स्वीकृति पत्र तिथि 10.2.2016, एडेन्डम स्वीकृति पत्र तिथि 11.2.2016, मास्टर फैसिलिटीज अनुबंध तिथि 13.2.2016 तथा पूरक अनुबंध तिथि 13.2.2016

मांग सूचना तिथिः 14.9.2018 — **कब्जा की तिथिः** 23.1.2019

मांग सूचना के अनुसार बकाया राशिः 60 (साठ) दिनों के भीतर 13.9.2018 को बकाया रु. 24,62,12,126.66/- (रुपये चौबीस करोड़ बासठ लाख बारह हजार एक सौ छब्बीस एवं पैसे छियासठ मात्र)

उपरोक्त ऋण अनुबंध के लिये गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति का विवरण
''फ्लैट नं. एलजीएफ 2, ब्लॉक ए, एरिया माप 1100 वर्ग फीट, प्लॉट नं. 13 (आरसीएच सोसायटी) पर, रोड नं. 41, पंजाबी बाग वेस्ट, नई दिल्ली में''।

आरक्षित मूल्यः रुपये 75,00,000/- (रुपये पचहत्तर लाख मात्र)
धरोहर राशि भुगतानः रु. 7,50,000/- (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र)
नीलामी की तिथि एवं समयः 5.11.2019 को 12 बजे दोपहर से 2.00 बजे अप.

नीलामी के नियम एवं शर्तें:
1. सम्पत्ति की बिक्री हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड, 09, कम्युनिटी सेन्टर, बसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली-110057 में प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 12.00 बजे अप. से 2.00 बजे अप. तक आयोजित की जायेगी।
2. नीलामी बिक्री नियुक्त अभिकर्ता द्वारा संचालित की जायेगी।
3. बोली जमा करने की अंतिम तिथि 4.11.2019 के 5 बजे सायं है।
4. नीलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक बोलीदाताओं को हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड के पक्ष में देय नई दिल्ली में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट नीचे वर्णित खाता में आरटीजीएस/एनईएफटी निधि अंतरण द्वारा ईएमडी जमा करना होगाः

बैंक का नाम	एचडीएफसी बैंक लि.
खाता धारक का नाम	हीरो फिनकॉर्प लि.
बैंक का पता	209-214, कैलाश बिल्डिंग 26, केजी मार्ग, नई दिल्ली
खाता सं.	00030310016156
आईएफएससी कोड	HDFC0000003

5. सफल बोलीदाता के मामले में ईएमडी समायोजित की जायेगी। असफल बोलीदाता को ईएमडी एचएफसीएल द्वारा वापस लौटा दी जायेगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दी जायेगी। बोली के लिये न्यूनतम बृद्धि राशि रु. 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) है।
6. एचएफसीएल को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा ई-नीलामी बिक्री को स्थगित/निलंबित/रद्द करने का अधिकार प्राप्त है।
7. उपरोक्त सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा।
8. यदि एचएफसीएल द्वारा बोली/प्रस्ताव स्वीकार की जाती है, बोली में उच्चतम मूल्य का प्रस्ताव करने वाले सफल बोलीदाता को एचएफसीएल के पास उसी दिन ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया की समाप्ति के तत्काल बाद 25% बोली राशि (ईएमडी सहित) का भुगतान करना होगा जिसमें विफल होने पर ईएमडी जब्त कर ली जायेगी तथा तत्काल सम्पत्ति की बिक्री कर दी जायेगी।
9. सफल बोलीदाता को बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन या उससे पूर्व हीरो फिन कॉर्प लिमिटेड के पक्ष में देय, नई दिल्ली में भुगतान होने योग्य डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर/चेक द्वारा 75% बोली राशि का भुगतान करना होगा।
10. निर्धारित अवधि अर्थात् बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर शेष 75% बोली राशि का भुगतान नहीं करने पर जमा राशि (25% बोली राशि सहित) जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी तथा क्रेता उस सम्पत्ति अथवा राशि के किसी भाग जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी, के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे।
11. एचएफसीएल द्वारा बिक्री की पुष्टि पर तथा यदि नियमों एवं शर्तों का पालन किया गया हो, बिक्री करने वाले प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के परिशिष्ट V में दी गई प्रपत्र में क्रेता के पक्ष में अचल सम्पत्ति का बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
12. सम्पत्ति की बिक्री ''जैसा है जहां है आधार'' एवं ''जो भी वहां है आधार'' एवं ''जैसा है जो भी है आधार'' एवं उपचार-रहित आधार पर की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति के संदर्भ में टाइटल, पहचान, विस्तार, व्यास, सर्वे नम्बर, डोर नम्बर, चौहद्दी अथवा अधिभारों के विषय में संतुष्ट होने के लिये राजस्व/एसआरओ के अभिलेखों की जांच कर लें। एचएफसीएल उपरोक्त सम्पत्ति पर लम्बित किसी भी प्रकार की देयताओं के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
13. इच्छुक पार्टी/बोलीदाता 3.11.2019 को या उससे पूर्व कार्यावधि के दौरान नीलामी पर रखी गई सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं जिसके लिये वे अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क कर सकते हैं।
14. सफल बोलीदाता को एकाकी रूप से लागू होने वाले कॉन्वीयन्स, पंजीकरण शुल्कों, स्टाम्प शुल्क, करों, सांविधिक देयताओं के लिये देय सभी चार्जेज का वहन करना होगा।
15. यह ई-नीलामी बिक्री एचएफसीएल द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
16. यह बिक्री/नीलामी सरफेसी अधिनियम, 2002 (उसके अंतर्गत निर्मित नियमों) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी।
17. नीलामी की गई सम्पत्ति के संदर्भ में किसी चार्ज, लिएन, अधिभारों, सम्पत्ति कर तथा सरकार या किसी व्यक्ति के किसी अन्य बकाये के लिये एचएफसीएल उत्तरदायी नहीं होगा।
18. यदि वे अपनी सम्पूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान नहीं करते हैं तो उपरोक्त तिथि को नीलामी बिक्री के आयोजन के विषय में उपरोक्त ऋण के ऋणधारक/अथवा सह-ऋणधारक के लिये यह प्रकाशन 15 दिनों की बिक्री सूचना है। ऋणधारक तथा सह-ऋणधारक को ई-नीलामी की तिथि को या उससे पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिये सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 15 दिनों की बिक्री सूचना दी जाती है जिसमें विफल होने पर अचल सम्पत्ति की बिक्री कर दी जायेगी तथा शेष, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों के साथ वसूल की जायेगी। यदि नीलामी बिक्री की तिथि से पूर्व ऋणधारक एचएफसीएल की बकाया देयताओं का भुगतान कर देते हैं तो नीलामी बिक्री रोक दी जायेगी।
19. एतद्द्वारा ऋणधारक तथा मार्टगैजर को सूचित किया जाता है कि बिक्री के नियमों एवं शर्तों के अनुसार यहां ऊपर निर्दिष्ट अचल सम्पत्ति की खरीद के लिये वे इच्छुक क्रेताओं/खरीदारों को सामने ला सकते हैं।
20. अचल सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम बोलीदाता को की जायेगी। लेकिन, प्राधिकृत अधिकारी को यदि वे आवश्यक समझें, इंटर-से बोली की अनुमति देने का सम्प्रभु अधिकार है।
21. ऊपर वर्णित ऋण की राशि, ऋण फोर्क्लोजर राशि नहीं है। उक्त ऋण के लिये लम्बित ईएमआई सहित अन्य सभी चार्जो की ऋण समापन के समय में गणना की जायेगी।

श्री दिनेश शर्मा
9988744220
प्राधिकृत अधिकारी
हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

तिथिः 15.10.2019
स्थानः नई दिल्ली

कॉर्पोरेशन बैंक
(सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक)
कॉर्पोरेट बैंकिंग शाखा एमजीएफ, ऑटोमोबिल्स बिल्डिंग 1, फैज रोड, झण्डेवालान, नई दिल्ली-110005

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

1. मै. आरसीआई इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज लि., बी-97, ऑल हेवन्स बिल्डिंग, वजीरपुर, रिंग रोड, नई दिल्ली-110052
2. क) श्री राजीव गुप्ता, निवासीः बी-2/9, मॉडल टाउन-2, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-110009
2. ख) श्रीमती ममता गुप्ता, पत्नी श्री राजीव गुप्ता, निवासीः बी-2/9, मॉडल टाउन-2, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-110009
2. ग) मै. मेटालार्ड लिमिटेड, बी-97, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, रिंग रोड, दिल्ली-110052
2. घ) मै. ऐस मैट्रिक्स साल्यूशन्स प्रा.लि., बी-97, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, रिंग रोड, दिल्ली-110052

विषयः कॉर्पोरेशन बैंक, सीबीबी शाखा में ऋण खाता सं. 565711000043716, 565711000043707, 565711000043947 तथा 565711000044140

ऋणधारक (सं.1) ने 6.10.2019 से भुगतान की तिथि तक स्वीकृत दर पर आगे के ब्याज के साथ 5.10.2019 को रु. 8,25,94,381/- (रुपये आठ करोड़ पच्चीस लाख चौड़ानवे हजार तीन सौ इक्यासी मात्र) की ऋण राशि वापस लौटाने में चूक की है। उनके द्वारा प्राप्त की गई साख सुविधाओं को 30.9.2019 को एनपीए वर्गीकृत किया गया है। बैंक ने 5.10.2019 को अधिनियम के अंतर्गत सूचना जारी कर उन्हें 5.10.2019 की तिथि को रु. 8,25,94,381/- की बकाया राशि के भुगतान का निर्देश दिया। यह सूचना पंजीकृत डाक से भेजी गई थी।

एतद्द्वारा ऋणधारकों तथा गारन्टरों को निर्देश दिया जाता है कि 6.10.2019 से भुगतान की तिथि तक आगे के ब्याज के साथ रु. 8,25,94,381/- की राशि का सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें जिसमें विफल होने पर बैंक यहाँ नीचे अनुसूची में दी गई प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये बाध्य होगा। अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार ऋणधारक/गारन्टर बैंक की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना सूचना की प्राप्ति की तिथि से प्रतिभूत पसिम्पत्तियों का अंतरण नहीं करेंगे।

अनुसूचीः
परिसम्पत्तियों जिसमें प्रतिभूति हित निर्मित है, का विशिष्ट विवरण इस प्रकार हैः
गिरवी परिसम्पत्तियाँ:
क) मै. मेटालॉर्ड्स लिमिटेड के स्वामित्व में बी-97, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली में स्थित सम्पति जिसका गणनाकर्ता रविन्दर पंडिता की गणना रिपोर्ट तिथि 5.6.2017 के अनुसार रु. 8.24 करोड़ मूल्य है, की ईएमजी पर प्रथम समानुरूप प्रभार।
ख) मै. आरसीआई स्टि्प्स (आरसीआई इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉज प्राईवेट लिमिटेड की यूनिट, गणना रिपोर्ट तिथि 19.01.2017 के अनुसार मूल्य रु. 9.75 करोड़) के स्वामित्व में 84, एचपीएस आईडीसी, बद्दी, हि.प्र.-173005 में औद्योगिक भूमि एवं भवन पर प्रथम समानुरूप प्रभार।
ग) मै. आरसीआई इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के स्वामित्व में 85, एचपीएस आईडीसी, बद्दी, हि.प्र.-173005 में औद्योगिक भूमि एवं भवन, गणना रिपोर्ट तिथि 13.3.2018 के अनुसार मूल्य रु. 7.30 करोड़ पर प्रथम समानुरूप प्रभार।
हापोथेकेटेड परिसम्पत्तियाँ:
घ) कम्पनी मै. आरसीआई इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड के स्वामित्व में प्लॉट नं. 84, एचपीएसआईडीसी, बद्दी, हि.प्र.-173005 में निर्धारित परिसम्पत्ति, प्लान्ट तथा मशीनरी, 31.03.2019 की रिटन डाउन वैल्यू के अनुसार रु. 36.73 करोड़, पर समानुरूप प्रथम प्रभार।
ङ) 31.3.2019 को समाप्त वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार रु. 378.83 करोड़ पर मूल्यांकित कम्पनी की सम्पूर्ण चालू परिसम्पत्तियों पर समानुरुप प्रथम प्रभार।

प्राधिकृत अधिकारी
कॉर्पोरेशन बैंक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
India's International Bank
न्यू आर्या नगर शाखा, गाजियाबाद

नियम-8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के **अन्तर्गत कब्जा सूचना**

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा, न्यू आर्या नगर शाखा, गाजियाबाद** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत ऋण धारक **मैसर्स सेंचुरी कैमिटेक, इंडिया इसके प्रोप. श्री दीपक जिंदल पुत्र संतोष जिंदल और गारंटर सह बंधककर्ता श्री अशवनी गोयल पुत्र स्वं. इश्वर प्रसाद गोयल और मधुर लता गोयल पत्नी अशवनी गोयल को मांग सूचना दिनांक 25.07.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 35,42,438.65 (रु. पैतीस लाख ब्यालीस हजार चार सौ अडतीस और पैसे पैसठ मात्र) दिनांक 25.07.2019 तक और दिनांक 30.06.2019 से भविष्य का ब्याज और आकस्मिक प्रभार** इत्यादि सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **09.10.2019** को लिया है।

विशेष रूप से ऋण धारक तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा, न्यू आर्या नगर शाखा, गाजियाबाद के प्रभार वास्ते रू 35,42,438.65 (रु. पैतीस लाख ब्यालीस हजार चार सौ अडतीस और पैसे पैसठ मात्र) दिनांक 25.07.2019 तक और दिनांक 30.06.2019 से भविष्य का ब्याज और आकस्मिक प्रभार** इत्यादि सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपति का विवरण

सम्पति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि I-364, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद, यू.पी. 201013 में स्थित, क्षेत्रफल 111.52 वर्ग मी., चौहद्दी : पश्चिम में - 30'-0 चौडी रोड, पूरब में - मकान नं. 336, दक्षिण में - मकान नं. 363, उत्तर में - मकान नं. 365

दिनांक : 09.10.2019, स्थान : गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
India's International Bank
6/18 अपर बाजार, दिल्ली मेरठ रोड, मोदीनगर, यू.पी.

कब्जा सूचना अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित अचल सम्पत्ति हेतु

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा,** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत ऋण धारक **श्री देव एडवरटाईजिंग एजेंसी प्रोप. शैलेन्द्र गुर्जर को मांग सूचना दिनांक 01.07.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 22,68,957.87 (रु. बाईस लाख अडसठ हजार नौ सौ सत्तावन और पैसे सतासी मात्र) दिनांक 31.05.2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य आकिस्मक प्रभार** इत्यादि सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक/गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **09.10.2019** को लिया है।

विशेष रूप से ऋण धारक तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा, मोदीनगर शाखा के प्रभार वास्ते रू 22,68,957.87 (रु. बाईस लाख अडसठ हजार नौ सौ सत्तावन और पैसे सतासी मात्र) दिनांक 31.05.2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य आकिस्मक प्रभार** इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपति का विवरण

दृष्टिबंधक स्टॉक और साम्यिक बंधक मकान सम्पत्ति खसरा नं. 152 एम, गाँव कदराबाद, तहसील मोहल्ला राधे एन्कलेव के पास, मोदीनगर में स्थित, यह सम्पत्ति श्री शैलेन्द्र गुर्जर के नाम पर है।

दिनांक : 09.10.2019, स्थान : मोदीनगर — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
India's International Bank
6/18 अपर बाजार, दिल्ली मेरठ रोड, मोदीनगर, यू.पी.

कब्जा सूचना अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित अचल सम्पत्ति हेतु

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा,** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत ऋण धारक **श्रीमती मुसरत पत्नी आमिर खान को मांग सूचना दिनांक 17.06.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 11,64,966/- (रु. ग्यारह लाख चौसठ हजार नौ सौ छियासठ मात्र) दिनांक 31.05.2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य आकिस्मक प्रभार** इत्यादि सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक/गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **09.10.2019** को लिया है।

विशेष रूप से ऋण धारक तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा, मोदीनगर शाखा के प्रभार वास्ते रू 11,64,966/- (रु. ग्यारह लाख चौसठ हजार नौ सौ छियासठ मात्र) दिनांक 31.05.2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य आकिस्मक प्रभार** इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपति का विवरण

बंधक ओवर शेड सम्पत्ति प्लॉट नं. 12,13,14, खसरा नं. 821एमआई गाँव रोड़ी, मोहल्ला विजय नगर, मोदीनगर में स्थित, क्षेत्रफल 277.91 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती मुसरत जहाँ पत्नी आमिर खान के नाम पर है।

दिनांक : 09.10.2019, स्थान : मोदीनगर — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
India's International Bank
6/18 अपर बाजार, दिल्ली मेरठ रोड, मोदीनगर, यू.पी.

कब्जा सूचना अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित अचल सम्पत्ति हेतु

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा,** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत ऋण धारक **श्री शैलेन्द्र गुर्जर को मांग सूचना दिनांक 17.06.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 7,92,355.97 (रु. सात लाख बान्वे हजार तीन सौ पचपन और पैसे सत्तान्वे मात्र) दिनांक 31.05.2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य आकिस्मक प्रभार** इत्यादि सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक/गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **09.10.2019** को लिया है।

विशेष रूप से ऋण धारक तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा, मोदीनगर शाखा के प्रभार वास्ते रू 7,92,355.97 (रु. सात लाख बान्वे हजार तीन सौ पचपन और पैसे सत्तान्वे मात्र) दिनांक 31.05.2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य आकिस्मक प्रभार** इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपति का विवरण

सायिम्क बंधक द्वारा निरंतर सुरक्षित सम्पत्ति खसरा नं. 152एम गाँव कदराबाद, तहसील मोहल्ला राधे एन्कलेव के पास, मोदीनगर में स्थित

दिनांक : 09.10.2019, स्थान : मोदीनगर — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

स्पेक्ट्रम नीलामी इसी वित्त वर्ष में : रविशंकर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 14 अक्तूबर।

मोबाइल स्पेक्ट्रम की नीलामी इसी वित्त वर्ष में होगी और इसकी नियत तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। जहां तक स्पेक्ट्रम की कीमतों का सवाल है तो इसको लेकर सरकार कुछ सुधार करने जा रही है। जल्द ही इसकी भी घोषणा की जाएगी। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को इंडियन मोबाइल कांग्रेस (आइएमसी) के उद्घाटन सत्र में ये घोषणा कीं। आइएमसी का आयोजन ऐरोसिटी में किया जा रहा है और इसका समापन 16 अक्तूबर को होगा। इस मौके पर संचार मंत्रालय में सचिव अंशु प्रकाश भी मौजूद थे।

मंत्री ने कहा कि मुझे स्पेक्ट्रम नीलामी में अच्छी प्रतिस्पर्धा देखना पसंद है। सरकार की भूमिका सिर्फ समन्वयक की रहेगी और मेरे लिए सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि किस प्रकार आम भारतीय ग्राहक को लाभ मिलता है। प्रसाद ने कहा कि मुझे पता है कि इस दौरान काफी चुनौतियां आएंगी और सरकार इनसे सभी नई नीति ला रही है। इसके लिए हमने सभी राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) मंत्रियों और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है। इसके बाद इस नीति की घोषणा की जाएगी।

मंत्री ने कहा कि कंपनियों के लिए भारत में जिन नीतियों की आवश्यकता है, वे बनाई गई हैं चाहे वे स्पेक्ट्रम को साझा करने के संबंध में हों या फिर स्पेक्ट्रम को बेचने के मामले को लेकर हों। इसके अलावा बुनियादी ढांचे को भी साझा करने की नीति बनाई गई है। साथ ही संचार नीति, आइटी नीति, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से संबंधित नीति आदि सभी लागू हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार और भी नीतियां बनाने को तैयार है। मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ये सभी कदम डिजिटल समावेशन के लिए कर रही है।

ग्राहकों के अधिकारों का ध्यान रखें बीएसएनएल और एमटीएनएल : दूरसंचार मंत्री ने कहा कि मैं सभी दूरसंचार के क्षेत्र की सभी कंपनियों की सराहना करता हूं खासकर बीएसएनएल और एमटीएनएल की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की इन दोनों कंपनियों ने आपात स्थिति से लेकर सामान्य स्थिति में बेहतर काम किया है। लेकिन अब इन्हें अपनी कार्यशैली में बदलाव करना होगा। इन्हें अपने ग्राहकों के अधिकारों का ध्यान देना होगा।

पीएमसी बैंक घोटाला

वाधवन समेत तीन आरोपियों की पुलिस हिरासत 16 तक बढ़ी

मुंबई, 14 अक्तूबर (भाषा)।

मुंबई की एक अदालत ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाला मामले में सोमवार को हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआइएल) के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक राकेश कुमार वाधवन और उनके बेटे सारंग वाधवन व बैंक के पूर्व चेयरमैन वरयाम सिंह की पुलिस हिरासत 16 अक्तूबर तक बढ़ा दी।

सैकड़ों की संख्या में जमाकर्ता इस मामले को 'सफेदपोश' अपराध ठहराते हुए अदालत के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। वे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अपना पैसा जल्द से जल्द वापस दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। पीएमसी बैंक मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को सोमवार को महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने तीनों की हिरासत की मांग की।

मजिस्ट्रेट एसजी शेख ने पुलिस की अर्जी पर विचार करते हुए तीनों की हिरासत 16 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दी है। पीएमसी बैंक में 4,355 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने के आरोप में वाधवन और उनके बेटे को तीन और सिंह को पांच अक्तूबर को गिरफ्तार किया था।

बैंक से जुड़े घटनाक्रम पर हमारी नजर : सीतारमण

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)।

सरकार पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक मामले से जुड़े घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भरोसा दिया है कि पीएमसी बैंक के ग्राहकों के हितों की रक्षा की जाएगी।

पीएमसी बैंक में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आने के बाद केंद्रीय बैंक ने इस बैंक के ग्राहकों के लिए नकद निकासी की सीमा तय करने के साथ ही बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। हाल में रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को राहत देते हुए निकासी की सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआइ गवर्नर ने मुझे भरोसा दिया है कि वह ग्राहकों के हित को ध्यान में रखेंगे और जल्द ही उनकी दिक्कतें दूर करने की कोशिश की जाएगी। मैंने आरबीआइ गवर्नर के साथ चर्चा की और मैं इसकी बारीकी से निगरानी कर रही हूं। उन्होंने कहा कि सरकार जमा पर गारंटी की सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाने पर विचार कर सकती है। ऐसा होता है तो इसे संसद के जरिए किया जाएगा।

डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआइसीजीसी) बैंक खाते में जमा ग्राहक की रकम का अधिकतम एक लाख रुपए का बीमा करती है। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों रकम शामिल हैं। किसी वजह से बैंक के कामकाज बंद होने की स्थिति में जमाकर्ता को बीमा कंपनी इस रकम का भुगतान करती है।

सूचकांक 87 अंक मजबूत

मुंबई, 14 अक्तूबर (भाषा)।

एशियाई बाजारों के सकारात्मक रुख के बीच सोमवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 87 अंक चढ़ गया।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 87.39 अंक की बढ़त के साथ 38,214.47 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 36.10 अंक की बढ़त के साथ 11,341.15 अंक पर बंद हुआ।

सूचकांक की कंपनियों में टाटा मोटर्स में 5.32 फीसद का लाभ रहा। ओएनजीसी का शेयर 4.73 फीसद चढ़ गया। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि ओएनजीसी को एचपीसीएल में अपनी हिस्सेदारी बेचने की पूरी आजादी है। अन्य कंपनियों में भारती एअरटेल, इंडसइंड बैंक, सनफार्मा, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, बजाज आटो और टीसीएस लाभ में रहे। वहीं दूसरी ओर इन्फोसिस का शेयर 3.68 फीसद टूट गया। कंपनी का सितंबर तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ दो फीसद घटा है। बजाज फाइनेंस, पावरग्रिड, एलएंडटी और कोटक बैंक के शेयर 2.37 फीसद तक नुकसान में रहे।

अंतर बैंक विदेशी विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे की गिरावट के साथ 71.16 प्रति डॉलर पर रहा।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

प्र.का. मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग,
सी-13, सैक्टर-1, नोएडा-201301 (उ.प्र.)

कार्बन-रहित पिन मेलर की आपूर्ति हेतु ई-निविदा सूचना (2019-21)

पंजाब नैशनल बैंक इंटरनेट बैंकिंग के लिए कार्बन–रहित पिन मेलर की 2 वर्षों तक आपूर्ति हेतु ऐसे प्रतिष्ठित विनिर्माताओं से अपने ई–खरीद पोर्टल https://etender.pnbnet.in के माध्यम से 2–बोली (2-BID) प्रणाली के अंतर्गत ई–निविदाएं आमंत्रित करता है जिन्हें सार्वजनिक/निजी/विदेशी बैंकों को कम से कम विगत 3 वर्षों में न्यूनतम 10 लाख रुपये औसत वार्षिक मूल्य के कार्बन–रहित पिन मेलर की आपूर्ति की हो।

निविदा दस्तावेज़ व्यक्तिगत रूप से इस कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय के दौरान प्राप्त किया जा सकता है या इसे बैंक की ई–खरीद पोर्टल (https://etender.pnbnet.in) और बैंक की वेबसाइट (www.pnbindia.in) से भी डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज के साथ रु. 1,180/- (केवल एक हजार एक सौ अस्सी रुपये) का (अप्रतिदेय) क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट संलग्न होना अनिवार्य है जो कि वरिष्ठ प्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, नोएडा .... (फर्म का नाम) के पक्ष में देय हो।

इच्छुक निविदाकर्ता सम्पूर्ण विवरण के लिए कृपया निविदा दस्तावेज का संदर्भ लें।

बैंक की ई–खरीद पोर्टल के माध्यम से निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि 05.11.2019 दोपहर 1.00 बजे तक है। **वरिष्ठ प्रबंधक**

POLYCAB

पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में 'पॉलीकैब वायर्स लिमिटेड')
सीआईएन: L31300DL1996PLC266483
पंजीकृत कार्यालय: ई–554, ग्रेटर कैलाश–2, नई दिल्ली – 110048, भारत
फोन नंबर: 011-29228574, वेबसाइट: www.polycab.com
ई–मेल: shares@polycab.com

सूचना

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 29(1)(ए) के साथ पठित विनियम 47(1)(ए) के अनुसरण में, यह सूचना दी जाती है कि कंपनी के दिनांक 30 सितंबर 2019 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार करने एवं अनुमोदित करने के साथ ही साथ अन्य कार्यों हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन बुधवार, 23 अक्तूबर 2019 को किया जाएगा।

यह सूचना, कंपनी की वेबसाइट www.polycab.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है, अर्थात www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में 'पॉलीकैब वायर्स लिमिटेड)
हस्ता./–
सुब्रमण्यम साई नारायण
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्या: एफ5221

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15 अक्तूबर 2019

SBI
स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेन्टर,
सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई

स्टेट बैंक समूह के लिए L2 मैनेज्ड स्विचेज की प्राप्ति, आपूर्ति और वॉरण्टी सपोर्ट हेतु प्रस्ताव हेतु अनुरोध

भारतीय स्टेट बैंक L2 मैनेज्ड स्विचेज की प्राप्ति, आपूर्ति और वॉरण्टी सपोर्ट के लिए **"प्रस्ताव हेतु अनुरोध"** आमंत्रित करता है. अपेक्षा के विवरण **https://bank.sbi** के होम पेज पर 'प्रोक्युरमेन्ट न्यूज' टैब के अंतर्गत देखे जा सकते हैं.

दिनांक: 15/10/2019
उप महाप्रबंधक
नेटवर्किंग एवं कम्युनिकेशन विभाग

शुद्धिपत्र

मै. जीएसएस प्रोकॉन प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के अनुसार 13.10.2019 को प्रकाशित (जनसत्ता–नई दिल्ली संस्करण) प्रपत्र ए सार्वजनिक उद्घोषणा तिथि 11.10.2019 के संदर्भ में निम्नलिखित शुद्धि पत्र जारी की जा रही है:

प्रपत्र ए के क्रम सं. 11 जिसमें यह वर्णित है कि दावे जमा करने की अंतिम तिथि "20.10.2019" है, उसे "24.10.2019" पढ़ें।

इस शुद्धि पत्र को मै. जीएसएस प्रोकॉन प्राईवेट लिमिटेड के मामले में 11.10.2019 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी प्रपत्र ए सार्वजनिक उद्घोषणा के साथ जोड़कर पढ़ा जाये।

तिथि: 14.10.2019
स्थान: नई दिल्ली

सुनील कुमार अग्रवाल
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल
पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00081/2017-2018-10222

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चास

सूचना पत्र

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि ई0–अल्पकालीन निविदा संख्या RWSS/Chas-16/2019-20 दिनांक 04.10.2019 Drinking Water and Sanitation Division Chas 2019-20 का Chandankiyari Rural Water Supply Scheme जिसका प्रकाशित PR No. 219078 Drinking Water Sanitation (19-20) D को अपरिहार्य कारण वश रद्द किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चास

PR 219573 Drinking Water and Sanitation (19-20)_D

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

सिंडिकेट बैंक,
सेक्टर –55, गुड़गाँव ब्रांच
एससीओ 100, हुडा मार्केट, सेक्टर 55
गुड़गाँव, हरियाणा –122002

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति के लिये) [अधिनियम–नियम 8(1) के अंतर्गत परिशिष्ट IV]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 3.7.2019 जारी कर ऋणधारकों/गारन्टरों श्रीमती बाला देवी, पत्नी श्री चत्तर सिंह को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 7,50,006.24 (रुपये सात लाख पचास हजार छः एवं पैसे चौबीस मात्र) के साथ आगे का ब्याज तथा अनुषांगिक चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 9.10.2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 7,50,006.24 (रुपये सात लाख पचास हजार छः एवं पैसे चौबीस मात्र) की राशि के लिये सिंडिकेट बैंक लि. के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती बाला देवी, पत्नी चत्तर सिंह के स्वामित्व में एच. नं. 86, ब्लॉक ए, सेक्टर–55, गुड़गाँव की गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

सम्पत्ति की चौहद्दी: उत्तर: रोड, **दक्षिण:** मकान सं. ए1–83, **पूर्व:** प्लॉट नं. ए–1–85, **पश्चिम:** प्लॉट नं. ए–1–87

तिथि: 15.10.2019
स्थान: गुड़गाँव

प्राधिकृत अधिकारी
सिंडिकेट बैंक

केन्द्रीय विद्यालय
सैक्टर–4, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110022,
KV, SEC-4, R.K. PURAM, NEW DELHI

लघु निविदा सूचना / SHORT TENDER NOTICE

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली संभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले समारोह के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों से सील बंद निविदाएँ दिनांक **22.10.2019** तक केन्द्रीय विद्यालय से–4, आर. के. पुरम, नई दिल्ली द्वारा आमंत्रित की जाती हैं। नियम और शर्तें और निविदा के अन्य विवरण विद्यालय की वेबसाइट **https://rkpuramsec4.kvs.ac.in** पर देखे जा सकते हैं।

Sealed tenders are invited by KV Sec-4, R.K. Puram by **22.10.2019** from various reputed events management companies for an event to be held by KVS Regional Office, Delhi. Terms & conditions and other details of the tender may be seen on the website **https://rkpuramsec4.kvs.ac.in**

प्राचार्य / PRINCIPAL

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank
पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड विदित
CIN: L65110TH2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय: केआरएम टावर्स, 8वाँ तल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई–600031
टेली.: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022
प्राधिकृत अधिकारी: श्री रोहित दुदेजा | सम्पर्क नम्बर – 7838324723

परिशिष्ट–IV–ए (देखें नियम 8 (6) का प्रावधान]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका तात्कालिक **कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड, अब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** किया गया है, की धमेन्दर पाल, परमेश्वरी देवी, श्याम लाल से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट फोम फाइनांस लिमिटेड) के बकाये 23 अक्टू. 18 को आईएनआर 1442343.4/– की वसूली के लिये 19.11.2019 को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो भी है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य आईएनआर 800000/– तथा धरोहर राशि भुगतान आईएनआर 80000 होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

शॉप नं. डी–01/014/1बी, जी एफ, छत के अधिकार के बिना, दिलशाद प्लाजा, डीएलएफ दिलशाद एक्स्टें., 2, ग्राम ब्रहमपुर, ऊर्फ भोपुरा, प्रॉप सिटी–गाजियाबाद, प्रॉप–राजस्व–उत्तर प्रदेश, पिन कोड–201005

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाईट अर्थात **www.idfcfirstbank.com** में दी गई लिंक देखें।

डिस्क्लेमर: कृपया ध्यान रहे कि उक्त सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ही जारी की गई है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति में विद्यमान, यदि कोई हो, चल परिसम्पत्तियों की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.

तिथि: 14.10.2019 (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड के नाम से विदित)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank
पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड विदित
CIN: L65110TH2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय: केआरएम टावर्स, 8वाँ तल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई–600031
टेली.: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022
प्राधिकृत अधिकारी: श्री रोहित दुदेजा | सम्पर्क नम्बर – 7838324723

परिशिष्ट–IV–ए (देखें नियम 8 (6) का प्रावधान]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका तात्कालिक **कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड, अब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** किया गया है, की मोहम्मद मुस्तकीम, शमीम शाबुद्दीन सैफी से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट फोम फाइनांस लिमिटेड) के बकाये 10.10.2018 को आईएनआर 2035498.6/– की वसूली के लिये 19.11.2019 को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो भी है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य आईएनआर 1500000/– तथा धरोहर राशि भुगतान आईएनआर 150000 होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

मकान सं. 1322 (पुराना) (नया नं. 1200), खसरा नं. 180 मिन, कैला भट्टा, परगणा लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद–201001

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाईट अर्थात **www.idfcfirstbank.com** में दी गई लिंक देखें।

डिस्क्लेमर: कृपया ध्यान रहे कि उक्त सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ही जारी की गई है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति में विद्यमान, यदि कोई हो, चल परिसम्पत्तियों की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.

तिथि: 14.10.2019 (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड के नाम से विदित)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank
पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड विदित
CIN: L65110TH2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय: केआरएम टावर्स, 8वाँ तल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई–600031
टेली.: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022
प्राधिकृत अधिकारी: श्री रोहित दुदेजा | सम्पर्क नम्बर – 7838324723

परिशिष्ट–IV–ए (देखें नियम 8 (6) का प्रावधान]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका तात्कालिक **कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड, अब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** किया गया है, की जयविन्दर कुमार, पूनम चरण सिंह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट फोम फाइनांस लिमिटेड) के बकाये 4.10.2018 को आईएनआर 2444466.7/– की वसूली के लिये 19.11.2019 को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो भी है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य आईएनआर 1600000/– तथा धरोहर राशि भुगतान आईएनआर 160000 होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

आवासीय कॉलोनी, लालबाग, ग्राम अहमद नगर, नवादा परगणा तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्ति प्लॉट नं. 67–ए, प्रथम तल साइट, बिना छत के अधिकार के, क्षेत्रफल माप 810 वर्ग फीट, 75.24 वर्ग मी., खसरा नं. 37 में।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाईट अर्थात **www.idfcfirst-bank.com** में दी गई लिंक देखें।

डिस्क्लेमर: कृपया ध्यान रहे कि उक्त सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ही जारी की गई है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति में विद्यमान, यदि कोई हो, चल परिसम्पत्तियों की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.

तिथि: 14.10.2019 (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड के नाम से विदित)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank
पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड विदित
CIN: L65110TH2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय: केआरएम टावर्स, 8वाँ तल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई–600031
टेली.: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022
प्राधिकृत अधिकारी: श्री रोहित दुदेजा | सम्पर्क नम्बर – 7838324723

परिशिष्ट–IV–ए (देखें नियम 8 (6) का प्रावधान]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका तात्कालिक **कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड, अब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** किया गया है, की महेन्दर सिंह, रेखा रामशरण से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट फोम फाइनांस लिमिटेड) के बकाये 4.10.2018 को आईएनआर 2213407.2/– की वसूली के लिये 19.11.2019 को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो भी है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य आईएनआर 2800000/– तथा धरोहर राशि भुगतान आईएनआर 280000 होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

खसरा नं. 664, विकास नगर कॉलोनी, ग्राम लोनी, परगणा लोनी, तहसील लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में शामिल मकान सं. 212, एरिया माप 311 वर्ग यार्ड्स अर्थात् 260.22 वर्ग मी.

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाईट अर्थात **www.idfcfirstbank.com** में दी गई लिंक देखें।

डिस्क्लेमर: कृपया ध्यान रहे कि उक्त सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ही जारी की गई है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति में विद्यमान, यदि कोई हो, चल परिसम्पत्तियों की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.

तिथि: 14.10.2019 (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड के नाम से विदित)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank
पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड विदित
CIN: L65110TH2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय: केआरएम टावर्स, 8वाँ तल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई–600031
टेली.: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022
प्राधिकृत अधिकारी: श्री रोहित दुदेजा | सम्पर्क नम्बर – 7838324723

परिशिष्ट–IV–ए (देखें नियम 8 (6) का प्रावधान]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका तात्कालिक **कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड, अब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** किया गया है, की नवल किशोर गुप्ता, श्वेता बार्श्नेय से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट फोम फाइनांस लिमिटेड) के बकाये 28 जन. 19 को आईएनआर 35,48,690.19/– की वसूली के लिये 19.11.2019 को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो भी है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य आईएनआर 56,00,000/– तथा धरोहर राशि भुगतान आईएनआर 5,60,000 होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट नं. 17, खसरा नं.–2171/1044/822/1 मिन, ग्राम चन्द्रावली, ऊर्फ शाहदरा, ब्लॉक नं.–28, विश्वास नगर, दिल्ली–110032 में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाईट अर्थात **www.idfcfirstbank.com** में दी गई लिंक देखें।

डिस्क्लेमर: कृपया ध्यान रहे कि उक्त सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ही जारी की गई है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति में विद्यमान, यदि कोई हो, चल परिसम्पत्तियों की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.

तिथि: 14.10.2019 (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड के नाम से विदित)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank
पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड विदित
CIN: L65110TH2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय: केआरएम टावर्स, 8वाँ तल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई–600031
टेली.: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022
प्राधिकृत अधिकारी: श्री रोहित दुदेजा | सम्पर्क नम्बर – 7838324723

परिशिष्ट–IV–ए (देखें नियम 8 (6) का प्रावधान]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका तात्कालिक **कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड, अब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** किया गया है, की राजेश कुमार, रेखा पंडित किशन शर्मा से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट फोम फाइनांस लिमिटेड) के बकाये 21 फर. 2019 को आईएनआर 1443959.7/– की वसूली के लिये 19.11.2019 को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो भी है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य आईएनआर 1800000/– तथा धरोहर राशि भुगतान आईएनआर 180000 होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति पता प्रथम तल, बिना छत के अधिकार के, ओएलएफ नं. 27 बी (नया नं. आरजेड–बी/56, खसरा नं. 12/5, मिर्जापुर कॉलोनी, महावीर एन्क्लेव, नई दिल्ली–110045 का सभी भाग तथा हिस्सा।)

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाईट अर्थात **www.idfcfirstbank.com** में दी गई लिंक देखें।

डिस्क्लेमर: कृपया ध्यान रहे कि उक्त सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ही जारी की गई है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति में विद्यमान, यदि कोई हो, चल परिसम्पत्तियों की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.

तिथि: 14.10.2019 (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड के नाम से विदित)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, घाटशिला
Eamil Id-eescdghatshila@gmail.com

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा संख्या–ज0स0वि0 / सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, घाटशिला / एस0बी0डी0–03 / 2019–20 दिनांक–14.10.19

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	गालुडीह बॉयी मुख्य नहर के कि0मी0 42.60 से कि0मी0 49.30 के बीच अवशेष एवं पूनरीक्षित नहर का मिट्टी, संरचना, डब्लू0बी0एम0 रोड, लाईनिंग एवं Box Culvert निर्माण कार्य।	17,23,55,360.00	17,24,000.00	10,000.00	540 दिन

2. ऑनलाइन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि / समय : 07.11.2019 (अप0 5.00 बजे तक)।
3. वेबसाइट पर निविदा प्रकाशित होने की तिथि / समय : 25.10.2019 अपराह्न 2.00 बजे।
4. निविदा अभिलेख डाउनलोड करने की तिथि / समय : दिनांक–25.10.2019 से 07.11.2019 तक (अप0 5.00 बजे)।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 09.11.2019 को अपराह्न 2.00 बजे
6. निविदा प्रकाशित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता : ई0 प्रदीप चन्द्र ठाकुर कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, घाटशिला।
7. ई0 प्रोक्यूरमेंट पदाधिकारी का मोबाइल नं0 : 8294610229
8. ई0 प्रोक्यूरमेंट सेल का हेल्प लाईन नं0 : 0657–2372765

नोट : सिर्फ ई0 निविदा स्वीकार होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाईट पर http//jharkhandtenders.gov.in देखें।

बूंद - बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद को तरसेंगे

कार्यपालक अभियंता
सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, घाटशिला

PR 219567 Water Resource (19-20)_D

LOST & FOUND

Original Sale Agreement & Original Possession Letter, belonging to Mr. Sanjay Agrawal & Mrs. Raina Agrawal, for Flat No. B-504, Nirala Eden Park, Ahinsa Khand-II, Indirapuram, Ghaziabad, U.P. [which two original documents were given by Mr. Sanjay Agrawal & Mrs. Raina Agrawal, in December 2005 and July, 2008 respectively, to State Bank of Patiala (Now State Bank of India), Shastri Bhawan, New Delhi Branch (The Bank), against home loan (Loan Account no. 65004691885 and 65034898079) availed from the Bank], have been lost. As the Bank is now not able to trace these documents in its record, after repayment of home loan (Loan Account no. 65034898079) on May 03, 2019. FIR to this effect has been lodged in the Police Station, Crime Branch, New Delhi vide LR No. 1185440/2019 dated 25.06.2019. If anybody misuses these documents, then legal action can be taken against such person.

Founder please inform at **9811574106** and return the same to **Mr. Sanjay Agrawal at the address A-1002, Amrapali Eden Park, F-27, Sector 50, NOIDA-201301.**

Organic Farming Authority of Jharkhand
ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखण्ड
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार
Krishi Bhawan, Kanke Road, Ranchi –834008; www.organicjharkhand.in
Tel : 0651 2902201, 2230793, Fax : 0651-2230793, E-mail : organicjharkhand2012@gmail.com

पत्रांक सं0–ओ0फा0अ0झा0 / 1921 दिनांक:–11.10.2019

प्रेस–विज्ञप्ति

सूचित किया जाता है कि राज्यादेश संख्या–106 दिनांक–23.09.2019 के आलोक में वित्तीय वर्ष (2019–20, 2020–21 एवं 2021–22) में जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजना एवं राज्यादेश संख्या–108 दिनांक–27.09.2019 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में एच0डी0पी0ई0 वर्मीबेड के कियान्वयन हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित कर सेवा प्रदाता, प्रमाणीकरण संस्था, जैविक उपादान निर्माता एवं वर्मीबेड निर्माता / आपूर्तिकर्ता का चयन किये जाने हेतु प्रकाशित इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI) पर विचार विमर्श हेतु Pre-Bid की बैठक दिनांक–17.10.2019 को निम्न समयावधि में आहूत की गई है :–

01. प्रमाणीकरण संस्थाओं का चयन – 11:00 से 12:00 बजे पूर्वाह्न
02. सेवा प्रदाता का चयन – 12:30 से 1:30 बजे अपराह्न
03. जैविक उपादान आपुर्तिकर्ता का चयन – 2:30 से 3:30 बजे अपराह्न
04. एच0डी0पी0ई0 वर्मीबेड निर्माता का चयन – 4:00 से 5:00 बजे अपराह्न

जैविक खेती से सम्बद्ध राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित प्रमाणीकरण संस्था, जैविक उपादान निर्माता तथा सेवा प्रदाता एवं एच0डी0पी0ई0 वर्मीबेड निर्माता / आपूर्तिकर्ता स्वयं अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि एवं सम्बद्ध इच्छुक Pre-Bid की बैठक में भाग लेने हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर कृषि भवन, चतुर्थ तल, स्थित समेति सभागार, कॉके रोड, रॉची में आमंत्रित हैं।

ह0 / –
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
ओफाज, रॉची

जिसे अब तक ना समझे, वो कहानी हूँ मैं, मुझे बर्बाद मत करो पानी हूँ मैं।

PR 219617 Agriculture (19-20)_D

फार्म नं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले
और
ब्रिट्टन इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U31108DL1996PTC075061)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **1758/3, श्री श्याम मार्केट चीरा खाना, न्यू मारवाड़ी कटरा के पीछे, नई सड़क, दिल्ली –110006** में है, के मामले में
...आवेदक कंपनी / याचिकाकर्त्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक वार्षिक आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु **सोमवार 30 सितम्बर, 2019** को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विपक्ष के आधार हों, एमसीए–21 पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली –110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **1758/3, श्री श्याम मार्केट चीरा खाना, न्यू मारवाड़ी कटरा के पीछे, नई सड़क, दिल्ली –110006** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **ब्रिट्टन इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड**
कवलजीत कौर (निदेशक)
डीआईएन: **07956590**

दिनांक: 15 अक्तूबर 2019
स्थान: दिल्ली

केंद्र और राज्यों को जवाब के लिए चार हफ्ते का समय

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार का ऑनलाइन पोर्टल बनाने के लिए दायर याचिका पर सोमवार को केंद्र और 25 राज्यों को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का और समय दिया। ऑनलाइन आरटीआइ पोर्टल होने पर लोग कागज पर लिखित आवेदन के बजाय सूचना के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी के पीठ ने गैर सरकारी संगठन 'प्रवासी लीगल सेल' की जनहित याचिका पर 26 अगस्त को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अभी तक जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की। शीर्ष अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय और देते हुए स्पष्ट किया कि इसके बाद इस मामले को और स्थगित नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आरटीआइ पोर्टल

इस संगठन ने याचिका में कहा है कि सूचना का अधिकार कानून एक 'शक्तिशाली हथियार' है जिसका लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकेगा जब नागरिकों को उनके आवेदन पर समय के भीतर जानकारी उपलब्ध कराई जाए। याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने आनलाइन आरटीआइ पोर्टल बनाया है जिस पर प्रवासी भारतीयों सहित कोई भी भारतीय नागरिक किसी मंत्रालय या विभाग से सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है।

याचिका के अनुसार दिसंबर, 2013 में केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा था कि वे आरटीआइ पोर्टल शुरू करने की व्यावहारिकता तलाशें लेकिन महाराष्ट्र और दिल्ली ने ही अभी तक इस पर अमल किया है।

सोशल मीडिया खातों से आधार को जोड़ने की याचिका पर विचार से इनकार

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने 'फेक और पेड न्यूज' की समस्या पर अंकुश पाने के लिए सोशल मीडिया के खाताधारकों को आधार से जोड़ने का केंद्र को निर्देश देने के लिए दायर याचिका पर सोमवार को विचार करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाले पीठ ने अधिवक्ता और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की यह याचिका सुनवाई के लिए आने पर टिप्पणी की कि इसी तरह का मामला पहले से ही मद्रास हाई कोर्ट में लंबित है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता प्रदान की। इसके बाद याचिकाकर्ता उपाध्याय ने अपनी याचिका वापस ले ली।

शीर्ष अदालत पहले ही सोशल मीडिया खातों को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर मद्रास, बंबई और मध्य प्रदेश हाई कोर्टों में लंबित याचिकाओं को अपने यहां स्थानांतरित कराने के लिए फेस बुक इंक की एक अलग याचिका पर सुनवाई कर रहा है। उपाध्याय चाहते थे कि न्यायालय फेसबुक और ट्विटर सहित सोशल मीडिया के खातों को आधार से जोड़ने के लिए केंद्र को निर्देश दे और 'फेक और पेड न्यूज' पर अंकुश पाने के लिए निर्वाचन आयोग और भारतीय प्रेस परिषद को उचित कदम उठाने का निर्देश दे।

ओड़ीशा : जादू-टोना, यातना मामले में 10 लोग गिरफ्तार

ब्रह्मपुर (ओड़ीशा), 14 अक्तूबर (भाषा)।

जादू-टोना करने का संदेह होने पर 55 वर्षीय व्यक्ति के कथित रूप से दांत खींच लेने और जबरन मानव मल खिलाने के मामले में गंजाम जिले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना यहां से 80 किलोमीटर दूर जगन्नाथ प्रसाद पुलिस थाने के तहत झाड़ा साही में गुरुवार को हुई थी और आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार किया गया। यह पिछले पखवाड़े में जिले में काला जादू करने के संदेह में प्रताड़ित करने का दूसरा मामला है। भंजनगर उपसंभागीय पुलिस अधिकारी एसएस मिश्रा ने कहा कि पीड़ित सुदाम नायक द्वारा शुक्रवार को दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मिश्रा ने कहा कि अधिकतर आरोपी पीड़ित के दूर के रिश्तेदार हैं। आरोपियों ने करीब एक पखवाड़े पहले 20 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत होने के लिए नायक को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नायक के काला जादू करने के कारण व्यक्ति की मौत हुई।

नायक ग्रामीणों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के भय से गुरुवार को गांव से भाग गया था और उसने भंजनगर में अपने एक संबंधी के घर में शरण ली थी। मिश्रा ने बताया कि हमले में शामिल कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सिंचाई प्रमंडल गोड्डा, शिविर–महागामा।

अति अल्पकालीन ई–निविदा आमंत्रण सूचना

ई निविदा संदर्भ सं0–WRD/Mahgama/ 08 F2/19-20(2nd Call) दिनांक 12.10.19

क0	कार्य का नाम	बटेश्वर स्थान गंगा पम्प नहर योजना के अनतर्गत आर0डी0 47.10 से 143.70 तक 05 अदद् S.L.R. ब्रीज एवं 02 अदद् D.L.R. ब्रीज का निर्माण कार्य।
1.	प्राक्कलित राशि	रू0 203.00 लाख (दो करोड़ तीन लाख) मात्र।
2.	निविदा शुल्क	रू0 10,000.00 (रूपये दस हजार) मात्र।
3.	अग्रधन की राशि	रू0 4,06,000.00 (रूपये चार लाख छः हजार) मात्र।
4.	कार्य समाप्ति की अवधि	360 दिन।
5.	वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि एवं समय	17.10.19 पूर्वाह्न 11.00 बजे।
6.	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	17.10.19 से 21.10.19 अपराह्न 5.00 बजे तक।
7.	निविदा शुल्क एवं अग्रधन राशि जमा करने की अन्तिम तिथि	17.10.19 से 22.10.19 अपराह्न 3.00 बजे तक।
8.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	23.10.19 को अपराह्न 2.00 बजे।
9.	निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता	कार्यपालक अभियंता,सिंचाई प्रमंडल गोड्डा,शिविर–महागामा
10.	e-Procurement पदाधिकारी का दूरभाष सं0–	9431310821,7061542751
11.	ई निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0–	06432–232477

नोटः–केवल ई निविदा स्वीकार किया जायेगा।
विस्तृत जानकारी के लिए बेबसाईट http://jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।

बूंद - बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद को तरसेंगे

कार्यपालक अभियंता,
सिंचाई प्रमंडल गोड्डा,
शिविर–महागामा।

PR 219595 (Irrigation) 19-20 (D)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड विदित
CIN: L65110TH2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालयः केआरएम टावर्स, 8वाँ तल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई–600031
टेली.: +91 44 4564 4000, फैक्सः +91 44 4564 4022
प्राधिकृत अधिकारीः श्री रोहित दुदेजा|सम्पर्क नम्बर – 7838324723

IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट-IV-ए (देखें नियम 8 (6) का प्रावधान]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका तात्कालिक **कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड, अब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** किया गया है, की अश्फाक खान, मोह. अश्कर खान, तबस्सुम प्रवीण, यामीन प्रवीण से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट फोम फाइनांस लिमिटेड) के बकाये 8 मार्च–18 को आईएनआर 3662271/– की वसूली के लिये 5.11.2019 को ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो भी है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य आईएनआर 2308500/– तथा धरोहर राशि भुगतान आईएनआर 230850 होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

शालीमार गार्डन, मेन साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201005 में स्थित एमआइजी फ्लैट न. एस–1, दूसरा तल, छत के अधिकार के साथ, प्लॉट नं. ए–100 का सभी भाग तथा हिस्सा।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाईट अर्थात **www.idfcfirstbank.com** में दी गई लिंक देखें।

डिस्क्लेमरः कृपया ध्यान रहे कि उक्त सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ही जारी की गई है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति में विद्यमान, यदि कोई हो, चल परिसम्पत्तियों की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.

तिथिः 14.10.2019 (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड के नाम से विदित)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड विदित
CIN: L65110TH2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालयः केआरएम टावर्स, 8वाँ तल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई–600031
टेली.: +91 44 4564 4000, फैक्सः +91 44 4564 4022
प्राधिकृत अधिकारीः श्री रोहित दुदेजा|सम्पर्क नम्बर – 7838324723

IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट-IV-ए (देखें नियम 8 (6) का प्रावधान]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका तात्कालिक **कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड, अब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** किया गया है, की चंचल झा, विजय झा से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट फोम फाइनांस लिमिटेड) के बकाये 11.4.2017 को आईएनआर 1992874.8 की वसूली के लिये 19.11.2019 को ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो भी है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य आईएनआर 1800000/– तथा धरोहर राशि भुगतान आईएनआर 180000 होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

मकान स. जी 1/162, इन्दिरा एन्कलेव, सेक्टर 21डी, फरीदाबाद, हरियाणा

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाईट अर्थात **www.idfcfirstbank.com** में दी गई लिंक देखें।

डिस्क्लेमरः कृपया ध्यान रहे कि उक्त सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ही जारी की गई है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति में विद्यमान, यदि कोई हो, चल परिसम्पत्तियों की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.

तिथिः 14.10.2019 (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड के नाम से विदित)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड विदित
CIN: L65110TH2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालयः केआरएम टावर्स, 8वाँ तल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई–600031
टेली.: +91 44 4564 4000, फैक्सः +91 44 4564 4022
प्राधिकृत अधिकारीः श्री अमृत पाल सिंह गिल|सम्पर्क नम्बर – 9999776185

IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट-IV-ए (देखें नियम 8 (6) का प्रावधान]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका तात्कालिक **कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड, अब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** किया गया है, की अम्बे ऑटो, राकेश कुमार सिन्हा, अनुराधा बब्बर, भारत भूषण बब्बर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट फोम फाइनांस लिमिटेड) के बकाये 4 मई, 19 को आईएनआर 72271085/– की वसूली के लिये 19.11.2019 को ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो भी है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य आईएनआर 63500000/– तथा धरोहर राशि भुगतान आईएनआर 6350000/– होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति सं. ए–14, खसरा नं. 570/1, देवली रोड, खानपुर एक्स्टेंशन, दिल्ली–110062

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाईट अर्थात **www.idfcfirstbank.com** में दी गई लिंक देखें।

डिस्क्लेमरः कृपया ध्यान रहे कि उक्त सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये ही जारी की गई है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति में विद्यमान, यदि कोई हो, चल परिसम्पत्तियों की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.

तिथिः 14.10.2019 (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फाइनांस लिमिटेड के नाम से विदित)

माननीय ऋण वसूली अधिकरण–II चेन्नई
(देवा टॉवर्स, चौथी मंजिल, सं. 770–ए, अन्ना सलाई, चेन्नई–2)
ओ.ए. सं. 2018 का 873

पंजाब नेशनल बैंक,
इसके मुख्य प्रबन्धक, सेवा शाखा, कुर्लागाम भवन, चेन्नई–600108 द्वारा प्रतिनिधित्व
.... **आवेदक**

बनाम

1. **मैसर्स दौलत राम नरेश कुमार, इसके अधिकृत हस्ताक्षरी, श्रीमती गीता रानी,** सं. 6232, कूचा शिव मन्दिर, खारी बावली, दिल्ली–110 006 द्वारा प्रतिनिधित्व
2. **श्रीमती गीता रानी,** पत्नी श्री नरेश कुमार, निवासी सं. 2650, भूतल, हडसन लाइन, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली–110009

... **दूसरे तथा तीसरे प्रतिवादी**

प्रतिस्थापित सेवा के माध्यम से प्रतिवादियों को समन (सूचना)

आपके विरुद्ध रु. 1,03,06,898/– (रुपये एक करोड़ तीन लाख छः हजार आठ सौ अट्ठानबे मात्र) की दावा राशि की वसूली के लिए आवेदक बैंक ने उपर्युक्त मूल आवेदन दर्ज किया है जिसे आपको उपस्थिति होने के लिए कहते हुए माननीय ऋण वसूली अधिकरण–II चेन्नई के पास 01.11.2019 को 11.00 बजे भेजा गया जिसमें असफल रहने पर आपकी अनुपस्थिति में आदेश पारित कर दिया जायेगा।

मैसर्स एम.एल. गणेश एण्ड एस. अरुण कुमार
आवेदक के अधिवक्ता

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
मैसर्स विघ्नेश्वर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

सुसंगत विशिष्टियाँ

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स विघ्नेश्वर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	21 नवम्बर, 2005
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज–दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	यू45201डब्ल्यूबी2005पीटीसी142779
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय : डी–16/सी, भगवती हाउस, हौज खास, नई दिल्ली–110049 अन्य कार्यालय : जीएफ–14, अगस्था प्वाइंट, सेक्टर–53, गोल्फ लिंक रोड, गुरुग्राम–122002
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	10.10.2019 सी.पी. सं. आईबी–1076(एनडी)/2019 में एनसीएलटी, नई दिल्ली–प्रधान पीठ के माध्यम से (आईआरपी द्वारा आदेश 14.10.2019 को प्राप्त हुआ)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	11 अप्रैल, 2020 अर्थात आदेश प्राप्ति की तिथि से 180 दिन
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	सुन्दर खत्री IBBI/IPA-002/IP-N00437/2017-18/11191
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	जीएफ–124 एवं 113, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ललित होटल, बाबर रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली–110001. ई–मेल : sunder_khatri@yahoo.com
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई–मेल	जीएफ–124 एवं 113, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ललित होटल, बाबर रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली–110001. ई–मेल : vigneshwara.cirp@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	28.10.2019 (माननीय एनसीएलटी के आदेश की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन अर्थात आईआरपी की नियुक्ति)
12.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	रियल एस्टेट–गृह क्रेता
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	1. राकेश भाटिया पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P00978/2017-18/11608 ई–मेल आईडी : iprakeshbhatia@gmail.com 2. रुचिर बत्रा पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00225/2019-20/12626 ई–मेल आईडी : ip.ruchirbatra@gmail.com 3. संजीव मल्होत्रा पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00133/2017-18/10349 ई–मेल आईडी : sanjeevmalhotraadv@rediffmail.com
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	(क) वेब लिंक : https://www.ibbi.gov.in/home/downloads पता : उपर्युक्त बिन्दु 10 में दिये गये के अनुसार (ख) भौतिक पता : 1. राकेश भाटिया पता : 123, न्यू लाजपत राय मार्केट, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 110006 ई–मेल आईडी : iprakeshbhatia@gmail.com 2. रुचिर बत्रा पता : पी–15ए, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली, दक्षिण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली–110014 ई–मेल आईडी : ip.ruchirbatra@gmail.com 3. संजीव मल्होत्रा पता : सी1ए–57ए, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 ई–मेल आईडी : sanjeevmalhotraadv@rediffmail.com

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ ने आदेश दिनांक 10.10.2019 को सीपी. सं. आईबी–1076(एनडी)/2019, एनसीएलटी, नई दिल्ली, प्रधान पीठ के माध्यम से पूर्ण मैसर्स विघ्नेश्वर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है ।

मैसर्स विघ्नेश्वर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 28.10.2019 को अथवा इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार, जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, प्रपत्र सीए में श्रेणी अप्रयोज्य के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसन्द का अधिकृत प्रतिनिधि निदर्शित करेगा।

दावों की प्रस्तुति भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के अध्याय IV के अनुसार किये जाने हैं। प्रमाण सहित दावे, दावों के समर्थन में दस्तावेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित निर्दिष्ट प्रारूप में जमा किये जाने हैं :

प्रपत्र ख : कामगारों तथा कर्मचारियों को छोड़कर प्रचालन लेनदार द्वारा दावे
प्रपत्र ग : वित्तीय लेनदार द्वारा दावे
प्रपत्र गक : किसी वर्ग में वित्तीय लेनदार द्वारा दावे
प्रपत्र घ : कामगारों अथवा किसी कर्मचारी द्वारा दावा
प्रपत्र ङ : किसी कामगार या कर्मचारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत दावा
प्रपत्र च : लेनदारों (वित्तीय लेनदारों तथा प्रचालन लेनदारों के अतिरिक्त) द्वारा दावे।
दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

सुन्दर खत्री
अधिवक्ता एवं ऋण शोध क्षमता प्रोफेशनल
(अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल)
IBBI/IPA-002/IP-N00437/2017-18/11191

दिनांक : 14.10.2019
स्थान : नई दिल्ली

नोट : हितधारकों से निवेदन है कि वे ई-मेल vigneshwara.cirp@gmail.com के माध्यम से सम्पर्क करें

POST OFFER ADVERTISEMENT IN TERMS OF REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS, 2011")WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC EQUITY SHAREHOLDERS OF

PULSAR INTERNATIONAL LIMITED

(Hereinafter referred to as the **"Target Company"** or **"Pulsar"**)
CIN: L99999MH1990PLC131655
Registered Office: 501-A, Avantika Apartment, New Maneklal Estate, Ghatkopar (West), Mumbai - 400 086;
Tel No: 022-22660520, 22660442; **Email id:** pulsarltd1928@gmail.com

Open Offer to the public equity shareholders of Pulsar International Limited for acquisition of 7,80,000 Equity Shares of Face Value ₹ 10/- each of Pulsar representing 26.00% of total fully paid up equity share capital ("voting share capital") of Target company for cash, at price of ₹ 14/- (Rupees Fourteen only) per equity share by Bluerock Investment Quotient LLP ("Acquirer") under SEBI (SAST) Regulations, 2011.

This **Post Offer Advertisement** is being issued by **Keynote Financial Services Limited** ("Manager to the Offer"), on behalf of the Acquirer in connection with the offer made in compliance with Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.This Post Offer Advertisement has to be read with Public Announcement issued on July 26, 2019 **("PA")**, the Detailed Public Statement dated August 02, 2019 **("DPS")** and Letter of Offer dated August 28, 2019 **("LOF")** dispatched to the public shareholders on September 05, 2019. The DPS with respect to the aforementioned Offer was published in **Financial Express** (all editions) - English National Daily, **Jansatta** (all editions) - Hindi National Daily, **Mumbai Lakshadeep** (Mumbai edition) - Marathi Regional Daily (regional language daily where the place of the stock exchange & registered office of the Target Company is situated).

1. Name of the Target Company : Pulsar International Limited.
2. Name of the Acquirer : Bluerock Investment Quotient LLP
3. Name of the Manager to the Offer : Keynote Financial Services Limited.
4. Name of the Registrar to the Offer : Karvy Fintech Private Limited.
5. Offer Details:
   a. Date of opening of the Offer : Friday, September 13, 2019.
   b. Date of closing of the Offer : Thursday, September 26, 2019.
6. Date of Payment of Consideration : Wednesday, October 09, 2019.
7. Details of Acquisition

Sr. No.	Particulars	Proposed in the Offer Document	Actual
7.1	Offer Price (₹)	14/-	14/-
7.2	Aggregate Number of Shares Tendered	7,80,000	6,600
7.3	Aggregate Number of Shares Accepted	7,80,000	6,600
7.4	Size of Offer (Number of Shares multiplied by offer price of shares) (₹)	1,09,20,000/-	92,400/-
7.5	Shareholding of the Acquirer before Agreement/Public Announcement (No. & %)	Nil	Nil

Sr. No.	Particulars	Proposed in the Offer Document		Actual	
		Number	% of Total Equity Share Capital	Number	% of Total Equity Share Capital
7.6	Shares Acquired by way of Agreement	8,60,000	28.67	8,60,000	28.67
7.7	Shares Acquired by way of Open Offer	7,80,000	26.00	6,600	0.22
7.8	Shares Acquired after Detailed Public Statement	0	0.00	0	0.00
7.9	Post offer shareholding of Acquirer	16,40,000	54.67	8,66,600	28.88
7.10	Pre offer shareholding of the Public	19,40,100	64.67	19,40,100	64.67
7.11	Post offer shareholding of the Public	11,60,100	38.67	19,33,500	64.45

8. The Acquirer along with its Directors severally and jointly accepts full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers), 2011.
9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI, BSE Ltd and at the registered office of the Target Company.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER

KEYNOTE

Keynote Financial Services Limited
(formerly Keynote Corporate Services Limited)
The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai – 400 028.
Tel: +91–22–6826 6000-3; **Fax:** +91–22–6826 6088; **E-mail:** mbd@keynoteindia.net
Contact Person: Amlan Mahajan; **Website:** www.keynoteindia.net
SEBI Registration No.: INM 000003606; **CIN:** L67120MH1993PLC072407

For and on behalf of the Acquirer
Sd/-
Vivek Gadiyar
Designated Partner

Place: Mumbai
Date: October 14, 2019

इंडियन बैंक Indian Bank

मांग सूचना परिशिष्ट I
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

स्थानः ग्रेटर नोएडा, तिथिः 19.8.2019

की ओर सेः
सतीश कुमार पी,
एजीएम/प्राधिकृत अधिकारी, डी–37/2, सेक्टर–50, नोएडा, जी.बी. नगर, उ.प्र.–201301
सेवा में,
1. मै. ज्वाला जी बिल्डर्स ग्रुप (फर्म/ऋणधारक), पताः 1) जी–382, गामा–II, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.–201308; 2) एच. नं.–09, रामपुर जागीर, थाना–कासना, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.–201308
2. श्री सचिन चौहान, पुत्र श्री राजेन्द्र (प्रॉपाईटर/ऋणधारक), पताः 1) जी–382, गामा–II, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.–201308; 2) एच. नं.–09, रामपुर जागीर, थाना–कासना, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.–201308
3. स्व. श्री राजेन्द्र (पुत्र रघुनाथ) प्रतिनिधित्व द्वारा सांविधिक उत्तराधिकारी (गारन्टर/मार्टगैजर) पताः 1) जी–382, गामा–II, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.–201308; 2) एच. नं.–09, रामपुर जागीर, थाना–कासना, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.–201308

विषयः इंडियन बैंक, ग्रेटर नोएडा शाखा में आपकी एसओडी लिमिट खाता 6401493633–रिग.

आप में से प्रथम प्राप्राईटरशिप फर्म/ऋणधारक हैं। आप में से दूसरे प्रॉपाईटर/ऋणधारक हैं। आप में से तीसरे गारन्टर/मार्टगैजर हैं जिसने आप में से प्रथम् तथा दूसरे द्वारा प्राप्त ऋण खाता की प्रतिभूति के रूप में अपनी परिसम्पत्तियों को प्रस्तुत किया है। आप में से प्रथम, दूसरे तथा तीसरे के अनुरोध पर बैंकिंग व्यवसाय के दौरान निम्न साख सुविधाऐं स्वीकृत की गई तथा आप में से प्रथम् तथा दूसरे द्वारा प्राप्त की गईः

सुविधा का प्रकार — **लिमिट (रु. लाखों में)**
1. एसओडी (6401493633) — रु. 12.00 लाख

आप में से पहले तथा दूसरे ने उक्त प्रत्येक साख सुविधाओं के लिये निम्न दस्तावेज निष्पादित किये हैंः

सुविधा का प्रकार	दस्तावेजों का प्रकार
1. एसओडी खाता नं. 6401493633 (मै. ज्वाला जी बिल्डर्स ग्रुप, प्रॉप.:- सचिन चौहान	क. डी–1. आप में से दूसरे द्वारा निष्पादित एकल/संयुक्त डिमांड प्रॉमिशरी नोट तिथि 27.1.2016 ख. डी–2. आप में से दूसरे द्वारा निष्पादित प्रॉसीड्स लेटर तिथि 27.1.2016 का निपटारा ग. डी 101– आप में से दूसरे द्वारा निष्पादित चल सम्पत्तियों के हाइपोथेकेशन का अनुबंध तिथि 27.1.2016 घ. डी–105–ओपन कैश क्रेडिट के लिये अनुबंध तिथि 27.1.2016

उक्त ऋण का पुनर्भुगतान अधोलिखित द्वारा प्रतिभूत हैः (5 एवं 6%) आवासीय प्लॉट नं. 273ए, ब्लॉक–बी, ग्राम कासना, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र., पिन–201308 में स्थित सम्पत्ति का मार्टगैज (जैसा कि आप में से तीसरे के स्वामित्व की यहां नीचे अनुसूची में दिया गया है।)

आप सभी तथा आप में से प्रत्येक जो संयुक्त तथा पृथक रूप से उत्तरदायी हैं, से ब्याज के साथ उक्त राशि का भुगतान करने के लिये बार–बार की गई अनुरोधों के बावजूद आप बकाया राशि को वापस लौटाने में असफल रहे हैं तथा आपने चूक की है। अतएव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिसम्पत्तियों वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार 30.7.2019 से आप की ऋण खाता को गैर–प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है।

31.7.2019 को आपके द्वारा देय बकाया राशि रु. 12,40,647.00/– (रुपये बारह लाख चालिस हजार छः सौ सैतालिस मात्र) है तथा उक्त राशि के साथ भुगतान की तिथि तक उस पर 1.8.2019 से स्वीकृत दर पर आगे के ब्याज, लागत, चार्जेज तथा उस पर अन्य खर्चे का भुगतान किया जाना है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ''ऋणधारक'' शब्द का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिन्हें बैंक द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृत किया गया है अथवा जिन्होंने बैंक द्वारा दी गई उस वित्तीय सहायता के लिये कोई गारंटी दी है अथवा बैंक द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता के लिये प्रतिभूति के रूप में कोई गिरवी अथवा मॉर्टगैज किया है। अतएव आप सभी तथा आप में से प्रत्येक को निर्देश दिया जाता है कि धारा 13(2) के अंतर्गत जारी इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर इस तिथि से भुगतान की तिथि तक लागत, अन्य चार्जेज तथा खर्चे के साथ 1.8.2019 से ब्याज के साथ 31.7.2019 को देय रु. 1240647/– (रुपये बारह लाख चालिस हजार छः सौ सैंतालिस मात्र) की राशि का बैंक को भुगतान करें अन्यथा बैंक उक्त अधिनियम के अंतर्गत आपको कोई संदर्भ दिये बिना प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये बाध्य होगा। यदि सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आप अपनी देयताओं को निष्पादित करने में विफल होते हैं तो हम अनुसूची में दी गई प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत अपने प्रवर्त्तन अधिकारों का प्रयोग करेंगे। इस सूचना की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति के बाद तथा मांग पूरा नहीं करने पर बैंक अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये आवश्यक कदम उठाएगा।

कृपया ध्यान रहे कि अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार इस सूचना के बाद बैंक की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से प्रतिभूत परिसम्पत्तियों (यहां नीचे अनुसूची में दी गई) का अंतरण नहीं किया जा सकेगा। यह उल्लेखनीय है कि यह सूचना डीआरटी/डीआरटी केआरओ/डीआरएटी/न्यायालय के समक्ष कार्रवाई शुरू करने तथा प्राप्त की जाने वाली आदेश/डिक्री के कार्यान्वयन के लिये बैंक को उपलब्ध किसी अन्य उपचार के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना आपको जारी की जाती है। कृपया ध्यान रहे कि आउटस्टैंडिंग बिल्स डिस्काउन्टेड, बैंक गारन्टी तथा आपकी ओर से जारी तथा स्थापित साख पत्र के साथ ही साथ अन्य अनुषांगिक देयताओं के अंतर्गत उत्पन्न देयताओं का पुनर्भुगतान करने के लिये बैंक के पास आपको निर्देश देने का अधिकार सुरक्षित है। इस सूचना को जारी करने के लिए अधोहस्ताक्षरी बैंक के विधिवत अधिकृत प्राधिकृत अधिकारी हैं जो वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन (अधिनियम) 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत हैं। हम आपका ध्यान सरफैसी अधिनियम की धारा 13(8) तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट करते हैं जिसमें परिसम्पत्तियों पर विमोचन के आपके अधिकारों का उल्लेख है।

अनुसूचीः

परिसम्पत्तियों जिसमें प्रतिभूति हित का निर्माण किया गया है, का विशिष्ट विवरण इस प्रकार हैः
गिरवी परिसपत्तियाँ

सं.	सर्वे नं.	फ्रीहोल्ड/ लीज होल्ड	क्षेत्रफल (एकड़/ हेक्टेयर्स में)	अवस्थिति	चौहद्दी
1.	प्लॉट नं. 273–ए	लीज होल्ड	150.00 वर्ग मी.	(5 एवं 6%) आवासीय प्लॉट नं. 273ए, ब्लॉक–बी, ग्राम कासना, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र., पिन–201308	उत्तर–पूर्वः 7.5 एम चौड़ा सड़क दक्षिण–पश्चिमः प्लॉट नं. 273बी दक्षिण–पूर्वः प्लॉट नं. 272 उत्तर–पश्चिमः 3 एम चौड़ा सड़क

आपका विश्वासभाजन
सतीश कुमार पी, एजीएम/प्राधिकृत अधिकारी डी–37/2, सेक्टर–50, नोएडा, जी.बी. नगर, उ.प्र.–201301

इंडियन बैंक Indian Bank

मांग सूचना परिशिष्ट I
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

स्थानः ग्रेटर नोएडा, तिथिः 19.8.2019

की ओर सेः
सतीश कुमार पी,
एजीएम/प्राधिकृत अधिकारी, डी–37/2, सेक्टर–50, नोएडा, जी.बी. नगर, उ.प्र.–201301
सेवा में,
1. श्री मन मोहन शर्मा, पुत्र श्री दया राम (ऋणधारक/मार्टगैजर) पताः– 1) प्लाट नं. 128, खसरा नं. 113/2, ग्राम सादिक नगर, परगणा लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र.–201001 में मकान
पताः– 2) एच. नं. ई–269, नंदग्राम, गाजियाबाद, उ.प्र.–201001
2. श्रीमती वैशाली शर्मा, पत्नी श्री मनमोहन शर्मा (सह–ऋणधारक) पताः– 1) प्लाट नं. 128, खसरा नं. 113/2, ग्राम सादिक नगर, परगणा लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र.–201001 में मकान
पताः– 2) एच. नं. ई–269, नंदग्राम, गाजियाबाद, उ.प्र.–201001

विषयः इंडियन बैंक, ग्रेटर नोएडा शाखा में आपकी आवास ऋण खाता 6335824312–रिग.

आप में से प्रथम एक व्यक्ति तथा ऋणधारक हैं। आप में से दूसरे सह–ऋणधारक हैं। आप में से प्रथम मार्टगैजर हैं जिसने आप में से प्रथम् तथा दूसरे द्वारा प्राप्त ऋण खाता की प्रतिभूति के रूप में अपनी परिसम्पत्तियों को प्रस्तुत किया है। आप में से प्रथम तथा दूसरे के अनुरोध पर बैंकिंग व्यवसाय के दौरान निम्न साख सुविधाऐं स्वीकृत की गई तथा आप में से प्रथम् तथा दूसरे द्वारा प्राप्त की गईः

सुविधा का प्रकार — **लिमिट (रु. लाखों में)**
1. आवास ऋण — रु. 9.00 लाख

आप में से पहले तथा दूसरे ने उक्त प्रत्येक साख सुविधाओं के लिये निम्न दस्तावेज निष्पादित किये हैंः

सुविधा का प्रकार	दस्तावेजों का प्रकार
1. आवास ऋण खाताः 6335824312	क. डी–2. संयुक्त तथा पृथक डिमांड प्रॉमिशरी नोट तिथि 1.5.2015 ख. डी 7– प्रॉसीड लेटर तिथि 1.5.2015 का निपटारा ग. डी 32– आप में से प्रथम् द्वारा निष्पादित इक्विटैबल मार्टगैज– 9.5.2015 के निर्माण की पुष्टि करते हुए बैंक को पार्टी का पत्र घ. डी–96– आवास वित्त पोषण तिथि 1.5.2015 के लिये सावधि ऋण अनुबंध

उक्त ऋण का पुनर्भुगतान अधोलिखित सम्पत्ति की गिरवी द्वारा प्रतिभूत हैः प्लॉट नं. 128, खसरा नं. 113/2, ग्राम सादिक नगर, परगणा लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र.–201001 (जैसा कि आप में से प्रथम् के स्वामित्व को यहां नीचे अनुसूची में दिया गया है।)

आप सभी तथा आप में से प्रत्येक जो संयुक्त तथा पृथक रूप से उत्तरदायी हैं, से ब्याज के साथ उक्त राशि का भुगतान करने के लिये बार–बार की गई अनुरोधों के बावजूद आप बकाया राशि को वापस लौटाने में असफल रहे हैं तथा आपने चूक की है। अतएव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिसम्पत्तियों वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार 25.7.2019 से आप की ऋण खाता को गैर–प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है।

31.7.2019 को आपके द्वारा देय बकाया राशि रु. 8,42,523 (रुपये आठ लाख बयालिस हजार पांच सौ तैईस मात्र) (जो रु. 848259.21 बुक बैलेंस तथा रु. 25641.00 का मेमोरैण्डम ऑफ इन्टरेस्ट है) तथा उक्त राशि के साथ भुगतान की तिथि तक उस पर 1.8.2019 से स्वीकृत दर पर आगे के ब्याज, लागत, चार्जेज तथा उस पर अन्य खर्चे का भुगतान किया जाना है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ''ऋणधारक'' शब्द का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिन्हें बैंक द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृत किया गया है अथवा जिन्होंने बैंक द्वारा दी गई उस वित्तीय सहायता के लिये कोई गारंटी दी है अथवा बैंक द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता के लिये प्रतिभूति के रूप में कोई गिरवी अथवा मॉर्टगैज किया है। अतएव आप सभी तथा आप में से प्रत्येक को निर्देश दिया जाता है कि धारा 13(2) के अंतर्गत जारी इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर इस तिथि से भुगतान की तिथि तक लागत, अन्य चार्जेज तथा खर्चे के साथ 1.8.2019 से ब्याज के साथ 31.7.2019 को देय रु. 842523.00 (रुपये आठ लाख बयालिस हजार पांच सौ तैईस मात्र) की राशि का बैंक को भुगतान करें अन्यथा बैंक उक्त अधिनियम के अंतर्गत आपको कोई संदर्भ दिये बिना प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये बाध्य होगा। यदि सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आप अपनी देयताओं को निष्पादित करने में विफल होते हैं तो हम अनुसूची में दी गई प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत अपने प्रवर्त्तन अधिकारों का प्रयोग करेंगे। इस सूचना की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति के बाद तथा मांग पूरा नहीं करने पर बैंक अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये आवश्यक कदम उठाएगा।

कृपया ध्यान रहे कि अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार इस सूचना के बाद बैंक की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से प्रतिभूत परिसम्पत्तियों (यहां नीचे अनुसूची में दी गई) का अंतरण नहीं किया जा सकेगा। यह उल्लेखनीय है कि यह सूचना डीआरटी/डीआरटी केआरओ/डीआरएटी/न्यायालय के समक्ष कार्रवाई शुरू करने तथा प्राप्त की जाने वाली आदेश/डिक्री के कार्यान्वयन के लिये बैंक को उपलब्ध किसी अन्य उपचार के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना आपको जारी की जाती है। कृपया ध्यान रहे कि आउटस्टैंडिंग बिल्स डिस्काउन्टेड, बैंक गारन्टी तथा आपकी ओर से जारी तथा स्थापित साख पत्र के साथ ही साथ अन्य अनुषांगिक देयताओं के अंतर्गत उत्पन्न देयताओं का पुनर्भुगतान करने के लिये बैंक के पास आपको निर्देश देने का अधिकार सुरक्षित है। इस सूचना को जारी करने के लिए अधोहस्ताक्षरी बैंक के विधिवत अधिकृत प्राधिकृत अधिकारी हैं जो वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन (अधिनियम) 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत हैं। हम आपका ध्यान सरफैसी अधिनियम की धारा 13(8) तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट करते हैं जिसमें परिसम्पत्तियों पर विमोचन के आपके अधिकारों का उल्लेख है।

अनुसूचीः

परिसम्पत्तियों जिसमें प्रतिभूति हित का निर्माण किया गया है, का विशिष्ट विवरण इस प्रकार हैः
गिरवी परिसपत्तियाँ

सं.	सर्वे नं.	फ्रीहोल्ड/ लीज होल्ड	क्षेत्रफल (एकड़/ हेक्टेयर्स में)	अवस्थिति	चौहद्दी
1.	खसरा नं. 113/2	फ्रीहोल्ड	41.805 वर्ग मी. (प्लॉट एरिया)	प्लॉट नं. 128, खसरा नं. 113/2, ग्राम सादिक नगर, परगणा–लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र.–201001	उत्तरः दूसरे का प्लॉट दक्षिणः राजेन्दर कुमार का प्लॉट पूर्वः विपिन चौधरी का प्लॉट पश्चिमः 15 फीट चौड़ा रास्ता, सड़क

आपका विश्वासभाजन
सतीश कुमार पी, एजीएम/प्राधिकृत अधिकारी डी–37/2, सेक्टर–50, नोएडा, जी.बी. नगर, उ.प्र.–201301

नई दिल्ली

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

रिकवरी डिपार्टमेन्टए सर्किल ऑफिस – उत्तरी दिल्ली

तीसरा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110125

फोन : 011–25744163ए ईमेल : condelrd@pnb.co.in

शुद्धिपत्र

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह शुद्धिपत्र 23.09.2019 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित ई–नीलामी सूचना के संदर्भ में है। जिसमें क्र. सं. 18 मे वर्णित फ्रीहोल्ड सम्पत्ति मैसर्स गंगा राम एवं सन्स जिसकी स्थिति खेवत नं. 201, खाता नं. 238 एवं खसरा नं. 1981/2/2 (1–9), गांव जटोला, तहसील खरखोड़ा, जिला सोनीपत, हरियाणा–131402 है। तथा जिसकी नीलामी 18.10.2019 को होनी थी, बैंक द्वारा उसकी नीलामी रद्द करने का फैसला लिया गया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.10.2019

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक

SBI

एंटरप्राइज इंटीग्रेशन सर्विसेस डिपार्टमेंट, स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेंटर, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614.

शुद्धिपत्र

कृपया अतिरिक्त जेडएफएस स्टोरेज, एक्साडाटा स्टोरेज और डाटाबेस बैकअप सोल्यूशन की आपूर्ति, संस्थापन, कमिशनिंग और रखरखाव के लिए आरएफपी नं. एसबीआई/जीआईटीसी/ईआईएस/2019-20/650 दिनांक: 20.09.2019 का संदर्भ लें. **शुद्धिपत्र** प्रकाशित किया जा चुका है. कृपया बैंक की वेबसाइट **www.sbi.co.in** पर '**प्रोक्योरमेंट न्यूज**' देखें.

स्थान: नवी मुंबई
दिनांक: 15.10.2019

हस्ताक्षर
उप महाप्रबंधक (ईआईएस)

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)। शामियाना लगाकर खुले में आयोजित 'ऋण मेले' में बैंकों ने नौ दिन में कुल मिलाकर 81,781 करोड़ रुपए का कर्ज वितरित किया।

टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटैंट्स इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

टीसीआईएल भवन, ग्रेटर कैलाश–1, नई दिल्ली.110048

"टीसीआईएल के ग्राहक के लिए बड़े नेटवर्किंग अवसर में से एक के लिए बैक–एंड पार्टनर के चयन के लिए प्री–बिड टाई–अप" के लिए ऑनलाइन रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किया जाता है।

कृपया विवरण के लिए टीसीआईएल की वेबसाइट (http://www.tcil-india.com/nit.php), GePNIC पोर्टल (http://eprocure.gov.in) पर जाएं।

इस सूचना पर कोई भी शुद्धिपत्र केवल इन वेबसाइटों पर प्रकाशित किया जाएगा।

स्मार्ट शहरों के नल के पानी की गुणवत्ता की जांच करेगा बीआइएस : पासवान

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) अगले तीन माह के दौरान राज्यों की राजधानियों और सौ स्मार्ट शहरों में नल के पानी की गुणवत्ता के आधार पर रैंकिंग देगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि बीआइएस अगले छह माह के दौरान जिलास्तर पर भी नल से मिलने वाले पानी की गुणवत्ता की जांच करेगा।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

India's International Bank

6/18 अपर बाजार, दिल्ली मेरठ रोड, मोदीनगर, यू.पी.

कब्जा सूचना अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित अचल सम्पत्ति हेतु

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत ऋण धारक **श्री शैलेन्द्र गुर्जर को मांग सूचना दिनांक 17.06.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 19,12,104.30 (रु. उन्नीस लाख बारह हजार एक सौ चार और पैसे तीस मात्र) दिनांक 31.05.2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य आकिस्मक प्रभार** इत्यादि सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक/गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **09.10.2019** को लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक/गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा, मोदीनगर शाखा के प्रभार वास्ते रू 19,12,104.30 (रु. उन्नीस लाख बारह हजार एक सौ चार और पैसे तीस मात्र) दिनांक 31.05.2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य आकिस्मक प्रभार** इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

साम्यिक बंधक रिहायशी मकान एम नं 1492, मोहल्ला चूना भट्टी, भूपेन्द्रपुरी, गली नं. 12, नंदनगरी, मोदीनगर में स्थित

दिनांक : 09.10.2019, स्थान : मोदीनगर — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

India's International Bank

6/18 अपर बाजार, दिल्ली मेरठ रोड, मोदीनगर, यू.पी.

कब्जा सूचना अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित अचल सम्पत्ति हेतु

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत ऋण धारक **श्री बिजेन्द्र सिंह और श्री सतेन्द्र सिंह को मांग सूचना दिनांक 17.06.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 6,50,823/- (रु. छः लाख पचास हजार आठ सौ तेईस मात्र) दिनांक 31.05.2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य आकिस्मक प्रभार** इत्यादि सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक/गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **09.10.2019** को लिया है।

विशेष रूप से ऋण धारक तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा, मोदीनगर शाखा के प्रभार वास्ते रू 6,50,823/- (रु. छः लाख पचास हजार आठ सौ तेईस मात्र) दिनांक 31.05.2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य आकिस्मक प्रभार** इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

साम्यिक बंधक रिहायशी मकान खसरा नं. 1398, मोहल्ला राजेन्द्र नगर, सोन्दा रोड, टेलीफोन एक्सचेंज के विपरीत, मोदीनगर, में स्थित, क्षेत्रफल 58.33 वर्ग गज

दिनांक : 09.10.2019, स्थान : मोदीनगर — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

इण्डियन ओवरसीज बैंक

ইন্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক

असेट रिकवरी मैनेजमेंट शाखा

नं. 3, चौरंघी अप्रोच, कोलकाता-700072, फोन. नं. 033-2212 4053

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8(6) के परंतुक के तहत]

एतदद्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदारों और गारंटरो को सूचना दी जाती है कि **इण्डियन ओवरसीज बैंक** के पास बंधक रखी गई निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिनका कब्जा इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, प्रत्याभूत क्रेडिटर को **"जैसी है जहां है", "जो है जैसी है", "जो भी है वहां है"** आधार पर **30.10.2019** को वसूली के लिए **रू. 27,08,70,315.17 (रुपए सत्ताईस करोड़ आठ लाख सत्तर हजार तीन सौ पंद्रह पैसे सत्रह मात्र)** ब्याज और लागत के साथ प्रत्याभूत क्रेडिटर नीचे दिए गए ऋणी और गारंटर से इंडियन ओवरसीज बैंक को देय के रूप में बेची जाएंगी।

क्र.स.	नाम	क्र.स.	नाम
1.	**मेसर्स सैंडस्टोन इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड** 63/बी, दूसरी मंजिल, आशा भवन कॉलेज स्ट्रीट कोलकाता – 700073 **(उधारकर्ता)**	2.	**श्री दिनेश राज बग्गा,** जी–243, नारायणा विहार, कैर दक्षिण–पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली –110028 **(बन्धककर्ता)**
3.	**श्री सचिन अग्रवाल,** 63/बी, दूसरी मंजिल, आशा भवन कॉलेज स्ट्रीट कोलकाता – 700073 **(गारंटर)**	4.	**श्रीमती शशि अग्रवाल** 63/बी, 63/बी, दूसरी मंजिल, आशा भवन कॉलेज स्ट्रीट कोलकाता – 700073 **(गारंटर)**

सुरक्षित राशि **रु. 3,51,00,000** और अग्रिम धन राशि **रु 35,10,000/–** (अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण के साथ ज्ञात ऋणभार, यदि कोई हो)

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पूर्ण प्रथम तल और द्वितीय तल, बियरिंग संपत्ति नंबर: जी –243, क्षेत्रफल माप 250.83 वर्गमीटर, ब्लॉक–जी, नारायणा आवासीय (दुकान सह आवासीय), योजना, नई दिल्ली –110028 में जो **श्री दिनेश राज बग्गा पुत्र स्व. श्री जीवन दास बग्गा** के नाम। सम्पति की **चौहद्दी** :

पूर्व में : सम्पति न. जी –242, **पश्चिम में** : सड़क 45 फीट चौड़ी, **उत्तर में** : सर्विस लेन, **दक्षिण में** : सड़क 60 फीट चौड़ी

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया इंडियन ओवरसीज बैंक, सुरक्षित क्रेडिटर की वेबसाइट अर्थात **www.iob.in, https://iob.auctiontiger.net** में दिए गए लिंक को देखे

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 10.10.2019

प्राधिकृत अधिकारी,
इण्डियन ओवरसीज बैंक

'भूषण पावर एंड स्टील की कुर्क संपत्ति मुक्त करे ईडी'

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भूषण पावर एंड स्टील (बीपीएसएल) की कुर्क की गई संपत्ति को मुक्त करने को कहा है। साथ ही न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया है कि बिना उसकी मंजूरी के आगे कंपनी की संपत्ति कुर्क नहीं की जाए।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने इसके साथ ही जेएसडब्लू स्टील द्वारा कंपनी के अधिग्रहण के लिए किए जाने वाले 19,700 करोड़ रुपए का भुगतान फिलहाल स्थगित रखने को कहा है। जेएसडब्लू को भूषण पावर एंड स्टील के अधिग्रहण के एवज में इस राशि का भुगतान करना है।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

ओ.बी.सी

(भारत सरकार का उपक्रम)

ई–नीलामी बिक्री सूचना

Resolution Recovery & Law कलस्टर (दक्षिण और पूरब) 92/ई1, आर के मार्किट, मुनिरका, नई दिल्ली–110067, फोन : 26108530, 26108531, ई–मेल: rrl_7670@obc.co.in

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन **अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस,** आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर दिनांक **31.10.2019** को बेचा जाएगा। ई–नीलामी सेवा प्रदाता **www.bankeauctionwizard.com** के माध्यम से की जाएगी। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार, **धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 30-10-2019 को सांय 5.00 बजे तक है।**

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण एवं स्वामी का नाम (सांकेतिक / भौतिक कब्जा)	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली में वृद्धि हेतु राशि	ई–नीलामी की तारीख/समय	बकाया राशि (जमानती कर्ज)	ई एम डी प्रेषण खाते का विवरण
1	1) मैसर्स ए आर बायोटेक हर्बल प्रा. लि. 2) श्री अभिसार रस्तोगी (निदेशक) 3) श्री अभिज्ञान रस्तोगी (निदेशक) 4) श्री राजेश कुमार रस्तोगी (निदेशक)	सम्पूर्ण द्वितीय तल, नं. 2, ब्लॉक–डी, आनुपातिक स्वामित्व अधिकारों के साथ छत पर एक सर्वेंट क्वार्टर, फ्रीहोल्ड भूमि क्षेत्रफल 400 वर्ग गज, जोकि साकेत, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति श्री अभिसार रस्तोगी पुत्र श्री राजेश कुमार रस्तोगी के नाम पर है। (भौतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 297.50 लाख ₹ 29.75 लाख ₹ 1.00 लाख	31-10-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 6,72,14,208.68 दिनांक 31.03.2019 तक और दिनांक 01.04.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
2	1. मैसर्स अल्मा मैटर्स मार्केटिंग प्रा. लि. 2. हरि दत्त शर्मा 3. सुप्रिया शर्मा	सम्पत्ति नं. 209, प्रा. फ्लैट नं. 304, तृतीय तल, खसरा नं. 429, मस्जिद मोठ, नई दिल्ली में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 330 वर्ग फीट (रचनात्मक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 25.25 लाख ₹ 2.53 लाख ₹ 0.10 लाख	31-10-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 26,91,431.28 दिनांक 30.09.2019 तक और दिनांक 01.10.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
3	मैसर्स अंश प्री–फैब प्रा. लि. 1. श्री ज्ञानचंद गुप्ता 2. श्रीमती निशा गुप्ता 3. श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा	1. रिहायशी प्लॉट नं. 1076 जोकि लक्ष्मण विहार, गुड़गाँव में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 49.74 वर्ग मी. यह सम्पत्ति श्रीमती निशा गुप्ता पत्नी श्री ज्ञान चंद के नाम पर है। (भौतिक कब्जा) भार: कुछ नही	₹ 21.00 लाख ₹ 2.10 लाख ₹ 0.10 लाख	31-10-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 65,01,173/- दिनांक 30.09.2019 तक और दिनांक 01.10.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
		2. रिहायशी प्लॉट नं. 1077 जोकि लक्ष्मण विहार, गुड़गाँव में स्थित, यह सम्पत्ति श्री ज्ञान चंद के नाम पर है। (भौतिक कब्जा) भार: कुछ नही	₹ 21.00 लाख ₹ 2.10 लाख ₹ 0.10 लाख			
4	1) श्रीमती आरती लोनीयाल 2) श्री अशोक कुमार	सम्पत्ति नं. सी–447, (प्रथम तल बिना छत के अधिकार के) स्वर्ण जंयती पुरम, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्री अशोक कुमार के नाम पर है। (रंचनात्मक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 21.00 लाख ₹ 2.10 लाख ₹ 0.10 लाख	31-10-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 49,31,420/- दिनांक 30.09.2019 तक और दिनांक 01.10.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
5	1. मैसर्स असीम ग्लोबल लि. 2. श्री तनुज रस्तोगी (निदेशक) 3. श्रीमती इरा रस्तोगी (निदेशक) 4. मैसर्स साइबर डॉट कॉम प्रा. लि.	सम्पत्ति नं. 2269–70, भूतल, 3 दुकान + 3 मंजिला क्षेत्रफल 116.20 वर्ग गज या 97.16 वर्ग मी. जोकि बगीची रघुनाथ, वार्ड नं. XIV सदर बाजार, दिल्ली –110006 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती ईरा रस्तोगी पत्नी श्री रविन्द्र रस्तोगी के नाम पर है। (सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक के पास है।) भार : कुछ नहीं	₹ 120.00 लाख ₹ 12.00 लाख ₹ 0.50 लाख	31-10-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 29,23,16,101.51 दिनांक 30.09.2019 तक और दिनांक 01.10.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
6	1. मैसर्स वंशिका सेल्स 2. श्री पवन मोघा 3. श्रीमती रजनी रानी मोघा	साम्यिक बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. डब्ल्यू जेड – 912, खसरा नं. 1791 और 1791/2, मेन रोड, गाँव नरायणा, नई दिल्ली–110028 में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 191 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती रजनी रानी मोघा के नाम पर है। (भौतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 250.00 लाख ₹ 25.00 लाख ₹ 1.00 लाख	31-10-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 1,51,56,827.97 दिनांक 30.09.2019 तक और दिनांक 31.10.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
7	1) मैसर्स नीसू कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. 2) श्री नीरज शर्मा 3) श्री धीरज गुप्ता 4) श्री कुलबीर सिंह 5) सुश्री रेणु 6) श्री राजकुमार सैनी	(1) साम्यिक बंधक व्यवसायिक सम्पत्ति एस–9, ज्ञान खंड–।।, प्रथम तल, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 1221 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति मैसर्स नीसू कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. के नाम पर है। (रचनात्मक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 88.00 लाख ₹ 8.80 लाख ₹ 0.50 लाख	31-10-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 1,84,71,196.03 दिनांक 30.09.2019 तक और दिनांक 01.10.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
		(2) साम्यिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति जोकि डी–175, गली नं. 5, भजनपुरा, दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 68 वर्ग गज, यह सम्पत्ति ऋषि कुमार शर्मा पुत्र श्री राम शर्मा के नाम पर है। (रचनात्मक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 83.00 लाख ₹ 8.30 लाख ₹ 0.50 लाख			
8	1. मैसर्स एन.एस. ट्रेडिंग कंपनी 2. नीतू शर्मा पत्नी श्री धर्मपाल शर्मा	1. सम्पत्ति (दुकान) नं. एल–117 (तृतीय तल) शास्त्री नगर, क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति नीतू शर्मा के नाम पर है (भौतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 13.50 लाख ₹ 1.35 लाख ₹ 0.10 लाख	31-10-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 7,53,477/- दिनांक 30.09.2019 तक और दिनांक 01.10.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
9	1. नेहा दुबे 2. गौरव राज	फ्लैट नं. जी–1, सम्पत्ति नं. ए–60 (भूतल बिना छत के अधिकार के) डीएलएफ दिलशाद एक्स.–।।, भोपुरा, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 700 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति नेहा दुबे और श्री गोरव राज (भौतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 23.40 लाख ₹ 2.34 लाख ₹ 0.10 लाख	31-10-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 29,61,550.00 दिनांक 30.09.2019 तक और दिनांक 01.10.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
10	1) मैसर्स प्योर प्ले स्पोर्ट्स 2) श्री विष्णु भगत 3) श्री सत्य पाल मैनी 4) श्री अनिल चोपड़ा 5) श्रीमती मीना सोनी 6) श्रीमती सोनू कुकरेजा	1. साम्यिक बंधक डीजेए सीजीएचएस सोसायटी, फ्लैट बी–229, 10वां तल, सैक्टर–13, द्वारका, नई दिल्ली – 110075 में स्थित, क्षेत्रफल 1100 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्री अनिल चोपड़ा के नाम पर है। (रचनात्मक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 110.00 लाख ₹ 11.00 लाख ₹ 0.70 लाख	31-10-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 11,36,26,052.94 दिनांक 31.05.2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
		2. साम्यिक बंधक सम्पत्ति नं. 9, रोड नं. एस–20, । और ।। तल, फेज–।।।, डीएलएफ कुतुब एन्कलेव काम्पलैक्स गाँव नाथपुर, तहसील और जिला गुड़गाँव, हरियाणा में स्थित, क्षेत्रफल 264 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती सोनू कुकरेजा के नाम पर है। (भौतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 254.00 लाख ₹ 25.40 लाख ₹ 1.00 लाख			
11	1. श्रीमती रजनी रानी चौधरी 2. श्री सतेन्द्र पाल सिंह	रिहायशी प्लॉट नं. 76ए, गली नं. 9 पुराना आर्य नगर, तहसील और जिला गाजियाबाद, यू.पी.–201001 में स्थित, क्षेत्रफल 102 वर्ग गज और कवर्ड क्षेत्रफल 60 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती रजनी रानी चौधरी और श्री सतेन्द्र पाल सिंह के नाम पर है। (रचनात्मक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 36.00 लाख ₹ 3.60 लाख ₹ 0.20 लाख	31-10-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 16,18,07,406/- दिनांक 30.09.2019 तक और दिनांक 01.10.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
12	1. रवि कुमार कश्यप 2. मिथिलेश कश्यप	प्रा. फ्लैट नं. टी–3, सम्पत्ति नं. 113, ब्लॉक–ए, (तृतीय/ऊपरी तल) विष्णु एनक्लेव, खसरा नं. 572, गली नं. 2–सी, आई ओ सी पैट्रोल पम्प, गोविन्दपुरा डासना के विपरीत, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 700 वर्ग फीट यह सम्पत्ति रवि कुमार कश्यप और मिथलेश कश्यप के नाम पर है। (भौतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 14.40 लाख ₹ 1.44 लाख ₹ 0.10 लाख	31-10-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 20,55,057.80 दिनांक 30.09.2019 तक और दिनांक 01.10.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
13	1. संजय कुमार 2. रेखा देवी	फ्लैट नं. टी–1, तृतीय तल, (बिना छत के अधिकार के) फ्री होल्ड प्लॉट नं. 113, खसरा नं. 572, ब्लॉक–ए, विष्णु एन्कलेव, गाँव और परगना डासना, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 65.03 वर्ग मी., यह सम्पत्ति संजय कुमार और रेखा देवी के नाम पर है। (भौतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 14.40 लाख ₹ 1.44 लाख ₹ 0.10 लाख	31-10-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 19,04,825.97 दिनांक 30.09.2019 तक और दिनांक 01.10.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
14	1) मैसर्स वरूण वॉच्स प्रा. लि., 2) श्री राजेश मदान पुत्र श्री धर्म वीर मदान (बंधककर्ता / गारंटर) 3) श्रीमती सोनिया मदान पत्नी श्री राजेश मदान (बंधककर्ता / गारंटर)	लीज़ होल्ड रिहायशी फ्लैट नं. जी–502 (पाँचवा तल) काम्पलैक्स जिसे पार्श्वनाथ प्रेस्टीज़ कहते है, फेज–।, प्लॉट नं. 002 पर निर्मित, सैक्टर–93ए, नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी में स्थित, जिसका सुपर क्षेत्रफल 135.17 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती सोनिया मदान पत्नी श्री राजेश मदान के नाम पर है। (रचनात्मक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 57.10 लाख ₹ 5.71 लाख ₹ 0.50 लाख	31-10-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 1,32,84,801.95 दिनांक 31.03.2019 तक और दिनांक 01.04.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
15	1. मैसर्स विवेक ट्रेडिंग कंपनी, एफ –28, प्रशांत विहार, नई दिल्ली–85 2. रितु अग्रवाल पत्नी शिवांश अग्रवाल (प्रोपराइटर) 3. मुदित बिल्डटेक प्रा. लि. (कॉर्पोरेट गारंटर और बंधककर्ता) 4. श्री शरद गुप्ता पुत्र बंगाली बाबू गुप्ता (गारंटर/बंधककर्ता)	1. फ्री होल्ड रिहायशी फ्लैट नं. 55, जोकि न्याय खंड–1, क्षेत्रफल 180 वर्ग मी., रिहायशी कॉलोनी, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद (यू.पी.) में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स मुदित बिल्डटेक प्रा. लि. के नाम पर है। (भौतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 138.00 लाख ₹ 13.80 लाख ₹ 0.50 लाख	31-10-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 9,06,83,375/- दिनांक 30.09.2019 तक और दिनांक 01.10.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
		2. औद्योगिक सम्पत्ति म्युनिसिपल नं. 90–बी, नया नं. 90–बी/5, जोकि प्रकाश औद्योगिक ईस्टेट, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी. –201005 में स्थित, भूमि क्षेत्रफल 170.93 वर्ग मी., या 204.44 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री शरद पुत्र श्री बंगाली बाबू गुप्ता के नाम पर है। (रंचनात्मक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 210.00 लाख ₹ 21.10 लाख ₹ 0.50 लाख			

नियम एवं शर्तें

1. **धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 30.10.2019 को सांय 5.00 बजे तक है।**
2. **प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं सूचना के अनुसार सम्पत्ति पर कोई भार नही है। इच्छुक बोलीदाता नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति पर किसी भी भार, टाइटल और सम्पत्ति पर किसी भी दावे/अधिकार/बकाए के संबंध में बिड जमा करने से पहले स्वयं जांच कर सकते हैं। सम्पत्ति बैंक को ज्ञात और अज्ञात सभी वर्तमान और भविष्य के ऋण–भार सहित बेची जा रही है। तृतीय पक्ष यदि सम्पत्ति पर किसी बकाए / अधिकार के संबंध में कोई दावा करता है, तो इसके लिए किसी भी तरह से प्राधिकृत अधिकारी/जमानती ऋणदाता जिम्मेदार नहीं होगा।**
3. **सम्पत्ति(यों) का निरीक्षण दिनांक 21.10.2019 को पूर्वा. 11.00 से अपॅ. 4.00 बजे के बीच किया जा सकता है।**
4. इच्छुक बोलीदाता जिन्होने धरोहर राशि जमा किया है और लॉगईन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोडिंग करने, बोली जमा करने, ई–बिडिंग प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में अपेक्षित सहायता के लिए **अन्तरेस सिस्टम लि., व्यक्ति का नाम जिसे सम्पर्क किया जा सके श्री कुशल बोस, मो. 7686913157,** ईमेल : **kushal.b@antaressystems.com, tousik.g@antaressystems.com, manohar.s@antaressystems.com और सम्पत्ति से संबंधित पूछताछ के लिए सम्पत्ति प्राधिकृत अधिकारी: श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट, मो. नं. 8171626615, 011-26108530/31 ईमेल: rrl_7670@obc.co.in से कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है।**
5. बोलीदाता अपनी बोली प्रत्येक सम्पत्ति के सामने "बोली वृद्धि राशि" कालम के तहत वर्णित राशि, के गुणजों में बढ़ा सकेंगे। ई–नीलामी के अंतिम 5 मिनट में कोई बोली प्राप्त होने की स्थिति में अंतिम समय स्वतः 5 मिनट बढ़ जाएगा (असीमित)।
6. सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, पहले अदा की गई ईएमडी समायोजित करने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के तुरन्त बाद या ज्यादा से ज्यादा अगले कार्यदिवस तक जमा करना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री के 15वें दिन को अथवा उससे पहले जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में पहले जमा की गई राशि जब्त मान्य होगी और सम्पत्ति की नीलामी नए सिरे से की जाएगी तथा चूककर्ता बोलीदाता का सम्पत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।
7. क्रेता को लागू स्टाम्प ड्यूटी/अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी/अंतरण प्रभार, शुल्क इत्यादि और किसी प्राधिकरण को देय सांविधिक/गैर–सांविधिक देयताओं, करों, दरों, आकलनों, प्रभारों, शुल्कों इत्यादि का भी भुगतान वहन करना होगा।
8. उपरोक्त बंधक सम्पत्तियाँ जो कि ई–नीलामी में लगी है की नीलामी असफल होने की स्थिति में नियमानुसार बैंक प्राईवेट ट्रीटी द्वारा बिक्री करने का अधिकार रखता है।

(विस्तृत नियम एवं शर्तो हेतु कृपया हमारी वेबसाईटः https://www.obcindia.co.in and https://ibapi.in देखें)

9. **प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए बिक्री को रद्द कर सकता है।**

दिनांक 15-10-2019, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

चार हॉकी खिलाड़ियों की मौत, तीन घायल

होशंगाबाद (मध्य प्रदेश), 14 अक्तूबर (भाषा)।

ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का सेमी फाइनल मैच खेलने जा रहे चार हॉकी खिलाड़ियों की सोमवार को मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए जब उनकी कार यहां एक पेड़ से टकराकर उलट गई।

होशंगाबाद देहात थाना प्रभारी आशीष पंवार ने बताया कि यह घटना आज सुबह करीब 7 बजे के राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर रैसलपुर गांव के पास हुई। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। सामने से आ रहे वाहन के साथ टक्कर से बचने की कोशिश में कार के ड्राइवर ने संतुलन खो दिया जिससे कार पेड़ से टकराकर पलट गई। खिलाड़ी इटारसी में अपने एक दोस्त का जन्मदिन मनाकर होशंगाबाद लौट रहे थे जहां उन्हें सोमवार को ध्यानचंद ट्रॉफी का मैच खेलना था। ये सभी खिलाड़ी भोपाल की मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के थे। उन्होंने बताया कि मृतक खिलाड़ियों की पहचान शाहनवाज हुसैन (इंदौर), आदर्श हरदुआ (इटारसी), आशीष लाल (जबलपुर) एवं अनिकेत वरूण (ग्वालियर) के रूप में हुई है। ये सभी 18 से 22 साल के थे। पवार ने बताया कि इस हादसे में तीन खिलाड़ी घायल भी हुए हैं, जिनमें शान ग्लैडविन (22), साहिल चौरे (19) एवं अक्षय अवस्थी (18) शामिल हैं। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सड़क हादसा
पेड़ से टकराकर पलट गई कार, मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के थे सभी खिलाड़ी

इसी बीच, ध्यानचंद हॉकी अकादमी के सचिव नीरज राय बहोत्रा ने बताया कि ये सातों खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे। बहोत्रा ने बताया कि दर्दनाक हादसे के बाद ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट को बीच में स्थगित कर दिया गया है। शान ग्लैडविन भोपाल स्थित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से खेलते हैं, जबकि बाकी छह खिलाड़ी भोपाल की मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के थे।

अयोध्या विवाद : सुनवाई के दौरान मुसलिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सिर्फ मुसलिम पक्ष से ही किए जा रहे सवाल

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद भूमि विवाद की सुनवाई के दौरान मुसलिम पक्षकारों ने आरोप लगाया कि इस मामले में हिंदू पक्ष से नहीं बल्कि सिर्फ हमसे ही सवाल किए जा रहे हैं।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष 38वें दिन की सुनवाई शुरू होने पर मुसलिम पक्षकारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने यह टिप्पणी की। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। धवन ने कहा, 'माननीय न्यायाधीश ने दूसरे पक्ष से सवाल नहीं पूछे। सारे सवाल सिर्फ हमसे ही किए गए हैं।

निश्चित ही हम उनका जवाब देंगे।' धवन के इस कथन का राम लला का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने जोरदार प्रतिवाद किया और कहा, 'यह पूरी तरह से अनावश्यक है'। धवन ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब संविधान पीठ ने कहा कि विवादित स्थल पर लोहे की ग्रिल लगाने का मकसद बाहरी बरामद से भीतरी बरामदे को अलग करना था।

38वें दिन सुनवाई हुई
पीठ ने कहा कि संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व के मामले मे क्या किसी तीसरे पक्ष को प्रवेश और पूजा अर्चना का अधिकार दिया जा सकता है। सुनवाई 17 अक्तूबर तक जारी रहेगी।

न्यायालय ने कहा कि लोहे का ग्रिल लगाने का मकसद हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग करना था और यह तथ्य सराहनीय है कि हिंदू बाहरी बरामदे में पूजा अर्चना करते थे जहां 'राम चबूतरा', 'सीता रसोई' 'भंडार गृह' थे। शीर्ष अदालत ने धवन के इस कथन का भी संज्ञान लिया कि हिंदुओं को सिर्फ अंदर प्रवेश करने और स्थल पर पूजा अर्चना करने का 'निर्देशात्मक अधिकार' था और इसका मतलब यह नहीं है कि विवादित संपत्ति पर उनका मालिकाना हक था। पीठ ने सवाल किया कि जैसा कि आपने कहा कि उनके पास प्रवेश और पूजा अर्चना का अधिकार था, क्या यह आपके मालिकाना अधिकार को कमतर नहीं करता। पीठ ने यह भी कहा कि संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व के मामले मे क्या किसी तीसरे पक्ष को प्रवेश और पूजा अर्चना का अधिकार दिया जा सकता है। संविधान पीठ दशहरा अवकाश के बाद सोमवार को 38वें दिन इस प्रकरण पर सुनवाई शुरू की जो 17 अक्तूबर तक जारी रहेगी।

संविधान पीठ अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि तीन पक्षकारों–सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला– के बीच बराबर बराबर बांटने का आदेश देने संबंधी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई कर रही है।

अयोध्या में 10 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू

अयोध्या, 14 अक्तूबर (भाषा)।

अयोध्या में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि निषेधाज्ञा 10 दिसंबर तक लागू रहेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2014 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 14 अपीलों पर सुनवाई कर रहा है। पीठ ने इस मामले में न्यायालय की कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा की समीक्षा की थी और इसके लिए 17 अक्तूबर की सीमा तय की है।

निषेधाज्ञा का आदेश अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने कहा कि अयोध्या और यहां आने वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा– मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 31 अगस्त, 2019 से यहां एक और आदेश लागू है जो गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने और अवांछित गतिविधियों के बारे में है।

12 अक्तूबर, 2019 को जारी आदेश उन बिंदुओं के सिलसिले में है जो पूर्व के आदेश में नहीं थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की भी मांग की है। झा ने बताया कि आदेश में ड्रोन आदि से अयोध्या में शूटिंग करने पर भी रोक लगाई गई है।

ओ.बी.सी

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)

ई–नीलामी सूचना

समूह कार्यालय – आर.आर.एल नोएडा, एसएच–12, प्रथम तल, गामा शॉपिन्ग सैन्टर, सैक्टर–गामा–I, ग्रेटर नोएडा –201308, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी., फोन : 0120-2322667, ई–मेलः rrl_7656@obc.co.in

परिशिष्ट–IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस,

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 31.10.2019 को बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा/कर्जदार/गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / प्रस्ताव में सुधार हेतु राशि	बकाया राशि	ई एम डी प्रेषण खाते का विवरण	ई–नीलामी की तारीख/समय
1	शाखाः एमेटी इंटरनेशनल स्कूल, सैक्टर–44, नोएडा श्रीमती इन्द्रकला पाण्डेय, श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय और श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेय	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि एम आई जी फ्लैट, तीसरा तल फ्लैट नं. 4–डी, ब्लॉक–सी, सैक्टर – 62, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी. क्षेत्रफल 84.87 वर्ग मी. उप–रजिस्ट्रार–1, नोएडा और जिला गौतम बुद्ध नगर में पंजीकृत, चौहद्दीः उत्तर में – स्थित मानचित्र के अनुसार, दक्षिण में – स्थित मानचित्र के अनुसार, पूरब में – स्थित मानचित्र के अनुसार, पश्चिम में – स्थित मानचित्र के अनुसार (रचनात्मक/सांकेतिक कब्जा)	₹ 40.64 लाख ₹ 4.07 लाख ₹ 0.10 लाख	₹ 16,14,574.00 और दिनांक 01.10.2016 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	31-10-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
2	डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फेज–II, नोएडा, यू.पी. श्री अरविन्द कुमार वार्ष्णेय और श्रीमती हेमलता	फ्लैट नं. 131 एस, द्वितीय तल, ब्लॉक–बी, सैक्टर–ओमीक्रॉन–01, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, यू.पी. क्षेत्रफल 32 वर्ग मी., चौहद्दीः उत्तर पूरब में – स्थित मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पूरब में – स्थित मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पश्चिम में – स्थित मानचित्र के अनुसार, उत्तर पश्चिम में – स्थित मानचित्र के अनुसार	₹ 7.21 लाख ₹ 0.73 लाख ₹ 0.10 लाख	₹ 10,27,268.00 और दिनांक 01.08.2016 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	31-10-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
3	शाखा : आई.ई.एम.एल. ग्रेटर नोएडा श्री दिनेश कुमार	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. 239 एसएफ (द्वितीय तल) ब्लॉक–सी, सैक्टर– ओमिक्रॉन–1, ग्रेटर नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी., उप–जिला सदर, गौतमबुद्ध नगर के अंतर्गत पंजीकृत, जिला गौतमबुद्ध नगर, चौहद्दीः उत्तर पूरब में – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पश्चिम – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, उत्तर पश्चिम – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पूरब – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार	₹ 7.07 लाख ₹ 0.71 लाख ₹ 0.10 लाख	₹ 8,05,620.00 और दिनांक 01.10.2016 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	31-10-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
4	बरौला, सैक्टर–49, नोएडा, यू.पी. श्री आनंद कुमार एवं श्रीमती रिंकी	व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं. एसएफ–211, द्वितीय तल, अंसल प्लाजा, प्लॉट नं. 1–सी, नौलेज पार्क –1, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, यू.पी., क्षेत्रफल 45.55 वर्ग मी., चौहद्दी : पूरब में – मेंन रोड की तरफ खुला, पश्चिम में – बराम्दा, उत्तर में – ऑफिस यूनिट नं. 210, दक्षिण में – ऑफिस यूनिट नं. 212	₹ 14.15 लाख ₹ 1.42 लाख ₹ 0.10 लाख	₹ 26,35,504.00 और दिनांक 01.01.2016 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	31-10-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
5	डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फेज–II, नोएडा, यू.पी. श्री बंस बहादुर सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. 122 जी, भूतल, ब्लॉक–डी, सैक्टर, ओमिक्रान – 01 ग्रेटर नोएडा और जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी. में स्थित, सब डिस्ट्रिक सब रजिस्ट्रार सदर गौतम बुद्ध नगर, और जिला गौतम बुद्ध नगर में पंजीकृत, क्षेत्रफल 32.00 वर्ग मी.	₹ 7.66 लाख ₹ 0.77 लाख ₹ 0.10 लाख	₹ 8,19,928.07 दिनांक 14.02.2017 से होने वाला ब्याज एवं अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	31-10-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
6	गामा, ग्रेटर नोएडा श्री रविन्दर शर्मा	साम्यिक बंधक फ्लैट नं. 15, प्रथम तल, ब्लॉक नं. सी/7, सैक्टर–71, नोएडा में स्थित, क्षेत्रफल 23.33 वर्ग मी. (सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 10.50 लाख ₹ 1.05 लाख ₹ 0.10 लाख	₹ 5,91,714.00 और दिनांक 16.08.2011 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	31-10-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
7	सूरजपुर, नोएडा सुभाष कुमार	व्यवसायिक दुकान नं. एएस–2/23 (भूतल), व्यवसायिक कॉम्पलैक्स, ब्लॉक– सी, सैक्टर – अल्फा–1, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर में स्थित, क्षेत्रफल 36 वर्ग मी., चौहद्दी : उत्तर पूरब में – लीज प्लान के अनुसार, दक्षिण पूरब में – लीज प्लान के अनुसार, उत्तर पश्चिम में – लीज प्लान के अनुसार, दक्षिण पश्चिम में – लीज प्लान के अनुसार (सांकेतिक कब्जा)	₹ 73.37 लाख ₹ 7.34 लाख ₹ 0.50 लाख	₹ 14,19,021.00 और दिनांक 01.11.2018 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	EMD E-auction A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898	31-10-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
8	एमेटी इंटरनेशनल स्कूल, सैक्टर–44, नोएडा श्री सतीश कुमार भाटी पुत्र श्री धर्मवीर सिंह एवं श्रीमती अंजली भाटी पत्नी श्री सतीश कुमार भाटी	फ्लैट नं. एन–480, टाइप–ए (डुपलैक्स), जलवायु विहार, पॉकेट पी–4, प्लॉट नं. 8, बिल्डिर्स एरिया, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी. क्षेत्रफल सुपर एरिया 138.011 वर्ग मी., चौहद्दीः उत्तर में – स्थित मानचित्र के अनुसार, पूरब में – स्थित मानचित्र के अनुसार, दक्षिण में – स्थित मानचित्र के अनुसार, पश्चिम में – स्थित मानचित्र के अनुसार, (रचनात्मक / सांकेतिक कब्जा)	₹ 40.73 लाख ₹ 4.07 लाख ₹ 0.10 लाख	01-09-2016 08-12-2016 ₹ 24,40,298.00 और होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	EMD E-auction A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898	31-10-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
9	एलायन्स, सैक्टर–22 नोएडा, यू.पी. श्री मनोज चौधरी	प्लॉट नं. ए–1/32 पर निर्मित रिहायशी मकान एलआईजी फ्लैट नं. एफ–2, (प्रथम तल पर पीछे की तरफ का बिना छत के अधिकार के), डी एल एफ दिलशाद एक्सटैन्शन–2, गाँव ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा, परगना लोनी, गाजियाबाद, यू.पी., क्षेत्रफल 37.16 वर्ग मीटर, चौहद्दी : पूरब में – प्लॉट नं. ए–1/15, पश्चिम में – 30 फीट रोड, उत्तर में – प्लॉट नं. ए–1/33, दक्षिण में – प्लॉट नं. ए–1/31	₹ 7.30 लाख ₹ 0.73 लाख ₹ 0.10 लाख	8,10,392.00 और दिनांक 01.09.2013 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	31-10-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
10	सैक्टर–पाई, ग्रेटर नोएडा, यू.पी. श्री फईम बाबू	फ्लैट नं. 54 एफ एफ, ब्लॉक ई, सैक्टर – ओमीक्रॉन – 01, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी., क्षेत्रफल 30 वर्ग मी., चौहद्दीः उत्तर पूरब में – स्थित मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पूरब में – स्थित मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पश्चिम में – स्थित मानचित्र के अनुसार, उत्तर पश्चिम में – स्थित मानचित्र के अनुसार	₹ 6.84 लाख ₹ 0.69 लाख ₹ 0.10 लाख	₹ 7,09,748.88 और दिनांक 31.07.2016 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	31-10-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
11	शाखाः एमेटी इंटरनेशनल स्कूल, सैक्टर–44, नोएडा श्रीमती ज्योति प्रकाश सक्सेना पत्नी श्री संजीव प्रकाश सक्सेना और श्री संजीव प्रकाश सक्सेना	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. 13, (प्रथम तल, ब्लॉक–25, पॉकेट – 12, सैक्टर–82, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर (यू.पी) में स्थित	₹ 14.56 लाख ₹ 1.46 लाख ₹ 0.20 लाख	₹ 14,72,816.37 और दिनांक 31.05.2018 से अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	31-10-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
12	शाखाः एमेटी इंटरनेशनल स्कूल, सैक्टर–44, नोएडा श्रीमती ज्योति प्रकाश सक्सेना पत्नी श्री संजीव प्रकाश सक्सेना और श्री संजीव प्रकाश सक्सेना	सम्पत्ति फ्लैट नं. 21, द्वितीय तल, ब्लॉक–8, पॉकेट – 12, सैक्टर–82, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर (यू.पी) में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती ज्योति प्रकाश सक्सेना पत्नी श्री संजीव प्रकाश सक्सेना के नाम पर है।	₹ 12.39 लाख ₹ 1.24 लाख ₹ 0.20 लाख	₹ 6,01,833/- और दिनांक 31.05.2018 से अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	31-10-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
13	एलायन्स, सैक्टर–22 नोएडा, यू.पी. श्री दीपक कुमार और गारंटरः श्री जय प्रकाश	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. डी–888, प्रथम तल, बिना छत के अधिकार के, इंद्रप्रस्थ, गाजियाबाद (यू.पी.), उप–जिला 4थीं गाजियाबाद के अंतर्गत पंजीकृत, जिला गाजियाबाद, चौहद्दी : पूरब में – प्लॉट नं. 925, पश्चिम में – 7.5मी. चौडी रोड, उत्तर में – 9 मी. चौडी रोड, दक्षिण में – प्लॉट नं. 889, (भौतिक कब्जा)	₹ 8.14 लाख ₹ 0.82 लाख ₹ 0.10 लाख	₹ 9,60,782.12 और दिनांक 01.09.2016 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	31-10-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
14	डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्पाउंड, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, यू.पी. श्री कृष्ण कुमार राय पुत्र श्री फुर्ती लाल राय	रिहायशी फ्लैट नं. 62, तीसरा तल, ब्लॉक सी, सैक्टर ओमीक्रॉन–01ए, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी., क्षेत्रफल–31 वर्ग मी., चौहद्दीः उत्तर पूरब में – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, उत्तर पश्चिम – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पूरब – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पश्चिम – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार	₹ 8.08 लाख ₹ 0.81 लाख ₹ 0.10 लाख	₹ 10,71,726.08 और दिनांक 01.10.2015 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	E-Auction Notice A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898 Circle Office Noida	31-10-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
15	डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्पाऊण्ड, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, यू.पी. श्री रामचन्द्र पुत्र हजारी लाल	रिहायशी फ्लैट नं. 293 एफ एफ, प्रथम तल, ब्लॉक डी, सैक्टर ओमीक्रॉन–1, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी., क्षेत्रफल–32 वर्ग मी., चौहद्दीः उत्तर पूरब में – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, उत्तर पश्चिम – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पूरब – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार, दक्षिण पश्चिम – स्थित पट्टे मानचित्र के अनुसार (भौतिक कब्जा)	₹ 7.87 लाख ₹ 0.79 लाख ₹ 0.10 लाख	₹ 10,30,982.00 और दिनांक 01.10.2015 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	IFSCCODE: ORBC0101815 A/c No: 18151181000026 E Auction Account Ramchander	31-10-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
16	एलांयस स्कूल, सैक्टर–22, नोएडा श्री विपिन कुमार शर्मा और श्रीमती संगीता शर्मा	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी फ्लैट नं. 13–बी, (भूतल बिना छत के अधिकार के) ब्लॉक–बी, सैक्टर–4, लाजपत नगर, क्षेत्रफल 20.314 वर्ग मी., चौहद्दी : पूरब में – बालकनी, पश्चिम में – 15फीट चौडी रोड, उत्तर में – मकान नं. 14, दक्षिण में – 15 फीट रोड (सांकेतिक कब्जा)	₹ 12.75 लाख ₹ 1.28 लाख ₹ 0.10 लाख	₹ 5,76,990.00 और दिनांक 01.11.2017 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	EMD E-auction A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898	31-10-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)
17	IEML, ग्रेटर नोएडा श्री विनय सिंह पुत्र चंदेश्वर	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. 212 सी (द्वितीय तल), ब्लॉक–एसके, सैक्टर–110, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर (यू.पी.) में स्थित, सुपर क्षेत्रफल 28.19 वर्ग मी. (सांकेतिक कब्जा)	₹ 7.22 लाख ₹ 0.73 लाख ₹ 0.10 लाख	₹ 7,24,648.00 और दिनांक 01.12.2017 से होने वाले ब्याज एवं अन्य प्रभार	EMD E-auction A/c No: 08981181000046 IFSC Code : ORBC0100898	31-10-2019 10.00 AM to 11.00 AM (5 मिनट प्रत्येक असीमित विस्तार की शर्त पर)

नियम एवं शर्तें

1. ई–नीलामी "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" आयोजित की जा रही है।
2. धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 30.10.2019 को सांय 5.00 बजे तक है।
3. सम्पत्ति(यों) का निरीक्षण सभी कार्य दिवस में पूर्वा. 11.00 से अर्पा. 3.00 बजे के बीच किया जा सकता है।
4. इच्छुक बोलीदाता जिन्होने धरोहर राशि जमा किया है और लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोडिंग करने, बोली जमा करने, ई–बिडिंग प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में अपेक्षित सहायता के लिए अन्तरेस सिस्ट्म लि., व्यक्ति का नाम जिसे सम्पर्क किया जा सके श्री सचिन, मो. 9555926408, श्री कुशल बोस, मो. 7686913157, श्री पुष्पराज – मो. 7503347659, ईमेल : sachin@antaressystems.com, pushpraj@antaressystems.com और सम्पत्ति प्राधिकृत अधिकारी : श्री शरद खन्ना, मो.: 8059441166, 9319688633, ई–मेलः rrl_7656@obc.co.in से कार्यादिवस में सम्पर्क कर सकते है।

(विस्तृत नियम एवं शर्तो हेतु कृपया हमारी वेबसाईटः www.obcindia.co.in, www.eprocure.gov.in/epublish और www.bankeauctionwizard.com,, www.ibapi.in देखें)

दिनांक 15.10.2019, स्थान : ग्रेटर नोएडा, यू.पी. — हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 331, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

बीसीसीआइ के अध्यक्ष पद के लिए भरा नामांकन

हितों का टकराव चिंता का विषय : गांगुली

मुंबई, 14 अक्तूबर (भाषा)।

बीसीसीबाइ के भावी अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सोमवार को कहा कि 'हितों का टकराव' भारतीय क्रिकेट के सामने सबसे बड़े मुद्दों में से एक है क्योंकि इसके नियम सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को इस खेल के प्रशासन में आने से रोक रहे हैं।

एन श्रीनिवासन, राजीव शुक्ला और निरंजन शाह जैसे दिग्गज क्रिकेट प्रशासकों के साथ नामांकन दाखिल करने के बाद गांगुली ने यहां पत्रकारों से कहा, हितों का टकराव का मुद्दा बड़ा है। और मुझे यह नहीं पता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सेवाएं ले पाऊंगा या नहीं क्योंकि उनके पास दूसरे विकल्प भी मौजूद होंगे। गांगुली ने साफ किया कि 'एक व्यक्ति एक पद' के मौजूदा नियम क्रिकेट के पूर्व दिग्गजों को प्रशासन में आने से रोकेगा क्योंकि उन्हें अपनी आजीविका कमाने की भी जरूरत होगी। गांगुली ने अध्यक्ष पद की होड़ में बृजेश पटेल को पछाड़ दिया है और अब इस पद के लिए अकेले उम्मीदवार हैं। पूर्व कप्तान का निर्विरोध चुना तय है। गांगुली खुद भी हितों के टकराव के मुद्दे का सामना कर चुके हैं। उन पर बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) और आइपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के मेंटोर रहने के कारण दोहरी भूमिका निभाने का आरोप लगा था।

नामांकन करने बीसीसीआइ मुख्यालय पहुंचे पूर्व कप्तान सौरव गांगुली व अन्य।

वे पहले ही दिल्ली कैपिटल्स से अलग हो चुके हैं जबकि 23 अक्तूबर को बीसीसीआइ अध्यक्ष का पद भार संभालने के बाद वह सीएबी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे देंगे। गांगुली ने साफ किया कि 'एक व्यक्ति एक पद' के मौजूदा नियम क्रिकेट के पूर्व दिग्गजों को प्रशासन में आने से रोकेगा क्योंकि उन्हें अपनी आजीविका कमाने की भी जरूरत होगी।

पूर्व भारतीय कप्तान क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) का हिस्सा थे जिसके खिलाफ मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के सदस्य संजीव गुप्ता ने आचरण अधिकारी डीके जैन को कई शिकायतें की। इन शिकायतों के बाद सीएसी को भंग कर दिया गया था। गांगुली ने कहा कि इस उपबंध (हितों के टकराव से जुड़ा नियम) से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने कहा, अगर आप विभिन्न नियुक्तियों को देखे सब के साथ कुछ न कुछ मामला है। इसमें एनसीए या सीएसी या बल्लेबाजी, क्षेत्ररक्षण कोचों की नियुक्ति पर भी सवाल उठे। कमेंटेटरों और आइपीएल को भी लेकर मुद्दे रहे हैं। यह भारतीय क्रिकेट के लिए गंभीर मुद्दा है जिसे जल्द ही हल किए जाने की जरूरत है। गांगुली ने कहा कि उनके लिए यह कुछ अच्छा करने का सुनहरा मौका है क्योंकि वह ऐसे समय में बोर्ड की कमान संभालने जा रहे हैं जब उसकी छवि काफी खराब हुई है।

आइसीसी ने सुपर ओवर नियम को बदला

दुबई, 14 अक्तूबर (भाषा)।

विश्व कप क्रिकेट में जुलाई में फाइनल में सुपर ओवर में मैच टाई रहने पर न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड को विजेता घोषित किए जाने के विवाद के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने सोमवार को सभी बड़े टूर्नामेंटों के लिए सुपर ओवर के नियमों में बदलाव किया है।

निर्णय सुपर ओवर तब तक होगा जब तक कोई एक टीम विजेता नहीं बन जाती।

आइसीसी ने अब नियमों में बदलाव किया है जिसके मुताबिक अगर सेमी फाइनल और फाइनल मुकाबले में सुपर ओवर में भी दोनों टीमें बराबर रन बनाती है तो फिर से सुपर ओवर होगा। सुपर ओवर तब तक होगा जब तक कोई एक टीम विजेता नहीं बन जाती। आइसीसी की बोर्ड की बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया, आइसीसी क्रिकेट समिति, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईसी) की समिति की सिफारिश के बाद यह सहमति बनीं की सुपर ओवर का उपयोग आइसीसी के मैचों में जारी रहेगा और इसे तब तक किया जाएगा जब तक टूर्नामेंट का परिणाम स्पष्ट तरीके से नहीं निकल जाए। इस मामले में क्रिकेट समिति और सीईसी दोनों सहमत थे कि खेल को रोमांचक और आकर्षक बनाने के लिए एकदिवसीय और टी–20 विश्व कप के सभी मैचों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बयान के मुताबिक, ग्रुप स्तर पर अगर सुपर ओवर के बाद भी मैच टाई रहता है तो उसे टाई माना जाएगा लेकिन सेमी फाइनल और फाइनल में सुपर ओवर तब तक कराया जाएगा जब तक एक टीम ज्यादा रन नहीं बना लेती। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेले गए फाइनल में दोनों टीमों ने एक समान 241 रन बनाए जिसके बाद सुपर ओवर किया गया। सुपर ओवर में भी दोनों टीमों ने 15–15 रन बनाए और मैच टाई रहा। इसके बाद ज्यादा बाउंड्री लगाने के कारण इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया। इस विवादित नियम के कारण आइसीसी को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।

बांग्लादेश से पूरे अंक लेना चाहेगा भारत

कोलकाता, 14 अक्तूबर (भाषा)।

एशियाई चैंपियन कतर के खिलाफ गोलरहित ड्रा से उत्साहित भारतीय टीम ग्रुप ई के दूसरे दौर में मैच में मंगलवार को बांग्लादेश के खिलाफ उतरेगी तो उसका इरादा फीफा विश्व कप क्वालीफायर में पहली जीत दर्ज करने का होगा। भारत ने कतर जैसी आक्रामक टीम को गोलरहित ड्रा पर रोककर क्वालीफायर में पहले अंक हासिल किए। पहले मैच में उसे ओमान ने हराया था।

नौ साल बाद सीनियर पुरुष टीम का कोई मैच कोलकाता में होने जा रहा है लिहाजा इसे लेकर दीवानगी चरम पर है। साल्टलेक स्टेडियम खचाखच भरा रहना तय है और ऐसे में इगोर स्टिमक की टीम पूरे तीन अंक लेकर विश्व कप की उम्मीदें कायम रखने की कोशिश में होगी। कागजों पर भारत का पलड़ा भारी लग रहा है जिसने बांग्लादेश के खिलाफ 28 मैचों में से 15 जीते और दो हारे लेकिन पिछली बार सैफ चैंपियनशिप 2013 और 2014 में अंतरराष्ट्रीय दोस्ताना मैच में बांग्लादेश ने उसे ड्रा पर रोका था।